चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 19 सितंबर- 25 सितंबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कश्मीर से ख़ाली हाथ लौटे

नाकाम सिपाही

हारून रेशी

गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 28 सदस्यों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल में जम्मू-कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा पूरी की. प्रतिनिधिमंडल यहां शांति बहाली की दिशा में कोई कदम उठाने में नाकाम रहा. प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर की सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, जहां उन्होंने दिन भर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की. पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट आदि के नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर कश्मीर समस्या पर बातचीत की. यह कोई असाधारण बात नहीं थी क्योंकि ये सभी दल और नेता कश्मीर समस्या पर भारत सरकार के बुनियादी दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करते हैं यानी ये सभी दल जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और भारत के संविधान के साथ वफादारी की शपथ भी लेते रहते हैं. ये सभी राजनीतिक दल और उनके नेता कश्मीर में जारी अलगाववादी आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और आए दिन नई दिल्ली जाकर वहां केंद्र सरकार के अधिकारियों और विभिन्न पार्टियों के नेताओं से अक्सर मिलते रहते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कश्मीर में अमन कायम कर पाना इन नेताओं और इन पार्टियों के वश में नहीं है. अगर इनके वश में होता तो उन्होंने ऐसा बहुत पहले कर लिया होता. सच तो ये है कि कश्मीर में शांति बहाली पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के अस्तित्वार में भी नहीं है. अगर ऐसा होता तो कश्मीर में दो महीने से लगातार कर्फ्यू नहीं लगा होता. इस दौरान वहां 70 से अधिक लोग मारे नहीं गए होते और करीब 200 लोगों की आंखों की रोशनी नहीं चली गई होती. यहां इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद नहीं होते. न्यूज चैनलों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा होता. हर गांव में रोजाना हजारों, लाखों लोगों के जुलूस नहीं निकलते. दो महीने के दौरान दो हजार से अधिक नौजवान गिरफ्तार नहीं हुए होते. पुलिस थानों में दो माह के दौरान हजारों एफआईआर दर्ज नहीं हुए होते. राज्य सरकार ने यहां कब की शांति बहाल कर ली होती. लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीर के हालात पर राज्य या केंद्र सरकार ने अपना नियंत्रण खो दिया है. इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब किसी सरकार को जनता को काबू में रखने के लिए लगातार दो महीने तक बगैर ढील दिए कर्फ्यू लगाये रखना पड़ा है. पिछले 26 साल के हिंसात्मक दौर में यह पहली बार हुआ है कि सिर्फ दो महीने में लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में दस हजार लोग जख्मी हुए हैं और दर्जनों लोग उम्र भर के लिए आंखों की रोशनी खो चुके हैं. यकीनन और बिना किसी भय के ये बात कही जा सकती है कि राज्य सरकार कश्मीर के हालात पर अपना नियंत्रण खो चुकी है और यहां शांति बहाल करना इसके बस की बात नहीं रही है. सरकार दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने सैकड़ों करोड़ रुपए यहां भेजे हैं. लेकिन एक असहाय सरकार की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक वृहद, संगठित खुफिया नेटवर्क, पुलिस फोर्स और दूसरी एजेंसियों के होते हुए भी यह सरकार दो महीने में इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि यहां बाहर से पैसा भेजा गया है. जाहिर है कि किसी दूसरे देश से आने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए बोरियों में लादकर पैदल सीमा पार तो नहीं लाए गए होंगे. ये रकम अगर यहां पहुंचाई गई है और सरकार के मुताबिक यहां उपद्रवियों में बांटी गई है, तो क्या वजह है कि सरकार इतने बड़े मामले में किसी एक शख्स को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार अपनी नाकामियों पर परदा डालने के लिए या तो झूठ कह रही है कि बाहर से पैसा आया है या फिर सरकारी खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि सैकड़ों करोड़ रुपए सीमा पार से यहां पहुंचाए और बांटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार को कानों कान खबर नहीं होती है. उसे कोई सबूत भी नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में यदि सत्ताधारी पार्टियां पीडीपी या बीजेपी या विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिले भी हैं तो उसका क्या परिणाम निकलना था? बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तो प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत और मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया को बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल की कोई अधिक विश्वसनीयता नहीं है. ये पूछे जाने पर कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब तक इस तरह के कई प्रतिनिधिमंडल यहां आ चुके हैं. लेकिन इसके नतीजे में न तो कश्मीर का मसला हल हो सका है और न ही स्थाई शांति स्थापित हो सकी है. उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेता राम माधव के एक ताजा बयान को कोट करते हुए कहा कि माधव कहते हैं कि भारत के संविधान के दायरे में रहकर कश्मीर समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए. उमर अब्दुल्ला का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संविधान के दायरे में रहकर ही विधानसभा में दो तिहाई की बहुमत से स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन भारत सरकार ने इसका क्या किया?

पीडीपी के नेता सरताज मदनी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीपी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कश्मीर में स्थायी शांति के लिए कश्मीर समस्या का राजनीतिक हल निकालना आवश्यक है. इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने वाली दूसरी पार्टियों ने भी अपने बयान में कहा है कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर समस्या का समाधान तलाशने और हुर्रियत के साथ बातचीत करने की सलाह दी है. शायद ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीताराम येचुरी, डी राजा और असदुद्दीन ओवैसी ने हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की नाकाम कोशिश की. सीताराम येचुरी और डी राजा श्रीनगर के हैदरपुरा स्थित सैयद अली शाह गिलानी के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने इन दोनों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने से भी इनकार कर दिया. नतीजतन उन्हें वापस लौटना पड़ा. बाकी लोग श्रीनगर के हमहमा ज्वाइंट इन्टरोगेशन सेंटर पहुंचे, जहां यासिन मलिक कैद हैं. यासिन मलिक ने दुआ-सलाम के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को यह कहकर वापस लौटा दिया कि वे बातचीत नहीं करना चाहते हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने चश्माशाही जेल जाकर वहां कैद मीरवाइज उमर फारूक से

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अमन का जिहादी

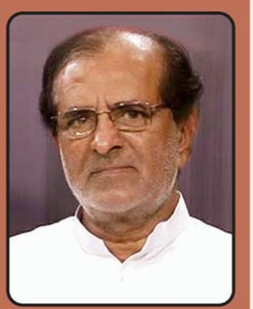

विनायक राव पाटील

बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से कश्मीर की हालत बिगड़ गई है. 70 दिन होने के बाद भी कश्मीर की हालत खराब है. हालांकि इसकी वजह केवल बुरहान वानी का मारा जाना नहीं है. कई सालों से कश्मीर का मुद्दा चला आ रहा है और यह अभी तक नहीं सुलझा है. इसके पीछे कई सारी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से कश्मीर की हालत ऐसी हो गई है. अभी पिछले एक महीने में मैं दो बार कश्मीर गया. वहां के स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और नेताओं से मिला. उनसे बातचीत की. लोगों का कहना है कि इस समस्या को खत्म करो, कश्मीर का जो भी मसला है, उसका हल एक बार में निकालो.

कश्मीर में मैं सभी वर्ग के लोगों से मिला. किसानों का अलग मामला है. उनका कहना है कि हमारे सेब के व्यापार के लिए सरकार से सुविधा चाहिए. व्यापारियों की अलग परेशानी है. व्यापारी कहते हैं कि हम दोनों तरफ से पीसे जाते है. सरकार कहती है कि दुकान खोलो, आतंकवादी कहते हैं बंद करो. किसकी बात मानें. आतंकवादियों की मानेंगे तो आर्मी वाले परेशान करते हैं. सरकार की बात मानते हैं तो आतंकवादी हमारी दुकान जला देते हैं. कश्मीर के लोगों के पास काम नहीं है. उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है. कश्मीर में मुझे एक टैक्सी वाला मिला. उसने मुझसे कहा कि वह भी पत्थर मारेगा. मैंने पूछा कि क्यों मारोगे? उसका कहना था कि हमारा दो महीने से काम बंद है. कुछ दिनों में ठंड की शुरुआत हो जाएगी, टूरिज्म बंद हो जाएगा, तो हम खाएंगे क्या? सवाल है कि हिंदुस्तान में इतनी अधिक इंडस्ट्री है. क्या हम वहां के लोगों को इंडस्ट्री में नौकरी नहीं दे सकते? कश्मीर के युवाओं का विश्वास जीतना होगा. उनसे कोई बात ही नहीं करता. कश्मीर में नेता जाते हैं, नेताओं और अलगाववादियों से बात करते हैं. इन युवाओं का कहना है कि अलगाववादी हमारे नेता नहीं हैं, आप सीधे हमसे बात करो. हमसे पूछो कि हमें क्या चाहिए? आज की हालत में वहां युवाओं का कोई नेता नहीं है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नाकाम सिपाही

पृष्ठ 1 का शेष

मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उमर वाइज ने सिर्फ दो मिनट बात करने के बाद उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया कि हुर्रियत ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल से न मिलने का फैसला किया है. रात दो बजे इन तीनों अलगाववादी नेताओं की तरफ से जारी किए गए एक साझा बयान में कहा गया कि ये हमारी समझ से बाहर है कि इस प्रतिनिधिमंडल से उम्मीदें क्यों रखी जाएं, जिसे किसी स्पष्ट मुद्दे को आगे बढ़ाने का अधिकार हासिल नहीं.

समीक्षकों का कहना है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दरअसल हुर्रियत लीडरों से मिलना ही नहीं चाहता था. उनकी दलील है कि अगर भारत सरकार वाकई हुर्रियत के साथ बातचीत करना चाहती, तो उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत से पूर्व औपचारिक निमंत्रण दिया जाता, जिस तरह राज्य सरकार ने अन्य दलों को निमंत्रण पत्र भेजे थे. गौरतलब है कि हुर्रियत को सरकारी स्तर पर ऐसा कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था. बहरहाल, महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की अध्यक्ष की हैसियत से हुर्रियत को एक खत लिख कर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने की अपील की थी.

दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि सरकार वास्तव में चाहती थी कि हुर्रियत के नेता प्रतिनिधिमंडल से मिलें तो इसके लिए जरूरी था कि उन्हें एक-दो दिन पहले जेलों से रिहा कर दिया जाता, ताकि वे एक-दूसरे से मिलकर, सलाह-मशविरा करते. बहरहाल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर दौरे ने यहां के हालात पर कोई सकारात्मक असर नहीं डाला, बल्कि उनके यहां पहुंचने के पहले ही घाटी में सबसे ज्यादा हिंसा की वारदातें हुईं, जिनमें 600 लोग जख्मी हुए. सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर दौरे को अगर नाकाम न भी करार दिया जाए तो इसे कामयाब नहीं कहा जा सकता है. सीताराम येचुरी ने हुर्रियत के नेताओं के साथ मुलाकात की नाकाम कोशिश के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एक बुनियादी बात कह डाली. उन्होंने कहा कि कश्मीर में नई दिल्ली के प्रति विश्वसनीयता की कमी पाई जा रही है.

हकीकत ये है कि पिछले 26 साल के दौरान भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को छोड़ कर, कभी भी कश्मीर समस्या का कोई राजनीतिक हल ढूंढने की गंभीर कोशिश नहीं की. हालांकि हर प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में कश्मीर समस्या के हल करने की जरूरतों पर जोर दिया है. वर्ष 1990 में यहां सशस्त्र आंदोलन शुरू होने के कुछ ही समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आजादी की मांग को छोड़ कर किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था, कश्मीर समस्या के समाधान के हवाले से आजादी से कम कुछ भी मांग लो. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कश्मीर समस्या

हल करने के लिए संविधान के दायरे में नहीं, बल्कि इंसानियत के दायरे में बातचीत की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए सरहदों को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें अप्रासंगिक बनाया जा सकता है. मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल में कश्मीर के हवाले से इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत के सहारे यह मसला हल करने की बात कही. लेकिन सच तो ये है कि व्यावहारिक तौर पर भारत सरकार की ओर से कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस उपाय करने के बजाय 2016 में भी कश्मीरी जनता को ताकत के बल पर दबाने की कोशिशें की जा रही हैं. इसकी मिसालें पिछले दो महीने के दौरान यहां देखने को मिल रही हैं.

समीक्षकों का कहना है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर दौरे की नाकामी की बुनियादी वजह ये है कि नई दिल्ली की ओर से हमेशा कश्मीरियों को बातचीत के नाम पर उलझाने की कोशिशें की गई हैं. साल 2010 के प्रदर्शन में जब सुरक्षा बलों के हाथों 120 आम नागरिक, जिनमें दर्जनों बच्चे भी शामिल थे, मारे गए तो उस वक्त की यूपीए सरकार ने वार्ताकारों की एक तीन सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसमें दिलीप पडगांवकर, राधा कुमारी और एमएम अंसारी शामिल थे. उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वे कश्मीर के सभी विचारधारा के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट और सुझाव पेश करें. ये टीम कश्मीर में एक साल तक पांच हजार प्रतिनिधिमंडलों से मिली और खुलकर बातचीत की. एक साल बाद जब टीम ने अपनी रिपोर्ट कई सुझावों के साथ पेश की तो भारत सरकार ने उसे डस्टबीन में डाल दिया.

पिछले 26 साल के दौरान भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को छोड़ कर, कभी भी कश्मीर समस्या का कोई राजनीतिक हल ढूंढने की गंभीर कोशिश नहीं की. हालांकि हर प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में कश्मीर समस्या के हल करने की जरूरतों पर जोर दिया है. वर्ष 1990 में यहां सशस्त्र आंदोलन शुरू होने के कुछ ही समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आजादी की मांग को छोड़ कर किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है.

इसके बाद तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने इस संबंध में अपने बयान में कहा था कि वार्ताकारों को कश्मीर इसलिए नहीं भेजा गया था कि वे हमें बताएं कि वहां के हालात कैसे हैं? सरकार तो पहले से ही जानती है, लेकिन हमने ये टीम इसलिए गठित की थी ताकि कश्मीर के उस वक्त के हालात का दायरा तब्दील किया जा सके यानी हालात बेहतर किए जा सकें. ये एक गृहमंत्री की खुली स्वीकारोक्ति थी कि वार्ताकारों के नाम और कश्मीरी आवाम के साथ धोखा किया गया.

यूपीए सरकार ने साल 2005 में जस्टिस सगीर की अगुआई में एक वर्किंग ग्रुप गठित कर उसे ये काम सौंप दिया था कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए अपनी सिफारिशें पेश करे. इस वर्किंग ग्रुप ने भी पूरी खोज-परख और बातचीत के बाद एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया. फिर इस सरकार ने 26 साल के दौरान कश्मीरी आवाम और अलगाववादी नेताओं को झांसा देने के लिए समय-समय पर कई शख्सियत को भी इस्तेमाल किया. इनमें एएस दुल्लत, राम जेठमलानी, केसी पंत, एनएन वोहरा और वजाहत हबीबुल्ला जैसे लोग शामिल थे. लेकिन इन शख्सियत ने भारत सरकार के लिए कभी दोबारा कश्मीर में अपनी सेवाएं पेश करने पर अपनी सहमति जाहिर नहीं की. क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के भरोसे पर अलगाववादी नेताओं और यहां के आवाम से जो वादे किए थे, वो कभी पूरे नहीं हुए. इस वजह से इन शख्सियत की विश्वसनीयता भी खत्म हो गई और लोगों ने इन पर दोबारा भरोसा नहीं किया. शायद इसलिए कश्मीर को विश्वसनीयता की क़ब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहां कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. यही वजह है कि इस बार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सार्वजनिक स्तर पर कोई प्रशंसा नहीं हुई. सिर्फ हुर्रियत नेताओं ने ही नहीं, बल्कि बड़े व्यवसायियों और बार एसोसिएशन ने भी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से साफ इंकार कर दिया. ये दरअसल विश्वसनीयता की कमी का मामला है. संभव है कि आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएं. क्योंकि इस तरह के हालात हमेशा कायम नहीं रह सकते. लेकिन सच तो ये है कि भारत सरकार हर बीतने वाले दिन के साथ कश्मीर में अपनी विश्वसनीयता खो रही है. यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता और भरोसेमंदी भी भारत सरकार की वजह से जा रही है.

नई दिल्ली के लिए जरूरी है कि वो कश्मीर में आवाम का भरोसा हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करे जो ईमानदारी की बुनियाद पर हो और वास्तव में समस्या को लेकर गंभीर हो. जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ बढ़ती खाई को पाटना भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ताक़त के बल पर जनता को झुकाना संभव होता तो यहां मौजूद सात लाख फौज पिछले 26 सालों में यह काम कर चुके होते.■

feedback@chauthiduniya.com

अमन का जिहादी

पृष्ठ 1 का शेष

कश्मीर में कोई कहता है कि हमको आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहता है कि हमें पाकिस्तान में जाना है और कोई कहता है कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है. यह मसला नया नहीं है. यह मसला आजादी के दूसरे दिन ही उठा था. कश्मीर हमको अलग चाहिए. आज तक इस मसले का हल नहीं किया गया. राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इस मसले को जिंदा रखा है. कश्मीर के लोगों को आप कहते हैं कि बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों से मिले हुए हैं. लेकिन, जब कश्मीर में चुनाव होते हैं तो अलगाववादी धमकियां देते हैं, लेकिन इसके बावजूद 74 प्रतिशत लोग मतदान करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे लोग भारत को अपना मानने वाले हैं. इसलिए पहले उनको समझना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा और उनको प्यार से जीतना पड़ेगा. उन्हें बंदूक की गोली से नहीं जीता जा सकता.

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर गई. किससे बात हुई? सीएम, एमएलए और कुछ नेता. क्या इस प्रतिनिधिमंडल ने आम लोगों से बात की. युवाओं से बात की. सड़कों पर जाकर लोगों से बात किया क्या? नहीं. सुरक्षा में रहकर सबको बुलाकर बात करोगे तो आम आदमी को क्या समझ आएगा. मेरा मानना है कि उनका गुस्सा शांत करने में बहुत समय लगेगा. उनका गुस्सा भारत से नहीं है, केवल सरकार और आर्मी से है.

जोड़ो भारत अभियान ने एक शांतियात्रा 2 अक्टूबर को कश्मीर के लाल चौक पर रखी है. हम हजारों लोगों के साथ उस्मानाबाद से कश्मीर तक जाएंगे. 2 अक्टूबर को लाल चौक पर कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीर के अमन के लिए, कश्मीरी लोगों की खुशहाली के लिए एक प्रार्थना सभा करेंगे. वहां हम कश्मीरी युवाओं से बात करेंगे. हमारा जोड़ो भारत अभियान शुरू हो चुका है. यह कोई यात्रा नहीं है. यह जनजागृति अभियान है कि चलो कश्मीर. यहां से लोग तो जाएंगे नहीं. हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि कैसे कश्मीर के अधिक से अधिक लोग इस शांति प्रार्थना में आएं. हम वहां अमन के सिपाही, अमन के जिहादी बनकर जा रहे हैं.

मैं मानता हूं कि उन्हें प्यार की जरूरत है. उन्हें यह नहीं मालूम है कि वह पत्थर क्यों उठा रहे हैं? मैं समझता हूं कि सरकार के अलावा, समाज को भी कश्मीर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए. हमें समझना होगा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं. सरकार और समाज को मिलकर कश्मीर के लिए काम करना होगा.

(लेखक जोड़ो भारत अभियान के संयोजक हैं)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 29
19 सितंबर- 25 सितंबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हरियाणा

डिंगरहेरी गैंगरेप

बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है बेटी बचाओ के दौर में

चौथी दुनिया ब्यूरो

दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर है डिंगरहेरी गांव. हरियाणा के मेवात क्षेत्र के तावड़ू प्रखंड का यह गांव भारत के आम गांवों जैसा ही है. 24-25 अगस्त की रात इस गांव के एक परिवार पर कहर बरपा. पड़ोस के गांव मोहम्मदपुर के करीब 6 युवक इस गांव में रहने वाले इब्राहिम के घर में घुस गए. घर में इब्राहिम व उनकी पत्नी रशीदन थी. घर में घुसते ही उन लोगों ने दोनों से मारपीट की और घसीटते हुए पास के दूसरे कमरे में ले गए. यहां पर इब्राहिम की बहन आयशा, उसके पति जफरुद्दीन और उनकी दो बेटियां सोई हुई थीं. उन लोगों ने पहले उन सभी लोगों से मारपीट की, फिर दोनों लड़कियों (उम्र 13 और 21 साल) के साथ बलात्कार किया. 21 वर्षीय शादीशुदा लड़की के विरोध करने पर गुंडों ने उसके मासूम बच्चे की गर्दन पर चाकू रख कर मारने की धमकी दी. अपराधियों का यह कुकृत्य करीब तीन घंटे तक चलता रहा. इस मारपीट में जहां रशीदन और इब्राहिम की मौत हो गई, वहीं आयशा और जफरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर जिन चार लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम हैं संदीप, अमरजीत, करमजीत और राहुल. गांववालों का कहना है कि इन युवकों को पहले गौरक्षा के नाम पर चंदा लेते हुए भी देखा गया है. मेवात बार एसोसिएशन से जुड़े स्थानीय नेता रमजान चौधरी भी मानते हैं कि इस घटना में जिस तरह से अपराधियों ने हिंसा की है, उससे यह एक सोची-समझी साजिश लगती है. समाजसेवी शबनम हाशमी ने चौथी दुनिया से बात करते हुए बताया कि डिंगरहेरी की घटना मुजफ्फरनगर की याद दिलाती है. वो कहती हैं कि जिस तरीके से औरतों के साथ हिंसा की गई वो एक खास पैटर्न को बताता है. उनका कहना है कि इन अपराधियों का जब फेसबुक पेज खंगाला गया तो पता चला कि ये लोग एक खास विचारधारा से जुड़े लोग हैं और एक खास समुदाय के प्रति नफरत से भरे हुए हैं. शबनम हाशमी मानती हैं कि डिंगरहेरी की घटना को इस एंगल से भी देखा जा सकता है.

इस घृणित और क्रूर आपराधिक कृत्य के बाद भी हरियाणा की पुलिस और सरकार तब तक संवेदनहीन बनी रही, जब तक दिल्ली से कुछ समाजसेवी और नेता डिंगरहेरी नहीं पहुंचे. घटना के दस दिनों बाद यानी 5 सितंबर को हरियाणा के परिवहनमंत्री कृष्णलाल पवार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. पुलिस ने इस मामले में शुरू में काफी ढिलाई दिखाते हुए इस घटना को महज एक लूटपाट की घटना माना और सेक्शन 459 (चोरी की नीयत) लगाया था. लेकिन मेवात बार एसोसिएशन और दिल्ली से मेवात पहुंचे समाजसेवी शबनम हाशमी और जद (यू) सांसद अली अनवर अंसारी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझा. इन लोगों द्वारा मामला उठाए जाने के बाद पुलिस ने इस केस में सेक्शन 307, 302 आदि जोड़े. बहरहाल, इतना होने के बाद भी यह घटना न तो हरियाणा और न ही दिल्ली की कथित नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी.

इसलिए, 7 सितंबर को दिल्ली में जद (यू) सांसद अली अनवर अंसारी के निवास पर डिंगरहेरी की बलात्कार पीड़िता दोनों लड़कियों और मृतक के परिवार वालों को मीडिया के सामने लाया गया, ताकि यह मामला कम से कम लोगों तक तक तो पहुंचे. अली अनवर अंसारी बताते हैं कि इस घटना में मृत लोगों के शव अभी दफनाए भी नहीं गए थे कि बलात्कार पीड़िता को पुलिस वाले जबरदस्ती मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दिलवाने ले गए. पुलिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पुलिस चाहती थी कि घबराहट में पीड़िता उनके मुताबिक बयान दे दे. अंसारी कहते हैं कि एक खास विचारधारा के लोगों की तिरछी नजर मेवात पर कई वर्षों से है. शबनम हाशमी ने इस घटना के बारे में बताया कि अगर कोई चोरी या डकैती करने आता है तो घरवालों के जाग जाने पर किसी को डंडे या चाकू से मार कर भाग जाते हैं न कि किसी का बलात्कार कर देते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं. लेकिन इस घटना में चोरी या डकैती की नीयत ही नहीं थी. यहां नीयत कुछ और थी, जिसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं.

दूसरी तरफ, राज्य सरकार की असंवेदनशीलता का आलम यह है कि घटना के दस दिन बाद राज्य सरकार के परिवहन मंत्री कृष्णपवार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. पीड़ितों के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की गई थी. बाद में पैसा देने की जिम्मेदारी हरियाणा वक्फ बोर्ड को दे दी गई. वक्फ बोर्ड ने तीन लाख रुपए की मदद की पेशकश की थी, जिसे पीड़ितों ने ठुकरा दिया. राज्य सरकार की असंवेदनशीलता से नाराज मेवात के लोगों ने 1 सितंबर को तावड़ू में महापंचायत बुलाई थी. इस महापंचायत में आसपास के जिलों के नेता और बुजुर्ग भी पहुंचे थे. इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि राज्य सरकार ने अभी तक इस घटना पर अपनी संवेदना तक जाहिर नहीं की है और ना ही उनके पुनर्वास की कोई घोषणा की है. ■

दूसरी तरफ, राज्य सरकार की असंवेदनशीलता का आलम यह है कि घटना के दस दिन बाद राज्य सरकार के परिवहन मंत्री कृष्णपवार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. पीड़ितों के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की गई थी. बाद में पैसा देने की जिम्मेदारी हरियाणा वक्फ बोर्ड को दे दी गई. वक्फ बोर्ड ने तीन लाख रुपए की मदद की पेशकश की थी, जिसे पीड़ितों ने ठुकरा दिया.

feedback@chauthiduniya.com

ग्वालियर

बर्बरता की हद

टीआई के परिवार के साथ पुलिस की बेरहमी

धर्मेंद्र कुमार सिंह

पुलिस की बर्बरता की कहानी कोई नई नहीं है. समय-समय पर अगल-अलग राज्यों से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं. इस बार भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन यहां पुलिस ने एक पुलिस के परिवार पर ही जुल्म ढाया है. गुना में टीआई के पद पर कार्यरत यशपाल सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों की पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने अमानवीय तरीके से पिटाई की और उन्हें जेल में बंद कर दिया. पुलिस वाले यहीं नहीं रुके, उन्होंने उनके परिजनों पर अलग-अलग धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया. टीआई के परिवार की महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं. अब हालत ये है कि पुलिस उनकी शिकायत भी नहीं सुन रही है. टीआई के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस उनको डरा-धमका रही है और झूठे केस दर्ज करने की धमकी दे रही है. पुलिस वाले जब एक पुलिस के परिवार पर ही अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी पर कितना जुल्म ढाया जाता होगा, यह तो अब सबके सामने है. पुलिस के इस रवैये से पता चलता है कि वह कितनी बेरहम हो चुकी है. टीआई की पत्नी उषा सिंह का आरोप है कि 27 अगस्त 2016 को संपत्ति विवाद को लेकर उनके विरोधियों द्वारा षड्यंत्र किया गया और पुलिस के जरिए सुनियोजित तरीके से परिवार की महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक हमला कराया गया. साथ ही महिलाओं को गाड़ियों में भरकर पुलिस थाने ले जाया गया. परिवार के वरिष्ठ लोगों केमना करने पर उन लोगों को भी पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया गया और थाने ले जाया गया. उषा सिंह का कहना है कि मुरार थाने ले जाकर उन लोगों के साथ अमानवीय व अश्लील व्यवहार किया गया और महिलाओं को गालियां दी गईं. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आ चुका है.

क्या है पूरा मामला?

गुना जिले में पदस्थ टीआई यशपाल सिंह चौहान का ग्वालियर के मुरार इलाके में मकान है. इसी मकान में उनके भाई अरविंद सिंह चौहान रहते हैं, जिनसे जमीन व घर में संयुक्त रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है. यशपाल सिंह के एक और भाई इंद्रभान सिंह की कार रास्ते में खड़ी रहती है जिसको लेकर अरविंद ने कोर्ट में आवेदन लगाया था. कोर्ट ने कार को हटाने का आदेश जारी किया था. मुरार थाना पुलिस की एसआई त्रिवेणी राजावत स्टाफ के साथ कोर्ट के आदेश के अनुसार कार हटवाने के लिए पहुंची थीं जिसके बाद टीआई के परिवार वालों से उनका विवाद हो गया. टीआई की पत्नी उषा चौहान, भतीजी ज्योति सिंह, बेटी शिखा चौहान से एसआई की हाथापायी हो गई. इस मामले में टीआई के परिजनों को आरोपी बनाया गया था और कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया. इसी मामले को लेकर टीआई की पत्नी उषा चौहान का कहना है कि हम पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं और हम पर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है. जब इस मामले का वीडियो सामने आया तो मध्य प्रदेश की पुलिस की सच्चाई और उसका क्रूर चेहरा सबके सामने आ गया. इस वीडियो में पुलिस की बेरहमी साफ तौर देखी जा सकती है. फोटो में भी साफ तौर देखा जा सकता है कि किस प्रकार टीआई की पत्नी और बेटी के साथ मारपीट की गई है. टीआई की बेटी शिखा चौहान का पैर भी टूट गया है. उनके शरीर पर साफ तौर पर चोटों के निशान देखे जा सकते हैं. पुलिस की बेरहमी का और क्या सबूत चाहिए. ग्वालियर जिले की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाए उनकी गलतियों को छुपाया जा रहा है और शासन-प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है. उषा का कहना है कि हम लोगों को डर है कि भविष्य में हमें और झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है. उनका कहना है कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर भू-माफिया स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कब्जा करना चाहता है. उनका कहना है कि डॉक्टरों द्वारा उन लोगों का पुलिस के दबाव में मेडिकल परीक्षण भी सही ढंग से नहीं किया गया. पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उन लोगों का मोबाइल भी छीन लिया. पुलिस की बर्बरता की कहानी तस्वीरों और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस टीआई के परिवार को पीट रही है. इसके साथ ही उषा के पक्ष में आए पूर्व पार्षद संतोष सिंह राठौर को भी पुलिस ने चाटा मारा, जो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है. पुलिस की करतूत सामने न आए इसलिए उसने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिए. लेकिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है. वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार पुलिस उन लोगों को गाड़ी से खींचकर बर्बरतापूर्वक मार रही है. पुलिस और टीआई रविंद्र गुर्जर पहले अपने स्टाफ को पीटे जाने की बात कह रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद उनके सारे आरोप गलत साबित हो रहे हैं, शायद इसीलिए मोबाइल छीनकर सबूत मिटा दिए गए थे. यह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की पुलिस का अमानवीय चेहरा और सच्चाई.

टीआई की पत्नी उषा चौहान का कहना है कि सरकार से हमारी मांग है कि हमारे परिवार के साथ इस अमानवीय रवैया अपनाने वाले षड्यंत्रकारियों, डॉक्टरों एवं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. हम लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे समाप्त कर हमें न्याय दिया जाए. ■

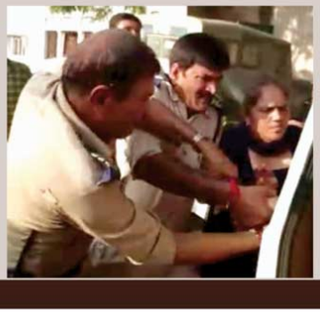

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में भूमाफिया का क़हर

पूर्व सांसद हुए शिकार, मुख्यमंत्री भी लाचार

झारखंड के भू-माफिया से पूर्व सांसद जोरावर राम इस कदर परेशान हैं कि उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से बार-बार गुहार लगानी पड़ रही है. आश्चर्य की बात है कि भू-माफिया पर नकेल कसने के बजाय सरकारी अधिकारी भी मूक-दर्शक बने हैं. सच्चाई ये है कि झारखंड में भू-माफिया ने अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली है कि पुलिस व प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

डाल्टनगंज में एक सरकारी जमीन है. प्लॉट नंबर 1090. इस सरकारी जमीन पर मनोज शर्मा नाम के एक शख्स ने कब्जा किया हुआ है. पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम ने बकायदा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, पुलिस सब से की. मुख्यमंत्री ने उक्त जमीन को कब्जा से छुड़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा. लेकिन पुलिस से लेकर बीडीओ और डीसी तक उस जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटवा सके. अब इसके दो ही मायने हो सकते हैं. एक तो ये कि या तो पुलिस और अधिकारी भूमाफिया से मिले हैं या फिर झारखंड के भूमाफिया मुख्यमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर हैं. झारखंड में भूमाफियागिरी का यह एक नमूना भर है. यह कहानी बताती है कि झारखंड में क्यों नक्सलवाद की समस्या इतनी ज्यादा है. नक्सलवाद की समस्या का एक सीधा संबंध जमीन से भी है. और जब एक पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री तक के पत्रों का असर नहीं होता, पुलिस और अधिकारी भूमाफिया के चंगुल से जमीन का कब्जा नहीं हटवा पाते हैं, तो ऐसे में झारखंड के ग्रामीण इलाकों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

रघुबर दास

जोरावर राम

झारखंड के भू-माफिया से पूर्व सांसद जोरावर राम इस कदर परेशान हैं कि उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से बार-बार गुहार लगानी पड़ रही है. आश्चर्य की बात है कि भू-माफिया पर नकेल कसने के बजाय सरकारी अधिकारी भी मूक-दर्शक बने हैं. सच्चाई ये है कि झारखंड में भू-माफिया ने अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली है कि पुलिस व प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है.

पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम दलित समुदाय से हैं. डाल्टेनगंज से एक किलोमीटर दूर थाना चैनपुर में ग्राम शाहपुर गढ़वा रोड के समीप उन्होंने 1980 में अजायब दुसाध से 66 डिस्मिल जमीन खरीदी थी. इसका एक हिस्सा करीब 17 डिस्मिल जमीन नेशनल हाईवे की भेंट चढ़ गया, जिसका उन्हें पूरा मुआवजा भी मिला. इसके बाद उन्होंने बाकी बची जमीन पर कुछ कमरों का निर्माण कराया और चहारदीवारी करा दी. लेकिन करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती जमीन पर भू-माफिया आयरश गिरोह सरगना मनोज शर्मा की नजर टिकी थी. जिला पलामू के खाता 132 में अजायब दुसाध वगैरह का 21 एकड़ 20 डिस्मिल जमीन थी. दरअसल 1922 में गांव में आयोजित एक पंचायत के अनुसार, इसमें हर प्लॉट में से आधी जमीन बढ़ई समुदाय के लोगों को दी जानी थी. रामधनी मिस्त्री और उनके पुत्र केदार शर्मा, भोला शर्मा एवं मनोज शर्मा ने अपने हिस्से की आधी से भी अधिक जमीन बेच दी थी. यहां तक कि उन्होंने अपने गोतिया की एक करोड़ रुपए की जमीन भी बेच दी.

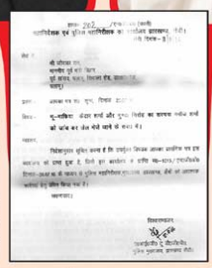

जब उनके पास एक छटांग जमीन भी नहीं बची, तो उन्होंने एक आयरश गिरोह बनाकर सरकारी प्लॉट पर कब्जा करना और लोगों से रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया. 35 साल से जोरावर राम भू-माफिया से एक अंतहीन लड़ाई में उलझे हैं. हालांकि अपनी जमीन बचाने के लिए केस लड़ने के एवज में वे अब तक 50 लाख रुपए की जमीन तक बेच चुके हैं, लेकिन एक जिद है, जिसके आगे वे भू-माफिया के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोरे आश्वासन के सिवाय अब तक कोई मदद नहीं मिली है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 26 मई 2016 को गृह सचिव, झारखंड को इस संदर्भ में शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे. लेकिन आज तक न कोई रिपोर्ट भेजी गई और न ही कार्रवाई किए जाने की कोई सूचना ही दी गई. यहां तक कि मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी 2 दिसंबर 2015 को गृह विभाग को पत्र भेजकर इस मामले में सीआईडी जांच कराए जाने की मांग की थी. लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

27 जुलाई 2016 को जोरावर राम ने डीजीपी डीके पांडेय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विस्तार से भू-माफिया के काले कारनामों की जानकारी दी. उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि आप अक्सर कहते हैं कि 2016 तक राज्य से उग्रवाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक भू-माफिया क्षेत्र में फलते-फूलते रहेंगे, उग्रवाद पर आप कैसे नियंत्रण कर सकेंगे. पूर्व सांसद जोरावर राम कहते हैं, क्या इन उपायों से ही राज्य से नक्सलवाद खत्म होगा? राज्य के अधिकारी मुख्यमंत्री की सुनने को तैयार नहीं हैं. सरकारी जमीन पर भू-माफिया पुलिस संरक्षण में कब्जा करने में लगे हैं. राज्य में गरीब-गुरबों की आवाज नहीं सुनी जा रही है. अगर इनकी आवाज इसी तरह अनसुनी होती रही, तब क्षेत्र में नेंक्सलवाद तो और बढ़ेगा ही.

जोरावर राम बताते हैं, दो नवंबर 2016 को वे सीओ ऑफिस गए थे. सीओ ने फोन कर स्थल पर आने के लिए कहा. सीओ के साथ पूर्ति अधिकारी व कुछ पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद थे. केदार शर्मा और संतोष शर्मा स्थल पर ही सीओ से बक-झक करने लगे. उन्होंने सरकारी अधिकारियों के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी. वे किसी तरह भागकर अपनी गाड़ी में पहुंचे, जहां उनका बॉडीगार्ड मौजूद था. भू-माफिया के लोगों ने चारों तरफ से गाड़ी घेर ली और हाथापाई करने लगे. तब तक सभी सरकारी अधिकारी व पुलिस के जवान मौके से फरार हो गए थे. जोरावर राम कहते हैं, सरकारी अधिकारी मेरी जान क्या बचाते, वे अपनी जान बचाकर ही किसी तरह मौके से भागने में लगे रहे.

अब वे हताश, लाचार होकर भू-माफिया के डर से अपने घर में कैद रहने को मजबूर हैं. वे कहते हैं, अपनी जमीन पर जाता हूं, तो माफिया के आदमी जान से मारने की धमकी देते हैं. 27 अप्रैल 2016 को बदमाश लोगों ने उनके घर का कुछ हिस्सा व हाता भी तोड़ दिया. पुलिस अधिकारियों से कई बार इन लोगों के खिलाफ शिकायत की, पर पुलिस उनकी नहीं सुनती. यह एक ऐसे दलित सांसद की कहानी है, तो साधारण गांव में रहने वाले दलितों का क्या हाल होगा, यह सोचना भी अंदाज से परे है. ■

छत्तीसगढ़

पर्सा ईस्ट केंटे बासन कोल माइन विस्तार परियोजना पर्यावरणीय जनसुनवाई

इसमें जन के मन की बात कहां है

शशि शेखर

11 सितंबर 2016 को सरगुजा ज़िले के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित पर्सा ईस्ट केंटे बासन कोल माइन के विस्तार के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. अदानी कंपनी द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की इस खदान की क्षमता 10 एमटीपीए से बढ़ाकर 15 एमटीपीए किये जाने को लेकर यह जनसुनवाई हुई. परंतु इस संबंध में तैयार की गई पर्यावरणीय जांच रिपोर्ट में कई अहम तथ्यों को छुपाया गया और इस परियोजना की एनजीटी द्वारा वन स्वीकृति के निरस्तीकरण या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस का कोई ज़िक्र ही नहीं किया गया.

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नोटिफिकेशन नियमों के अनुसार परियोजना से संबंधित गलत या भ्रामक जानकारी देना या किसी अहम जानकारी को छुपाना कानूनी अपराध है और परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के निरस्तीकरण का अपने आप में ही पूर्ण आधार है. इस संबंध में यह बात नोट करने लायक है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 23 मार्च 2014 को पर्सा ईस्ट केंटे बासन खदान की वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति को निरस्त कर दिया था और आदेश दिया था कि पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति इस परियोजना की पुनः जांच करे. साथ ही एक समग्र अध्ययन करे कि क्या यह क्षेत्र पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि कोयला खनन के लिए इसका विनाश नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि एनजीटी ने अपने फैसले में इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि वन सलाहकार समिति लगातार इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कोयला खनन का विरोध करती रही है. इस सलाह के उलट परियोजना को मिली वन डायवर्सन की स्वीकृति ना सिर्फ गैर कानूनी है, परन्तु इसमें कई अहम सवालों की अनदेखी की गयी है. एनजीटी ने कहा था कि इस क्षेत्र में भरपूर जैव विविधता, दुर्लभ पशु-पक्षी तथा हाथी कॉरीडोर होने की जानकारी के चलते खनन स्वीकृति से पूर्व इसका समग्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2014 को निर्देश दिए कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक और पर्यावरण मंत्रालय की जांच के पश्चात नए निर्देश आने तक मौजूदा खनन कार्य जारी रह सकता है. परन्तु सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया को नज़रंदाज़ कर और पर्यावरण मंत्रालय के वन सलाहकार समिति के किसी अध्ययन एवं अंतिम निर्देश के पूर्व ही इस खनन परियोजना का विस्तार किया जा रहा है. साथ ही कम्पनी के निर्देश पर तैयार पर्यावरणीय जांच रिपोर्ट ने यह तक बताना ज़रूरी नहीं समझा कि इस संबंध में कोई भी नई प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी. साथ ही इस परियोजना विस्तार के कारण वन सलाहकार समिति का लंबित अध्ययन ही बेमानी हो जाएगा क्यूंकि जांच का मूल आधार ही जांच से पूर्व नष्ट हो जाएगा. साफ़ है कि परियोजना विस्तार की यह मंशा कानूनी प्रक्रिया का एक भद्दा मज़ाक है और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के प्रति कंपनी की अत्यंत असंवेदनशीलता का गहरा उदाहरण है .

पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में हुई जनसुनवाई से एक और अहम सवाल उत्पन्न होता है. क्या ऐसे किसी परियोजना को नई पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है जिसकी वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति ही निरस्त हो चुकी हो या फिर क्या संवेदनशील इलाकों में वन स्वीकृति के बिना ही पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है. इसका जवाब शायद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 31 नवम्बर 2011 के निर्देश में ढूंढा जा सकता है जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि वन स्वीकृति के बिना या उसकी प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ना ही पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है और ना ही इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा सकती है. गौरतलब है कि इस निर्देश वाले पत्र का ज़िक्र तो कंपनी की रिपोर्ट में किया गया है लेकिन इस निर्देश के पालन की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया क्यूंकि कानूनी रूप से इस परियोजना की वन स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है. छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन ने 11 सितम्बर को होने वाली जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की थी. इस आंदोलन की मांग थी कि कंपनी द्वारा जनता को भ्रमित करने के प्रयासों को तुरन्त रोका जाए. साथ ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कानूनी निर्देशों का पालन करते हुए वन सलाहकार समिति को इस क्षेत्र के संपूर्ण समग्र अध्ययन के तुरंत निर्देश दे, जिसमें एनजीटी द्वारा निर्देशित सभी 7 मुद्दों और प्रश्नों की जांच शामिल हो. छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पूर्व इस परियोजना का कोई विस्तार नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा इस क्षेत्र के पर्यावरण, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति का विनाश हो जायेगा.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा एवं रायगढ़ जिलों में फैला हसदेव अरण्य वन एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. यह क्षेत्र संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आता है. यहां पर रहने वाले आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति और जीवन-शैली पूर्ण रूप से जंगल और खेती पर निर्भर है, जिसका वो पीढ़ियों से संरक्षण एवं संवर्धन करते आए हैं. यह इलाका बहुत ही समृद्ध तथा जैव विविधता से परिपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण वन्य-जीवों का आवास स्थल भी है. इसलिए यह वन सम्पदा न सिर्फ स्थानीय, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. 2009 में इस सम्पूर्ण कोल फील्ड को खनन के लिए नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था. लेकिन, इसके बाद भी इस इलाके में कोयला खदानों का आवंटन किया गया. छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन इस मसले पर कई वर्षों से विरोध करता रहा है.

इसकी मांग है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोयला खदानों को तुरंत निरस्त किया जाए और पूरे हसदेव अरण्य को खनन से मुक्त रखा जाए. इसके साथ ही हसदेव अरण्य क्षेत्र के करीब 20 ग्राम सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित कर यह साफ़ कर दिया था कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कोल ब्लॉक आवंटन और कोयला खनन का विरोध करेंगे. लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन के वक्त ग्राम सभाओं के इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. यहां के निवासियों का कहना है कि चूंकि हमारे क्षेत्र में पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया एक्ट, जो आदिवासी इलाकों को विशेषाधिकार देता है) लागू है, इसलिए किसी भी कोल ब्लॉक के लिए ग्राम अधिग्रहण करने से पहले सरकार को यहां की ग्राम सभाओं की अनुमति लेनी जरूरी है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ■

हसदेव अरण्य: एक जंगल के बर्बाद होने की कहानी

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र मध्य भारत के कुछ बड़े वन क्षेत्रों में से एक है. जैवविविधता से भरे इस क्षेत्र में कई दुर्लभ जड़ी-बूटियां और वन्यजीव आदि पाए जाते हैं. इस समृद्ध पर्यावरणीय क्षेत्र में, कोयला मंत्रालय के मुताबिक, 1878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बिलियन मीट्रिक टन कोयला का भंडार है. इसमें से 1502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है. 2010 में वन एवं कोयला मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी. इस रिपोर्ट के आधार पर हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित कर दिया गया. इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्र में कोई कंपनी जाकर खनन का काम नहीं कर सकती. इससे पहले भी राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को हाथी अभयारण्य घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी थी. लेकिन राज्य सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. ये कहा जाता है कि सीआईआई ने छत्तीसगढ़ में कोयले की प्रचुरता को देखते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताई थी. दरअसल, एक बार अगर कोई वन्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित हो जाता है तो उस इलाके में खनन कार्य नहीं किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

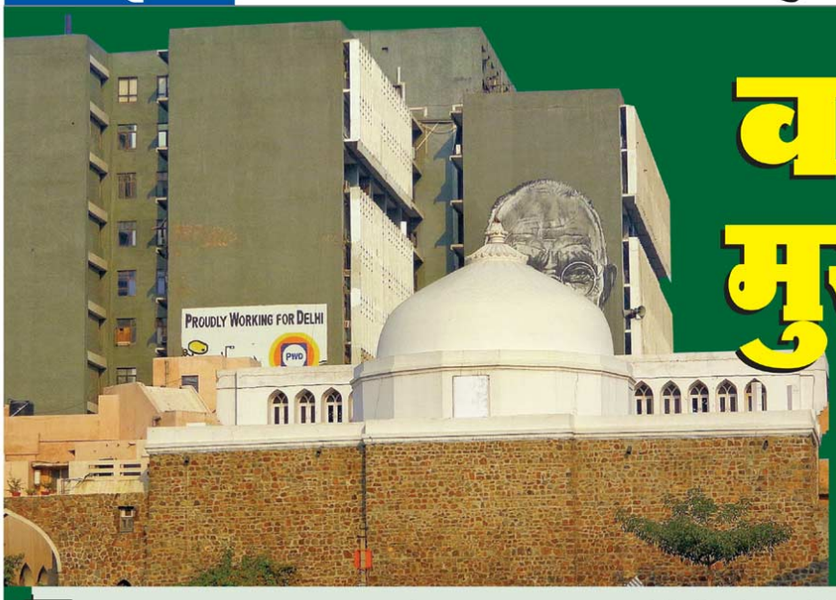

वक़्फ़ को मुसलमान ही डुबो रहे हैं

ए यू आसिफ

वक्फ जायदाद पर कब्जे की कहानी काफी पुरानी है. कभी ब्रिटिश सरकार ने तो कभी आजादी के बाद भारत सरकार ने, कभी मौकापरस्त तत्वों ने तो कभी खुद मुसलमानों ने इस पर कब्जा जमाया और इसका जमकर फायदा उठाया. इस पर मिर्जा गालिब का यह शेर पूरी तरह से सही बैठता है- मैंने माना कुछ नहीं गालिब/ मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है.

हद तो ये है कि इस जायदाद पर कब्जा जमाने में कोई किसी से कमतर नहीं है. इस हमाम में सभी नंगे हैं. ये अलग बात है कि कब्जे के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन इन कब्जों के कारण वक्फ जायदाद के जो उद्देश्य थे, वे धीरे-धीरे पीछे छूटते चले गए. अजीब बात तो यह है कि इन कब्जों के खिलाफ जो मुसलमान नेता आवाज उठाते दिखते हैं, वे भी इस धंधे में शामिल नजर आते हैं. जो मुस्लिम वकील वक्फ जायदाद के मुकदमों को देखते हैं, वे भी इन जायदाद के संरक्षकों से साठगांठ कर जायदाद से फायदा उठाने वालों में शामिल हो जाते हैं.

हैरानी की बात तो यह है कि नई दिल्ली में आईटीओ स्थित मस्जिद अब्दुन नवी और मस्जिद-ए-गौसीयान उर्फ झील की प्याऊ और इसके आसपास की जमीन का इस्तेमाल जमीयत उलमा-ए-हिंद के दोनों धड़े (मौलाना महमूद मदनी और मौलाना असद मदनी) बेधड़क कर रहे हैं. ये नामवर शख्सियत अपने इस्तेमाल में लाई जा रही इस जमीन के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं. लेकिन वक्फ के दूसरी जायदाद पर से कब्जे हटाने के लिए डंके की चोट पर आवाज उठाते हैं. तभी तो 27 अगस्त 2016 को इस्लामिक फिका एकेडमी के तत्वावधान में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मौलाना असद मदनी ने ये मांग की कि सभी वक्फ जायदाद से कब्जा हटाया जाए और उसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए.

अब रही बात जमीयत के दूसरे धड़े के नेता मौलाना महमूद मदनी की. वे भी अपने भाषणों में अक्सर वक्फ जायदाद की वापसी की बात करते रहते हैं, लेकिन मस्जिद-ए-अब्दुन नवी के संबंध में कुछ नहीं बोलते. मौलाना महमूद मदनी के आधिपत्य में मस्जिद-ए-अब्दुन नवी के आसपास की जमीन का मामला हाल में उस वक्त सामने आया जब 30 अगस्त 2016 को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्हें एक खत में साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली सरकार के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन में आईटीओ स्थित मस्जिद-ए-अब्दुन नवी वक्फ बोर्ड की जायदाद है और वहां के ट्रस्टी या प्रबंधन समिति में जमीयत के उलेमा का नाम लिखा है. सेक्शन ऑफिसर खुर्शीद आलम फारुकी के द्वारा लिखे गए पत्र में ये भी दर्ज है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को मालूम हुआ है कि मस्जिद-ए-अब्दुन नवी से संबंधित जो जायदाद हैं, वे प्रबंधन समिति द्वारा किराए पर दिए गए हैं. गौरतलब है कि इस खत के जरिए मौलाना महमूद मदनी को ये बताया गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 के सेक्सन 47 में कहा गया है कि सभी ट्रस्टी और व्यवस्था समितियों को वक्फ जायदाद का हिसाब-किताब वक्फ बोर्ड में दाखिल कराना लाजिमी है. लेकिन 1970 के बाद से अबतक जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अब तक ऑडिट नहीं कराया. लिहाजा वो जल्द दिल्ली वक्फ बोर्ड में अपनी हिसाब किताब का ऑडिट दाखिल करवाएं.

चौथी दुनिया की जांच के मुताबिक मस्जिद-ए-अब्दुन नवी और उसके आसपास की जमीन पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद (महमूद मदनी) द्वारा निर्माण कराई गई इमारतें भी हैं. इन इमारतों का निर्माण भी इस अंदाज से कराया गया है कि आईटीओ चौक से ये दिखाई नहीं देती हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये इमारतें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के करीब हैं. इस सिलसिले में जब भी जमीयत (महमूद मदनी) के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की गई तो जवाब मिला कि चौथी दुनिया ने ये बेवजह ये मसला छेड़ रखा है क्योंकि उसे ये अधिकार तो मुल्क के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया था. सवाल ये है कि वक्फ जायदाद को मौलाना आजाद ने किस हैसियत से जमीयत को दिया था और आखिर क्यों जमीयत इस संबंध में कोई दस्तावेज दिखाने से आनाकानी करती है.

उसी तरह जमीयत (अरशद मदनी) के मौलाना फजलुर्रहमान मथुरा रोड पर लिंक हाउस के सामने मस्जिद-ए-गौवसियान (झील की प्याऊ) में समय समय पर जमे रहते हैं. यही हाल आजाद मार्केट रोड (पुरानी दिल्ली) स्थित मस्जिद-ए-तकिया वाली का है, जहां बाहर से तो लगता है कि सिर्फ मस्जिद है लेकिन अंदर जाते ही काफी बड़ी इमारत दिखाई देती है, जिसमें मदरसा तजवीदुल कुरान और बहुत ही खूबसूरत आरामदायक मेहमान खाना है.

गौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान की अगुवाई में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वक्फ की जमीन लीज पर लेकर चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों और वक्फ की जमीन पर स्थित मस्जिदों के प्रांगण का किराया वसूल करने वालों पर शिकंजा कसा है. इस सिलसिले में न्यू होराइजन स्कूल और क्रिसेन्ट स्कूल के अलावा कस्तुरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद-ए-कर्जन को भी नोटिस भेजा गया है.

दिल्ली वक्फ बोर्ड के हरकत में आने और खुद मुस्लिम संगठनों और संस्थानों के द्वारा वक्फ जायदाद को इस्तेमाल करने की बात उठने से संबंधित संगठनों और संस्थानों में खलबली मची हुई है. इस संबंध में चौथी दुनिया ने सबसे पहले एक विशेष रिपोर्ट (अंक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2014) प्रकाशित की थी. उस वक्त ये रिपोर्ट दिल्ली के 123 वक्फ जायदाद की मालिकाना कब्जे से संबंधित फैसले की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी. इस रिपोर्ट में दिल्ली की 123 वक्फ जायदाद की सूची भी दी गई थी जो पहली बार किसी अखबार में छपी थी. दिलचस्प बात तो यह है कि जब इस संवाददाता ने बाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत कई संगठनों और संस्थानों से इस संबंध में जानकारी मांगी तो चौथी दुनिया की पहली रिपोर्ट के साथ-साथ यहीं प्रकाशित दूसरी रिपोर्ट दे दी गई.

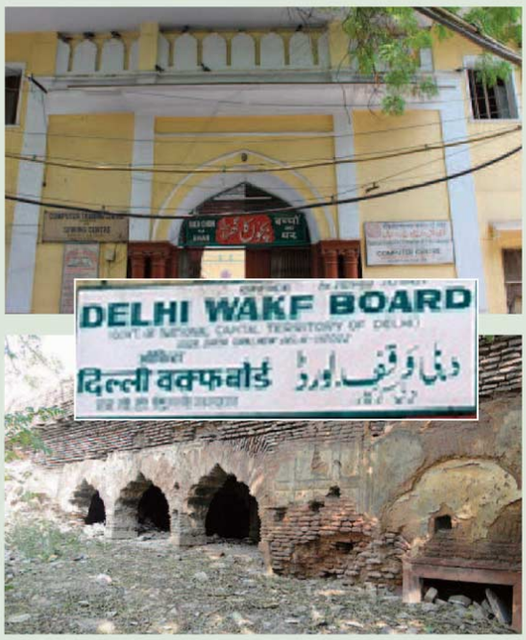

बहरहाल, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 123 वक्फ जायदादों की क्या हैसियत है? साल 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 123 वक्फ जायदाद में 61 लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जबकि शेष 62 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कब्जे में थी जिनमें से कुछ तो सरकार के इस्तेमाल में थी तो कुछ मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों के कब्जे में थी. इन जायदाद में ज्यादातर कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, पार्लियामेंट हाउस, करोल बाग, सदर बाजार, आजाद मार्केट, दरियागंज, आईटीओ, निजामुद्दीन और जंगपुरा में स्थित है. हर जायदाद से एक मस्जिद लगी हुई है जबकि कुछ में दुकानें और मकान भी हैं.

वक्फ की जायदाद आम लोगों की भलाई के लिए एक बेहतरीन और कारगर जरिया होती है. भारत में कुल 60 लाख एकड़ जमीन पर 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद है. इन जायदादों की व्यवस्था अगर बेहतर तरीके से की जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हर क्षेत्र के पिछड़ेपन को आसानी से दूर किया जा सकता है. गौरतलब है कि 1980 के दशक में जब शाहबानो मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था तो मुसलमानों में बहुत बेचैनी पैदा हुई थी. तब मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताते हुए उसे अध्यादेश के जरिए दुरुस्त करने की अपील की थी. राजीव गांधी उनकी बात से संतुष्ट तो हो गए मगर फौरन सवाल किया कि शाहबानो जैसी महिलाओं का क्या हश्र होगा? उनकी खबर कौन लेगा? तब मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने कहा था कि अगर वक्फ जायदाद की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया तो इस तरह की तमाम समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं. मौलाना की यही दलील थी जिससे राजीव गांधी कुछ हद तक संतुष्ट हो गए और सुप्रीम कोर्ट की मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लटकी तलवार टल गई थी. मगर 30 वर्ष बाद वक्फ कानून में कई बदलाव और कई प्रयासों के बाद आज भी वक्फ जायदाद की व्यवस्था की समस्या जस की तस बनी हुई है. तुर्रा ये कि इन जायदादों के साथ खिलवाड़ और राजनीति का बाजार गरम है और कुछ जायदादों के साथ तो सौदेबाजी तक हो रही है.

विडंबना तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी इस संबंध में अपना रुख साफ नहीं करता है. तभी तो मुंबई में सुप्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के 27 मंजिला इनटेलिया महल के संबंध में उनके हक में मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में बार-बार स्टे मिलता जा रहा है. विडंबना यह है कि इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनी सलाहकार और मशहूर वकील युसूफ हातिम मछाला मुकेश अंबानी के वकील के तौर पर काम कर रहे हैं. मछाला ने इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट में अंबानी की वकालत की थी और उनके एंटेलिया महल के हक में फैसला कराने में कामयाब हुए थे. और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहां भी ये अंबानी को बार बार स्टे दिलाते आ रहे हैं.

कहानी ये है कि मुकेश अंबानी ने मस्जिद और यतीम खाने को तोड़ कर वक्फ की जमीन को खरीद लिया था और फिर उसपर 27 मंजिला एंटेलिया महल का निर्माण हुआ था. जब उस समय मुंबई में हो रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई तो बोर्ड के जेनरल सेक्रेटरी मौलना सैयद निजामुद्दीन ने यह कहकर इसे उठाने से इनकार कर दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ बाबरी मस्जिद और उसके साथ की वक्फ की जमीन के मामलों को देखता है, बाकी के अन्य मामलों को नहीं देखता. जाहिर है मौलाना निजामुद्दीन का यह रवैया युसूफ हातिम मछाला के मुकेश अंबानी के वकील होने के कारण था.

यह कैसी अजीब बात है कि ऐसे मुसलमान शख्सियत, जिनपर मुसलमान ही नहीं बल्कि संजीदा गैर मुस्लिमों को भी भरोसा है, सरकार और दूसरे स्वार्थी तत्वों के जरिए वक्फ जायदाद पर कब्जे की बात तो करते हैं, लेकिन जब मामला उन्हीं लोगों में से किसी एक से जुड़ा होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चुप्पी साध लेते हैं. ■

विडंबना तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी इस संबंध में अपना रुख साफ नहीं करता है. तभी तो मुंबई में सुप्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के 27 मंजिला इनटेलिया महल के संबंध में उनके हक में मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में बार-बार स्टे मिलता जा रहा है. विडंबना यह है कि इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनी सलाहकार और मशहूर वकील युसूफ हातिम मछाला मुकेश अंबानी के वकील के तौर पर काम कर रहे हैं. मछाला ने इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट में अंबानी की वकालत की थी और उनके एंटेलिया महल के हक में फैसला कराने में कामयाब हुए थे. और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहां भी ये अंबानी को बार बार स्टे दिलाते आ रहे हैं.

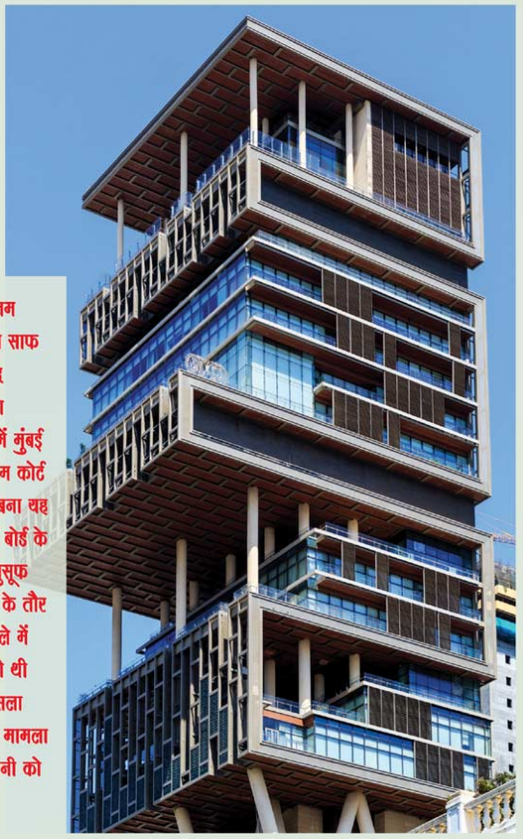

feedback@chauthiduniya.com

नदियां थमीं पर सियासत उफान पर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में बाढ़ से अब तक पंद्रह हजार करोड़ रुपए क्षति का अनुमान जाहिर किया है. आरंभिक आकलन के अनुसार सूबे में बाढ़ से अब तक कोई चार सौ करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हुआ है. पच्चीस हजार से अधिक घर ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए हैं. बाढ़ से इस साल मरनेवालों की संख्या कोई पौने दो सौ है. सार्वजनिक संपत्ति की क्षति का आकलन किया जा रहा है. बड़े पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल-पुलिया टूटे हैं, स्कूल और अस्पताल भवनों को क्षति पहुंची है. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पथ निर्माण विभाग के अफसरों-अभियंताओं को एक हफ्ते के भीतर क्षति की जानकारी देने का आदेश दिया. ऐसी ही जानकारी भवन निर्माण व सिंचाई, बिजली व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों से भी मांगी गई है. सारा दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लेना है ताकि मॉनसून व त्योहारी मौसम के समाप्त होते ही क्षति को ठीक करने का काम आरंभ कर दिया जाए. सूबे के अफसरों के अनुसार बाढ़ से क्षति के आकलन के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल के जल्द आने की उम्मीद है.

सरोज सिंह

राजधानी पटना से बीस किलोमीटर दूर वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के पास बाढ़ पीड़ितों के एक राहत शिविर में वितरण के लिए खाद्य सामग्री जा रही थी, लेकिन राहत शिविर में पहुंचने के पहले ही बाढ़ पीड़ितों के एक समूह ने उसे लूट लिया. यह सामग्री सरकारी एजेंसी का नहीं, बल्कि किसी स्वयंसेवी संगठन का था. कटिहार जिले के बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण के लिए कुछ खाद्य सामग्री जा रही थी. लेकिन खस्ताहाल सड़क होने के कारण वाहन से कुछ बोरा चूड़ा और फरही गिर गई. फिर क्या था, छीना-झपटी मच गई. इस लूट में किसी के हिस्से कुछ आया और किसी के हिस्से मात्र बोरे का टुकड़ा. पटना के एक राहत शिविर में दियारा के बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चे और महिलाएं रह गई हैं. पर इनका राशन बड़ी मुश्किल से आ रहा है. चौबीस घंटे में दो बार इन्हें खाना मिलता है- दाल-भात और आलू की सब्जी, पर दूर-दराज के राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को यह सौभाग्य भी नहीं हासिल है. दूसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं. बाढ़ पीड़ितों को राहत का श्रेय लूटने की भी स्थानीय दबंगों में होड़ मची है. ऐसी ही होड़ में भोजपुर में दो स्थानीय दबंगों के समर्थकों के बीच गोली चल गई. कहते हैं, इस गोलीबारी में एक की मौत भी हो गई, हालांकि प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है. ये कुछ बानगी हैं, लेकिन इस मोर्चे पर सूबे की सियासत मौन है. बाढ़ राहत के नाम पर एक हफ्ता पहले तक राजनीतिक दलों में जो तेजी दिखती थी, वह पानी उतरने के साथ खत्म हो गई है. उफनती नदियों के पानी को फिलहाल उतरने के लिए ढलान मिल गया, तो राजनीति को भी कोई नया मसला.

बिहार में बाढ़ आती है तो नदियां ही नहीं, सियासत भी उफान मारने लगती है. जैसे बाढ़ के पानी में सब गंदगी बहकर आ जाती है वैसे ही सियासतदानों की सारी मर्यादा भी सतह पर दिखने लगती है. बाढ़ की बहती गंगा में हर राजनेता, चाहे वह जिस स्तर और हैसियत का हो, अपने हाथ धोता है और सियासत के पानी को थोड़ा और दूषित कर देता है. गत कई दशकों से यहां 'यह मेरी राहत, यह तेरी राहत' की सियासत अपनी जगह बनाती रही है. इस बार तो यह चरम पर पहुंच गई, एक ने कहा, बिहार में घुसने नहीं देंगे, तो दूसरे ने कहा कि बिहार किसी ने रजिस्ट्री नहीं करवा ली. ये कुछ नमूने मात्र हैं, इस बार बाढ़ के दौरान सुप्रीमो के प्रियपात्र मुंहलगुआ राजनेताओं ने ऐसे जुमले खूब बरसाये और राजनीति में शुचिता के पैरोकार सुप्रीमो ने जमकर ठहाके लगाए. बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल और राहत शिविरों का जायजा लेने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद एक शिविर में गए और वहां खाना क्या खा लिया, जद (यू) के प्रवक्ता ने उन्हें बेशर्म करार दे दिया. यहां तक कह दिया कि खाते हैं बिहार का, गाते हैं केंद्र सरकार का. अब इन प्रवक्ता साहब को कौन बताए कि

पैसा तो आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का ही है, वह चाहे राज्य के जरिए आए या केंद्र के. बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में कथित देरी की बात करते हुए एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विफल रही, तो जद(यू) के प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र में बिहारी मंत्री यदि प्रधानमंत्री और केन्द्र की विशेष राहत सहायता के बगैर बिहार आएंगे, तो किसी को सूबे में घुसने नहीं दिया जाएगा. प्रवक्ता महोदय को संविधान की रक्षा की अपनी शपथ की याद भी नहीं रही. इस दौर में उन केन्द्रीय मंत्रियों या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भी खूब दर्शन हुए जो कुछ बोलना है, इसलिए बोल लेते हैं, भले वह निराधार ही क्यों न हो. इसमें सबसे उत्तम उदाहरण रामविलास पासवान का है. खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास ने बार-बार कहा कि बिहार सरकार गैर जिम्मेवार है और बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए अब तक कुछ भी नहीं मांगा है. फिर भी उन्होंने अपनी पहल पर बिहार को बीस लाख टन अनाज भेजने का दावा किया. यह किसी की समझ से परे है कि बगैर राज्य सरकार की मांग के ही राहत के नाम पर अनाज कैसे भेज दिया गया? सरकार तो किसी नियम-कायदे से ही चलती है, किसी की मनमर्जी से तो नहीं!

बाढ़ पीड़ितों को राहत का श्रेय लूटने की भी स्थानीय दबंगों में होड़ मची है. ऐसी ही होड़ में भोजपुर में दो स्थानीय दबंगों के समर्थकों के बीच गोली चल गई. कहते हैं, इस गोलीबारी में एक की मौत भी हो गई, हालांकि प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है. ये कुछ बानगी हैं, लेकिन इस मोर्चे पर सूबे की सियासत मौन है. बाढ़ राहत के नाम पर एक हफ्ता पहले तक राजनीतिक दलों में जो तेजी दिखती थी, वह पानी उतरने के साथ खत्म हो गई है. उफनती नदियों के पानी को फिलहाल उतरने के लिए ढलान मिल गया, तो राजनीति को भी कोई नया मसला.

श्रेय पाने के होड़ में आपदा राहत के संदर्भ में वास्तविकता की जानकारी कोई नहीं देना चाहता है. आपदा राहत कोष की एक व्यवस्था है जिसके तहत किसी राज्य को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मदद मिलती है. बिहार के लिए यह कोष तीन सौ सत्तर करोड़ रुपए का है और इसमें राज्य व केन्द्र की बराबर की हिस्सेदारी है. इस रकम के कस्टोडियन महालेखाकार होते हैं. विशेष अवस्था में अधिक रकम खर्च करने की भी व्यवस्था की गई है, पर इस 370 करोड़ रुपए के अलावा. बिहार में यह रकम खर्च हो गई है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. फिर, विशेष राहत राशि के लिए राज्य को विशेष ज्ञापन देना होता है और यह मांग क्षति के आकलन के बाद ही की जा सकती है. इस साल की बाढ़ की क्षति का आकलन होना है और ऐसे आकलन और उस पर केन्द्र की सहमति बनने के बाद ही कुछ अधिक हो सकता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार को क्षति का आकलन करने को कहा है. इसके बाद वे केंद्र के समक्ष अपनी मांग पेश करेंगे, लेकिन बिहार को कोसी त्रासदी (सन 2008) का अनुभव है. उन दिनों लालू प्रसाद केंद्र में मंत्री थे और अपनी पहल पर प्रधानमंत्री को बिहार की बाढ़ दिखाने लेकर आए थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा भी की थी, लेकिन इस बार बिहार के किसी राजनेता ने ऐसी कोई पहल अब तक नहीं की है. वैसी पहल से बिहार को विशेष राहत दिलवाई जा सकती है. ऐसी पहल तो एनडीए के नेताओं को ही करनी चाहिए. बिहार सरकार की तत्परता और राजग नेताओं की सक्रियता की जरूरत है. इन दोनों फ्रंट पर अब भी बहुत कुछ करना है. यह कौन करेगा? इस पर बिहार का दोनों पक्ष- सत्ता और विपक्ष- मौन है. अपनी-अपनी सक्रियता को दरकिनार कर दोनों पक्ष बयान-युद्ध में फंस गए हैं.

बिहार में बाढ़ का यह दौर थम गया है. इस दूसरे चरण की बाढ़ में गंगा की दोनों तरफ के कोई डेढ़ दर्जन जिलों में तबाही मचाने के बाद सोन नद सहित गंगा व उसकी सहायक नदियां अपने दायरे में सिमट सी गई हैं. अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इनकी उफान ने सूबे के कई इलाकों में जल प्रलय जैसा दृश्य पैदा कर दिया था. केवल इस दौर की बाढ़ में कोई सैंतीस लाख की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हुई. बक्सर से लेकर भागलपुर से आगे झारखंड की सीमा तक इस बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों की जान गई, पांच लाख से अधिक लोग बेघर हो गए. राज्य सरकार के अधिकारियों पर भरोसा करें तो पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ढाई हजार से अधिक नावों का इंतजाम किया गया था. सरकार ने पांच सौ चौवालीस राहत शिविर बनाए, जिनमें तीन लाख से अधिक बेघरों को आश्रय देने का दावा किया गया है. इन शिविरों में हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराई गई. बाढ़ पीड़ितों के लिए दाना-पानी के साथ-साथ बीमार के लिए दवा और बच्चों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई. कटिहार, भागलपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय आदि कई जिलों में अनेक राहत शिविर अब भी चल रहे हैं. इस साल बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री की एयरड्रॉपिंग नहीं कराई गई, ताकि राहत सामग्री बर्बाद न हो और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. सरकार ने इस बार पीड़ितों को हाथों-हाथ राहत सामग्री देने की व्यवस्था की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में बाढ़ से अब तक पंद्रह हजार करोड़ रुपए क्षति का अनुमान जाहिर किया है. आरंभिक आकलन के अनुसार सूबे में बाढ़ से अब तक कोई चार सौ करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हुआ है. पच्चीस हजार से अधिक घर ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए हैं. बाढ़ से इस साल मरनेवालों की संख्या कोई पौने दो सौ है. सार्वजनिक संपत्ति की क्षति का आकलन किया जा रहा है. बड़े पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल-पुलिया टूटे हैं, स्कूल और अस्पताल भवनों को क्षति पहुंची है. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पथ निर्माण विभाग के अफसरों-अभियंताओं को एक हफ्ते के भीतर क्षति की जानकारी देने का आदेश दिया. ऐसी ही जानकारी भवन निर्माण व सिंचाई, बिजली व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों से भी मांगी गई है. सारा दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लेना है ताकि मॉनसून व त्योहारी मौसम के समाप्त होते ही क्षति को ठीक करने का काम आरंभ कर दिया जाए. सूबे के अफसरों के अनुसार बाढ़ से क्षति के आकलन के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल के जल्द आने की उम्मीद है. इस उम्मीद का आधार गाद (सील्ट) की समस्या को लेकर नीतीश कुमार की अपील पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया ही है. मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही ऐसा अध्ययन दल बिहार भेजने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया था. उनके इस अनुरोध के बाद ही गंगा व उसकी सहायक नदियों में गाद की समस्या व उसके समाधान के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों का केन्द्रीय दल यहां आया है. यह दल बक्सर से लेकर फरक्का तक की गाद की हालत का अध्ययन-विश्लेषण कर रहा है. राजनीति को दर किनार कर दें, तो केन्द्र की यह तत्परता नई उम्मीद जगाती है. दूसरे दौर की बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है और राहत शिविर से लोग गांव-घर की ओर लौटने लगे हैं, लेकिन अब भी राहत शिविर खाली नहीं हुए हैं. कई शिविरों में बच्चे और महिलाएं हैं ही. बिहार में बाढ़ के आने की आशंका पंद्रह अक्टूबर तक बनी रहती है. ऐसे में लोग-बाग सुरक्षित जगह जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर राहत शिविरों की हालत अब खराब होने लगी है. समस्तीपुर, भागलपुर, वैशाली कटिहार आदि जिलों के शिविरों की बात तो जाने दीजिए, पटना के राहत शिविरों में भी लोगों की परेशानी काफी बढ़ रही है. मौकों से जो खबरें आ रही हैं, वे राहत कम और लोगों की परेशानी ज्यादा बयाँ कर रही हैं.

बाढ़ और बाढ़ राहत को लेकर सूबे की राजनीति का भी पानी इस बार खूब चढ़ा-उतरा है. हालांकि बिहार की राजनीति का यह सालाना दस्तूर है. पिछले कई दशकों से केन्द्र और राज्य की सरकारें विरोधी राजनीतिक ध्रुवों की रही है, लिहाजा बाढ़ आने पर सूबे के राजनीति समूह भी दो पाट में बंटी रहती है. केन्द्र सरकार विरोधी और राज्य सरकार विरोधी. यह दोषारोपण की बाढ़ का भी मौसम होता है. सूबे में पानी से तबाही के लिए राज्य की सत्ता पर काबिज समूह केन्द्र को जिम्मेवार बताते रहते हैं, जबकि केन्द्र में सत्तारूढ़ समूह राज्य सरकार के नेतृत्व को. इस बार भी ऐसा ही हुआ है. उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में पहले जब बाढ़ आई तो नेपाल को जिम्मेवार बता दिया गया. दूसरे चरण की बाढ़ के लिए पड़ोसी राज्यों की वर्षा को. इस चरण की बाढ़ का बड़ा कारण फरक्का बराज और उसके कारण गंगा व सूबे की अन्य नदियों की गाद समस्या की केन्द्र सरकार की अनदेखी को जिम्मेवार बताया गया. ये दोनों बातें अपने तई सही हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि इन समस्याओं को बिहार का राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्व बाढ़ आने पर ही क्यों देखता है? साल के आठ महीने ये समस्याएं हमारी चिंता के दायरे में क्यों नहीं आती हैं और इस पर हम बात क्यों नहीं करना चाहते? बिहार की नियति में बाढ़ है और इससे यह प्रदेश मुक्त नहीं हो सकता. इसका भूगोल ऐसा है कि यहां हर साल बाढ़ आना है. यह बिहार के लिए अतिथि नहीं है, जुलाई से सितम्बर तक यह कभी भी आ सकती है, बार-बार आ सकती है और आती है. लिहाजा इसकी तबाही कम करने की कल्पनाशील और ठोस योजना चाहिए. बाढ़ प्रबंधन- जल प्रबंधन- की ठोस योजना चाहिए, पर बिहार का राजनीतिक, प्रशासनिक व तकनीकी नेतृत्व इस दिशा सोचने-करने में कतई उत्सुक नहीं दिखता है. सत्ता हो या विपक्ष-वह चाहे जिस राजनीतिक समूह का हो- इस पर सोचना नहीं चाहता है. उसकी इस लापरवाही का खामियाजा बिहार भुगत रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

बेरोज़गारी और भुखमरी से बदहाल उत्तर प्रदेश में

नौ करोड़ की चाय सुड़क गए मंत्री

अखिलेश यादव सरकार के मंत्रियों के चाय नाश्ते पर पिछले चार साल में आठ करोड़ 78 लाख 12 हजार 474 रुपये खर्च हुए. चाय पर सरकारी धन लुटाने में अखिलेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुणा कोरी अव्वल रहीं. उन्होंने पिछले चार साल के दौरान 22 लाख 93 हजार 800 रुपये खर्च किए. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने चाय-पानी पर 22 लाख 85 हजार 900 रुपये खर्च किए. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा चाय भी पीते हैं. उन्होंने पिछले चार साल में 22 लाख 86 हजार 620 रुपये की चाय पी. चाय-पानी पर हुए खर्चे का यह ब्यौरा 15 मार्च 2012 से लेकर 15 मार्च 2016 के बीच का है, यानी अखिलेश सरकार के कार्यकाल का.

लूफी यायावर

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपना बकाया पाने की आशा में बर्बाद हो रही हैं. बेरोजगारी चरम पर है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन हो रहा है और लोग मजदूरी करने के लिए अभिशप्त हैं, उसी प्रदेश में नेता करोड़ों की चाय गटक रहा है. यह आधिकारिक तथ्य है, कोई आरोप नहीं है.

अखिलेश यादव सरकार के मंत्रियों के चाय नाश्ते पर पिछले चार साल में आठ करोड़ 78 लाख 12 हजार 474 रुपये खर्च हुए. चाय पर सरकारी धन लुटाने में अखिलेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुणा कोरी अव्वल रहीं. उन्होंने पिछले चार साल के दौरान 22 लाख 93 हजार 800 रुपये खर्च किए. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने चाय-पानी पर 22 लाख 85 हजार 900 रुपये खर्च किए. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा चाय भी पीते हैं. उन्होंने पिछले चार साल में 22 लाख 86 हजार 620 रुपये की चाय पी. चाय-पानी पर हुए खर्चे का यह ब्यौरा 15 मार्च 2012 से लेकर 15 मार्च 2016 के बीच का है, यानी अखिलेश सरकार के कार्यकाल का.

चाय और नैतिकता दोनों ही पी गए दिल्ली के मंत्री

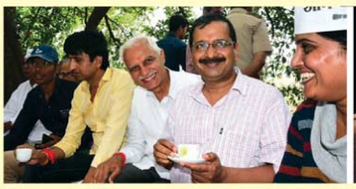

दिल्ली में भी नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार डेढ़ साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की चाय पीकर बदनाम हो चुकी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी के नेता और आम आदमी की सरकार बताते रहे और सरकारी खजाने के मत्थे गटागट चाय सुड़कते रहे. जबकि केजरीवाल के मंत्रिमंडल में गिने-चुने आधा दर्जन सदस्य ही हैं. आधिकारिक तथ्य है कि 18 महीने में केजरीवाल सरकार ने एक करोड़ रुपये की चाय-कॉफी पी ली. इसमें सबसे ज्यादा चाय खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पी है. केजरीवाल 47.29 लाख रुपये की चाय पी गए.

दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर पर रहे. उन्होंने 11 लाख, 28 हजार 429 रुपये की चाय पी. परिवहन मंत्री रहे गोपाल राय 11 लाख, छह हजार, 272 रुपये की चाय पी गए तो महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री संदीप कुमार नौ लाख, 11 हजार, 179 रुपये की चाय पी गए. उनकी हवस तो इतनी बढ़ी कि नैतिकता भी पी गए और अब बलात्कार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नौ लाख, 10 हजार, 311 रुपये की चाय पी तो पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा छह लाख, 30 हजार, 90 रुपये और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री 18 महीने में पांच लाख, 89 हजार 121 रुपये की चाय पी गए थे.■

कैलाश चौरसिया

अरुणा कोरी

मुख्यमंत्री ने इस पर सफाई दी कि एक मंत्री चाय-पान के लिए रोज 2500 रुपये खर्च कर सकता है और राज्य के बाहर उसे चाय नाश्ते पर 3000 रुपये रोज खर्च करने का अधिकार है. सपा सरकार से पिछले साल अक्टूबर में निकाले गए पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया ने अपने कार्यकाल के दौरान 21 लाख 93 हजार 900 रुपये चाय-पानी पर खर्च किए थे. चाय पीने में महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शादाब फातिमा सबसे आखिरी पायदान पर हैं. हालांकि उनका कार्यकाल भी अधिक नहीं हुआ है, लिहाजा चाय पीने की गति मुकाबले में मानी जा सकती है. उन्होंने महज एक साल के कार्यकाल में चाय-पानी पर 72 हजार 500 रुपये खर्च किए. चाय-पानी पर 21 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने वाले मंत्रियों में आबकारी मंत्री रामकरन आर्य, जलसंसाधन मंत्री जगदीश सोनकर शामिल हैं.

मंत्रियों को सरकारी खजाना लुटाने की हवस है. वे अपने वरिष्ठ मंत्रियों से सीख भी नहीं लेते. अखिलेश सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने चाय-पानी पर सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया. वहीं, कैबिनेट मंत्री राजा भैया ने चाय-पानी पर साढ़े सात लाख रुपये खर्च किए.■

feedback@chauthiduniya.com

कोकराझार से कश्मीर की शांति यात्रा के मायने

कुमार कृष्णन

कोकराझार से कश्मीर तक की साइकिल यात्रा आरंभ हो गयी है. साठ दिनों का सफर तय करते हुए यह यात्रा कश्मीर पहुंचेगी. कोकराझार असम के दक्षिण पश्चिम में है. यह क्षेत्र बोडोलैंड टैरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्स के अंतर्गत आता है. इसके अंतर्गत असम के और तीन जिले चिरांग, बाक्सा और उदालगिरि आते हैं. चार साल पहले यहां भीषण नस्लीय हिंसा हुई थी. यह हिंसा न सिर्फ बोडोलैंड टैरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्स के लिए बल्कि पूरे असम के लिए संकट का दौर था. इस हिंसा में 114 लोग मारे गए थे और चार लाख लोग बेघर हो गए थे. नस्लीय हिंसा में सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे. बोडो और मुस्लिम के बीच अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही थी. कोकराझार और चिरांग में हजारों लोग अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेने को बाध्य हो गए थे. जातीय हिंसक संघर्ष स्थायी तत्व बनता जा रहा था. बोडो, बंगाली मुस्लिम व आदिवासियों के बीच जनसंख्या में बोडो 5 प्रतिशत हैं और मुस्लिम आबादी 33 प्रतिशत है. बोडो व गैर बोडो समुदायों के बीच गहरे अविश्वास का फायदा कुछ असामाजिक तत्व बखूबी उठा रहे थे.

जयनाल हुसैन कहते हैं कि इस माहौल के बीच सर्वसेवा संघ गांधीजनों ने पहल की और इस क्षेत्र के बोडो, मुस्लिम, असमी, राजबंशी राभा, नेपाली, संथाली आदिवासी, बिहारी, बंगाली को दहशत से उबारकर यहां संवाद का माहौल बनाया.

चंदन पाल के मुताबिक पिछले चार वर्षों से बोडोलैंड टैरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्स के चार कोकराझार, चिरांग, बाक्सा, उदालगिरि और आसपास के कुछ जिलों के ग्राम मुखिया युवा पीढ़ी, शिक्षकों को एकजुट कर शांति की पहल की.

हिंसा के लिए बदनाम कोकराझार से पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं यहां के युवक और युवतियां. इसे नेतृत्व प्रदान कर रही हैं सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेत्री राधा भट्ट. गत तीन सितंबर को यह यात्रा बीटीडीए के सचिवालय भवन से आरंभ हुई. इस यात्रा को बीटीसी के उपप्रमुख खंपा बरगयारी, बीटीसी के पर्यटन विभाग के प्रमुख मोहनब्रह्म ने रवाना किया. यह यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गयी है. जगह-जगह लोगों में बढ़ती हिंसा के प्रति आम लोगों की चिंता यात्रा के प्रति दिलचस्पी से परिलक्षित हो रही है. यह यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर की 3500 किलोमीटर सफर तय कर श्री नगर में पूर्ण होगी.

इस यात्रा में असम के सिंग, नेपाली, बिहारी, बंगाली और असमी समुदाय का प्रतिनिधित्व है. इस यात्रा की खासियत है कि तीन युवतियां आशा बसुमतारी, जमुना बसुमतारी, जयश्री राय भी साइकिल चलाकर सफर में शामिल हैं. इनके अभिभावकों ने शांति और भाइचारे की अहमियत को समझा है. इसके अलावा लखिन्द्र बसुमतारी ने उन्हें यह पैगाम लोगों तक पहुंचाने को कहा है. इसके अलावा विनय खुंगर ब्रह्मा, धनंजय नाथ, महेन्द्र नाथ, खारगेश्वर नाथ, अमर कुमार दत्त, हर कुमार नाथ, गुतल बसुमतारी, अब्दुल मोजीद, शहीदुल इस्लाम, शोइदुल इस्लाम, बैदुल इस्लाम, इदी मुसाराय, विम्बेश्वर गोरई, धर्मेन्द्र राजपूत, जायनाल होसेन हैं. यहां के लोगों ने कभी अपना अमन-चैन खोया था, लेकिन अब ये लोग देश के प्रति अपने फर्ज को समझ रहे हैं. 'हिंसा नाई, शांति चाई' नारे के उद्घोष के साथ निकल पड़े हैं. इनका सड़कों पर आना दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है. इसका एक उदाहरण जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी के सुकांता महाविद्यालय में देखने को मिला. जब वे लोग यहां पहुंचे तो कई कॉलेज के युवक और युवतियां भी इनके साथ चलने लगीं. दरअसल वे यह संदेश दे रहे थे कि हिंसा पर चुप्पी कतई उचित नहीं है. इसके विरोध में चुप्पी तोड़कर आगे आना होगा. अमन-चैन की बहाली के लिए जगह-जगह लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है.

यात्रा में शामिल युवक अशांति और अहिंसा के कारकों तथा देश के ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यात्रा ने कहा है कि यात्रा अपने मकसद में कामयाब हो. त्रिपुरा के हरिपद विश्वास कहते हैं कि यह एक सार्थक पहल है. सर्वोदय समाज के आदित्य पटनायक कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने जा रहे हैं तो गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोगों तक उनके संदेश को पहुंचाया जाए. असम में जो पहल चार वर्ष पहले शुरू की गई थी, उसे अब यहां के युवक दूसरे क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, यह एक अहम बात है.

यात्रा में शामिल युवक अशांति और अहिंसा के कारकों तथा देश के ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यात्रा ने कहा है कि यात्रा अपने मकसद में कामयाब हो. त्रिपुरा के हरिपद विश्वास कहते हैं कि यह एक सार्थक पहल है. सर्वोदय समाज के आदित्य पटनायक कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने जा रहे हैं तो गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोगों तक उनके संदेश को पहुंचाया जाए. असम में जो पहल चार वर्ष पहले शुरू की गई थी, उसे अब यहां के युवक दूसरे क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, यह एक अहम बात है.

हिंसा के खिलाफ नहीं चेते तो मानव के लिए ख़तरा: राधा भट्ट

राधा भट्ट का नाम आज गांधी-विनोबा युग के बचे हुए थोड़े से गांधीवादियों में प्रमुखता से शुमार किया जाता है. वे आज देश और दुनिया के शीर्षस्थ गांधीवादी संस्थाओं और संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और इन पदों की जिम्मेदारियों का निर्वाह एक मिसाल की तरह करती रही हैं.

वे अपने जीवन के 83वें साल के सफर में आज जिस मुकाम पर हैं, वह उनकी सूझ-बूझ, दृढ़ता और हिम्मत की उपलब्धि है. वे इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं. उनका कहना है कि पूरी दुनिया में हिंसा हद से ज्यादा पार कर गयी है. ग्वाटेमाला हो या मैक्सिको या उत्तरी अमेरिका, हर जगह हिंसा के कारण लोग विस्थापित हो रहे हैं. ऐसे समय में ये बच्चे समानता, अहिंसा का संदेश देने को निकले हैं. शांति और सद्भाव लोगों की मौलिक भूख है. इस यात्रा को पूरे विश्व की हिंसा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. पिछले चार वर्षों से शिविरों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. इसका नतीजा यह निकला है एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच नफरत की आग खत्म हो गयी है. कश्मीर तक की यात्रा के सवाल पर उनका कहना है कि जितना संवेदनशील कश्मीर है, उतना ही संवेदनशील है असम. आज संवेदना का स्तर कम हो रहा है. उस संवेदना के स्तर को जगाने की आवश्यकता है. कट्टरता समाज के लिए घातक है, तो फिर क्यों न अहिंसावादी इस कट्टरता के खिलाफ बड़ी लकीर खींचें.

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

शिमला समझौता और इंदिरा-शेख समझौता ही कश्मीर समस्या का समाधान है

कश्मीर में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए. आप कम से कम सत्ता छोड़ दीजिये और महबूबा मुफ़्ती को सरकार चलाने दीजिए और उन्हें बाहर से समर्थन दीजिए. यदि आप कश्मीर में बने रहना चाहते हैं तो कम से कम कश्मीर की जनता को यह यकीन दिलाइए कि आर्टिकल 370 पर आप का दृष्टिकोण बदल गया है और यह हमेशा के लिए रहेगा. क्या भाजपा यह कहने के लिए तैयार है कि आर्टिकल 370 हमेशा के लिए बना रहेगा? या यह कि जो कांग्रेस कहती है कि आर्टिकल 370 तब तक बना रहेगा जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इसे कायम रखना चाहते हैं.

कश्मीर ने पिछले कुछ हफ्तों से लगातार देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है. कुल 72 लोग मारे जा चुके हैं और अशांति अब भी बरक़रार है. जो सवाल हर व्यक्ति पूछ रहा है, वह यह है कि कश्मीर समस्या का समाधान क्या है? लेकिन इस सवाल से पहले यह पूछा जाना चाहिए कि कश्मीर समस्या आखिर है क्या? कश्मीर समस्या के दो पहलू हैं. पहला, पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर 1947 से ज़बरदस्ती, गैरकानूनी ढंग से कब्ज़ा कर रखा है. वर्ष 1947 के बाद से वहां युद्ध विराम लागू है. यह मामला भारत और पाकिस्तान को आपस में सुलझाना है. इस मसले पर इतना कहना काफी है कि संयुक्तराष्ट्र संघ के प्रस्तावों, जिनमें जनमत संग्रह, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान सेना की वापसी आदि शामिल हैं, का अब कोई अर्थ नहीं है. एक तो पाकिस्तान ने तीन महीने के भीतर अपनी सेनाएं वापस नहीं बुलाई और दूसरी यह कि जनमत संग्रह उस समय की आबादी के हिसाब से होना था, अब यह नामुमकिन है. लिहाज़ा यह विचार बहस से ख़ारिज है.

दूसरा पहलू यह है कि वर्षों पहले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत 1971 युद्ध में क़ब्ज़ा की गई भूमि आदि दोनों देशों को एक दूसरे को लौटाने पर सहमति बनी थी. इस समझौते में दो पैराग्राफ का समझौता हुआ था. यदि उस समझौते का पालन दोनों देशों के बीच होता है, तो यहां शांति बनी रहेगी. ये पैराग्राफ्स कुछ यूं हैं. पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मुद्दे कश्मीर समेत दोनों देश बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आपसी बातचीत से हल करेंगे. यह समझौता संयुक्तराष्ट्र संघ और अमेरिका को कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने से अलग कर देता है. दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस पर खास तौर पर सहमत थे. दूसरा पैरा यह था कि उस समय तक जब तक बातचीत से मसले का हल नहीं निकल जाता है, तब तक दोनों में से कोई भी पक्ष ताक़त के बल पर ज़मीनी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध नहीं होगा. बदकिस्मती से यह समझौता जो दो काबिल नेताओं के बीच हुआ था, आज के लोगों को सही नहीं लगता. वे अक्सर युद्ध की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं और गैरकानूनी तौर पर लोगों को दूसरे देश भेजते हैं. ये सारी बातें शिमला समझौते के खिलाफ हैं. चूंकि पाकिस्तान के लिए यह सुविधाजनक है इसलिए वह संयुक्तराष्ट्र संघ के प्रस्तावों की बात करता है, हालांकि 1972 के शिमला समझौते के बाद इसका औचित्य समाप्त हो गया है और आधिकारिक तौर पर ज़मीन में दफन हो गया है. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर सहमत हुए थे कि आईंदा हम अपने मसले आपसी बातचीत और बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के हल करेंगे. लिहाज़ा अब अमेरिका और संयुक्तराष्ट्र संघ की बात करने का कोई मतलब नहीं है. बहरहाल यह एक मसला है, मौजूदा समस्या यह नहीं है.

मौजूदा समस्या यह है कि कश्मीर घाटी में अशांति है. भारतीय सेना या भारत सरकार यह कह सकती है कि पाकिस्तान यहां अशांति फैला रहा है. लेकिन जब तक आप की आबादी, अपने लोग नाराज़ न हों, कोई दूसरा उसका फायदा नहीं उठा सकता. और हकीक़त यह है कि लोग नाराज़ हैं. एक बार फिर आप कहेंगे कि वे नाराज़ हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, ये सारी बातें ठीक हैं और पूरे देश के लिए ठीक हैं. देश मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हमारे यहां नौकरियों की कमी है. लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है, वह अलग है.

वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ था. कांग्रेस ने बहुमत होने के बावजूद शेख को सरकार की बागडोर सौंप दी थी. इस समझौते को शेख-इंदिरा समझौते के नाम से जाना जाता है. इसमें साफ़ तौर पर कहा गया था कि कश्मीर में चुनाव द्वारा सरकार बनेगी. साथ ही 1953 (जब शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए थे) और 1975 (जब वे एक बार फिर सत्ता में आए थे) के बीच कश्मीर में लाए गए सभी कानूनों पर कश्मीर सरकार द्वारा विधानसभा में समीक्षा होगी और दिल्ली के साथ विचार-विमर्श के बाद उसपर उचित कार्रवाई होगी. इसका मतलब है कि जहां भी नई दिल्ली ने आर्टिकल 370 को कमज़ोर किया होगा, उसे फिर से मज़बूत किया जाएगा. लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और शेख सात साल के लिए मुख्यमंत्री रहे और 1982 में उनकी मृत्यु हो गई. सारी समस्याएं इसके बाद से शुरू हुईं. 1982 तक कश्मीर समस्या समाप्त हो गई थी. पाकिस्तान मुंह दिखने के काबिल नहीं था, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर बने इस देश का पूर्वी भाग उससे अलग हो गया था.

तो फिर 1982 के बाद हमने क्या गलती की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा गांधी का अहंकार इतना बड़ा था कि वो फारुक अब्दुल्ला को कांग्रेस को हरा कर चुनाव जीतते हुए नहीं देख सकती थीं. लिहाज़ा 1983-84 में दल बदल करवा कर फारुक अब्दुल्ला सरकार गिरा दी गई और उनकी जगह उनके बहनोई जीएम शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कांग्रेस के कठपुतली थे. एक बात और यहां साफ़ कर दूं कि कश्मीर में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे. पहला दंगा जीएम शाह के कार्यकाल में हुआ. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे कश्मीरी जनता के वास्तविक नुमाइंदे नहीं थे.

इन सभी बातों के बाद, अब हमें क्या करना चाहिए? पहला, 1953 और 1975 के बीच कश्मीर के लिए जितने भी कानून लाए गए, उन पर कश्मीरियों को अपनी बात रखने का अधिकार दीजिए. बदकिस्मती से मौजूदा विधानसभा एक अजीब मिश्रण है. चार दल हैं, जिन्हें विधानसभा में सीटें मिली हैं. यहां हुआ ये कि आपने सरकार बनाने योग्य सीटें जुटाईं और सरकार बना ली. आप यह कैसे पता करेंगे कि लोगों की इस सरकार के बारे में क्या राय है? क्या जनता ने भाजपा-पीडीपी सरकार को अनुमोदित किया था? इसका सही जवाब है, नहीं. क्योंकि मुफ्ती मुहम्मद सईद के जनाज़े में हज़ार लोग शामिल हुए थे. महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि शेख अब्दुल्ला के बाद मुफ्ती महम्मद सईद कश्मीर के सबसे कद्दावर नेता थे, जबकि शेख के जनाज़े में एक लाख लोग शामिल हुए थे. ये इशारा है कि मौजूदा गठबंधन को जनता अनुमोदित नहीं करती.

> मौजूदा समस्या यह है कि कश्मीर घाटी में अशांति है. भारतीय सेना या भारत सरकार यह कह सकती है कि पाकिस्तान यहां अशांति फैला रहा है. लेकिन जब तक आप की अपनी आबादी, अपने लोग नाराज़ न हों, कोई दूसरा उसका फायदा नहीं उठा सकता. और हकीक़त यह है कि लोग नाराज़ हैं. एक बार फिर आप कहेंगे कि वे नाराज़ हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, ये सारी बातें ठीक हैं और पूरे देश के लिए ठीक हैं. देश मुश्किल दौर से गुज़र रहा है.

कश्मीर में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए. आप कम से कम सत्ता छोड़ दीजिये और महबूबा मुफ्ती को सरकार चलाने दीजिए और उन्हें बाहर से समर्थन दीजिए. यदि आप कश्मीर में बने रहना चाहते हैं तो कम से कम कश्मीर की जनता को यह यकीन दिलाइए कि आर्टिकल 370 पर आप का दृष्टिकोण बदल गया है और यह हमेशा के लिए रहेगा. क्या भाजपा यह कहने के लिए तैयार है कि आर्टिकल 370 हमेशा के लिए बना रहेगा? या यह कि जो कांग्रेस कहती है कि आर्टिकल 370 तब तक बना रहेगा जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इसे कायम रखना चाहते हैं. अगर ये बदलाव भी आप नहीं करते तो एक साधारण व्यक्ति यह सोचेगा कि यह छलावा है, बेमतलब है. आप सरकार इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ मिनिस्टर, कुछ पैसे बना सकें. आप और क्या हासिल करना चाहते हैं? जब यह सरकार बनी थी तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि अब हम जम्मू और कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे. यदि यह सरकार नाकाम होती है तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे. अब इस्तीफा देने का समय आ गया है. अब इससे बुरा क्या हो सकता है? कश्मीर समस्या का समाधान तो भूल जाइए, आप ने तो मसले को और उलझा दिया है. आज यदि हमें समस्या के समाधान की ओर बढ़ना है तो शुरुआत में हमें दो बातें कश्मीरी जनता से कहनी होंगी. आर्टिकल 370 हमेशा के लिए रहेगा और 1953 और 1975 के बीच जो हुआ, उसकी समीक्षा होगी. यह शुरुआती बिंदु होनी चाहिए और शायद कश्मीर के लोग ताज़ा चुनाव करवाना चाहते हों तो चुनाव होने दीजिये. कश्मीरियों को मुफ़्ती, अब्दुल्ला, गिलानी या किसी और को अपना नेता चुनने दीजिये. भाजपा और कांग्रेस का वहां क्या काम? यदि तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके बारी-बारी से सरकार बना सकते हैं तो कश्मीर का शासन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और हुर्रियत द्वारा बारी-बारी से क्यों नहीं चलाई जा सकती है? आख़िरकार, यह भारत के संविधान के मुताबिक होगा. आप के पास आर्टिकल 356 है, सेना है. कश्मीर में अच्छी खासी संख्या में सेना होनी चाहिए, लेकिन बॉर्डर पर, श्रीनगर में नहीं. अपनी सीमाओं की रक्षा आक्रामक ढंग से कीजिये और यह जोर देकर कहिये कि कश्मीर में हमारे बच्चों के साथ बातचीत में पाकिस्तान किसी भी हैसियत से नहीं आ सकता. अपने लोगों में आत्मविश्वास लाइए. पाकिस्तान के साथ हम शिमला समझौते के तहत अलग से बात करेंगे. अगर यह सरकार कहेगी कि शिमला समझौता अटल है, शेख-इंदिरा समझौता अटल है और हम इसका पूरी तरह से पालन करेंगे तो समस्या खत्म हो जायेगी. इस में समय लगेगा लेकिन यह अवश्य ही समाप्त हो जायेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

वीके सिंह के खिलाफ साजिश

मनीष कुमार ने अपनी कवर स्टोरी जनरल की सच्चाई का सच(05 सितंबर- 11 सितंबर 2016) में बिलकुल सही कहा है कि किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं कि की जनरल सुहाग के हलफनामे की सच्चाई क्या है? लेकिन यह सच्चाई है कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को मीडिया का एक वर्ग समय-समय पर बदनाम करने की कोशिश करता है. जिस समय वीके सिंह के कामों की तारीफ करनी चाहिए थी, उस समय मीडिया का यह वर्ग जनरल दलवीर सिंह सुहाग के हलफनामे को लेकर वीके सिंह को बदनाम कर रहा था. मीडिया का काम है कि वह पूरी सच्चाई को जनता के सामने लाए, लेकिन वह केवल खबरों को तोड़-मरोड़कर पेश करता है, जो गलत है. इससे तो यह साफ नजर आता है कि वीके सिंह के प्रति मीडिया का रवैया द्वेषपूर्ण है और उनके खिलाफ साजिश में शामिल है.

–राकेश जैन, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

शिक्षा नीति पर बहस जरूरी

आलेख-नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट अल्पसंख्यकों में बेचैनी पैदा कर रहा है (05 सितंबर- 11 सितंबर 2016) पढ़ा. जानकारीपरक है. इस आलेख को पढ़ने के बाद नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई. नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर अल्पसंख्यकों में बेचैनी है, तो सरकार को उसे दूर करनी चाहिए और उन्हें भरोसे में लेना चाहिए. अगर नई शिक्षा नीति और उनमें शामिल चीजों को लेकर किसी वर्ग को आपत्ति है, तो सरकार को उस वर्ग से बात करनी चाहिए. यह ध्यान रखना होगा कि नई शिक्षा नीति से किसी को कोई नुकसान न हो और ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जिसका फायदा सभी को मिले. सरकार को नई शिक्षा नीति बनाते समय सभी पक्षों और सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखना चाहिए.

–हिमांशु वर्मा, *दानापुर, बिहार.*

दलितों के नाम पर सियासत

सियासी चक्रव्यूह में दलित (05 सितंबर- 11 सितंबर 2016) शीर्षक से लिखे अपने लेख में अभिषेक रंजन सिंह ने उना दलित अत्याचार लड़त समिति की अगुवाई में अहमदाबाद से उना तक संपन्न हुई आजादी कूच पदयात्रा की चर्चा की है. दलितों के नाम पर राजनीति कोई नई चीज नहीं है, यह काफी पहले से होती आ रही है और आजादी कूच पदयात्रा को भी राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई. इस आलेख में कई ऐसी बाते हैं, जो किसी न्यूज चैनल और समाचार पत्र में पढ़ने को नहीं मिलीं. इस सच्चाई को गलत साबित नहीं किया जा सकता कि देश के अलग-अलग हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है. उना में दलितों की पिटाई के बाद पूरे गुजरात में दलितों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया. उस गुस्से और आंदोलन को एक साजिश के तहत राजनीतिक रंग दे दिया गया. यह बिलकुल सही है कि दलितों और वंचितों की समस्याओं पर प्रधानमंत्री को ध्यान देने की जरूरत है.

–रितेश श्रीवास्तव, *पालम, नई दिल्ली.*

राष्ट्रवाद एक बहाना है

कमल मोरारका ने अपने आलेख फासीवादियों की शरणस्थली राष्ट्रवाद है (05 सितंबर- 11 सितंबर 2016) में कहा है कि आप यह कहकर वोट हासिल नहीं कर सकते कि विकास दर 7.8 या 7.9 फीसदी रहा है. ये सब बातें कोई भी नहीं पढ़ता है. इससे मैं सहमत हूं. महंगाई चरम पर है. खाद्य सामग्री के दाम आसमान पर हैं. दाल दो सौ रुपये किलो बिक रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि उनकी सरकार सौ दिन के अंदर महंगाई कम कर देगी, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई पहले की बजाए और बढ़ गई है. बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से देश का युवा निराश है और किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं. देश की जनता को लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है. इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री को राष्ट्रवाद का बहाना छोड़कर जनता की समस्याओं का हल निकालना चाहिए और किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अब 2019 दूर नहीं है.

–रंजीत यादव, *आजमगढ़, उत्तर प्रदेश.*

सभी को न्याय मिले

जब तोप मुकाबिल हो-न्याय व्यवस्था अन्याय व्यवस्था बन गई है(05 सितंबर- 11 सितंबर 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय से मैं सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं, जिन पर सरकारें अमल नहीं करती हैं, जिन पर बड़े धनाढ्य वर्ग अमल नहीं करते हैं. सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा दिए गए फैसलों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों का लेखा-जोखा रखता, तो शायद ऐसा नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ऐसी न्याय व्यवस्था बनाए जिसमें देश की जनता को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी न्याय मिले. यह बिलकुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी न्याय प्रणाली की संरचना ऐसी करे कि किसी के साथ अन्याय न हो और कोई भी सिर्फ पैसे होने के दम पर सुप्रीम कोर्ट नाम की तलवार को अन्याय के पक्ष में न खड़ा कर सके. सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह जनता से अपने किए वादों को पूरा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि सभी को न्याय मिले और कोई न्याय से वंचित न रहे.

–दिव्या गुप्ता, *गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कश्मीर में विश्वास का संकट है

देश के गृहमंत्री कहते हैं कि कश्मीर के अलगाववादियों से सख्ती से निपटेंगे. वहीं गृह राज्यमंत्री कहते हैं कि अलगाववादियों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार करेंगे यानी जैसे आतंकवादियों पर गोली चलती है, वैसे ही अब अलगाववादियों पर गोली चलेगी. सरकार का अलगाववादियों से मतलब हुर्रियत नेताओं से है, लेकिन शायद अब इसका मतलब उन सभी नौजवानों से है, जो सड़कों पर हैं, पत्थर चला रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं या सरकार का बायकॉट या असहयोग कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की सरकार हो या फिर केंद्र की.

किसी भी सरकार के गृह राज्यमंत्री से ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा करना बहुत दुःखद है. सरकार में रहने वाले व्यक्ति को बहुत संयमित और सोचने-समझने वाला होना चाहिए. साथ ही किसी भी परिस्थिति को संभालने में माहिर होना चाहिए अन्यथा ऐसे दिमाग के लोग सीमा पर होने वाली सामान्य गोलीबारी को बहुत जल्द युद्ध में बदल सकते हैं. उनकी नजर में जान की कोई कीमत नहीं होती और अपने तुफैल में या परिस्थिति का गलत आकलन करने या स्वयं उस परिस्थिति का सामना न करने या उस परिस्थिति को संभालने में अयोग्य होने की वजह से लोगों को मरवाने का फैसला ले सकते हैं. मैं ये बातें बहुत जिम्मेदारी से लिख रहा हूं और यहां मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत है. आपकी सरकार के लोग, आपकी पार्टी के लोग आलोचना को देशद्रोह मान लेते हैं. आपकी पार्टी के लोग शिकायत को अलगाववादी मान लेते हैं और उस पर तेजी से कार्रवाई करने की बात करते हैं. इसमें ये कहीं नहीं झलकता कि आप भारत की उस सरकार के प्रतिनिधि हैं, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न मतों और विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं. जैसे, पूर्व गृहमंत्री नक्सलवादियों का मुकाबला हेलिकॉप्टर व सेना से करना चाहते थे, आज आप कश्मीर में अपने ही देश के रहने वालों की शिकायत सुनने की जगह उन्हें अलगाववादी बना आतंकवादियों सा व्यवहार करने का बयान देते हैं. यह समझ की बलिहारी है. इसका मतलब भारत की सरकार योग्य हाथों में नहीं है और प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के लोगों की समझ और दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं है.

कश्मीर में अलगाववादी कौन हैं? कश्मीर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, जहां असंतोष ही असंतोष है, जहां न फैक्ट्रियां हैं, न उत्पादन के साधन हैं, न लोगों के पास रोजगार है. पाकिस्तान में लोगों का कोई भविष्य नहीं है और इसकी लड़ाई पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चल रही है. हमारे देश में उन संघर्षों का, उन लड़ाइयों का कोई ब्यौरा जानबूझ कर लोगों के पास नहीं पहुंचने दिया जाता. लेकिन कश्मीर के लोग जानते हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के लोगों से पड़ोसी राज्य होने के नाते काफी संपर्क रहता है. कोई भी असफल राष्ट्र के साथ जाना नहीं चाहता है. हो सकता है कि वे लोग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करें. लेकिन उन्हें न मीडिया समझाता है, न राजनीतिक दल समझाते हैं कि आप अकेले रहकर स्विट्जरलैंड की तरह स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आप जीएंगे कैसे? आपके पास साधन कहां से आएंगे? आपके पास तो कुछ है नहीं. 1953 से पहले जब शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ये बात आयी थी. शेख अब्दुल्ला यह बात समझ गये थे कि कश्मीर का हित स्वतंत्र रहने में नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता चलाने में है.

इसकी जगह आप ये विश्लेषण नहीं करते कि कश्मीर के लोगों ने पत्थर क्यों उठा लिये और पत्थर उन हाथों ने उठाये हैं, जो अपने मोहल्ले के स्वयं नेता

> कश्मीर हमारे लिये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है. कश्मीर हमारे लिए सेक्युलरिज्म की मिसाल है. उसका प्रमाण है. अगर कश्मीर में बहुसंख्या में मुसलमान हैं और पाकिस्तान कहता है कि इसलिए कश्मीर उसके साथ मिल जाना चाहिए तो फिर भारत के गांव में रहने वाले सारे मुसलमानों को उस गांव से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए जहां वो अल्पसंख्या में हैं. क्योंकि फिर यही तर्क देश में हर जगह लागू होगा.

हो गए हैं. वे लोग अपने मोहल्ले में इस समय हुक्म जारी करते हैं. विरोध स्वरूप रात में घरों में लाइटें नहीं जलती हैं, दिन में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, दुकानदार स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद किये हुए हैं. अभी अन्ना हजारे के एक साथी विनायक पाटील कश्मीर से लौटे हैं. वे बता रहे थे कि उन्होंने कश्मीर में एक टैक्सी चालक से पूछा कि कश्मीर में ये दुकानें कब खुलेंगी. पत्थर कब बंद होंगे. तो टैक्सी ड्राइवर कहता है, आजादी मिलने तक. उसे ये सपना दिखाया गया है कि अगर हम हिंदुस्तान से आजाद हो जाएंगे तो हमारे घर में दूध-घी की नदियां बह जाएंगी. ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के जमाने में आजादी के लिए लड़ने वाले हिंदुस्तानियों को तत्कालीन नेताओं ने भरोसा दिलाया था.

कश्मीर के नौजवानों में 1953 में हुए शेख अब्दुल्ला-जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौते का पालन न करने को लेकर गुस्सा है. साथ ही कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता देने के सवाल से मुकर जाने की टीस वहां जीवन के आखिरी किनारे पर खड़ी पीढ़ी के मन में है, वहीं नौजवानों के मन में इस बात की टीस है कि अब तक चार संसदीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर आए, यहां घूमे, लोगों से वादे किये, कश्मीर के लोगों में आशाएं जगाईं, लेकिन दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने सरकार को क्या सुचनाएं दीं या अपनी क्या सिफारिशें दीं. ये प्रतिनिधिमंडल दोबारा लौट कर कश्मीर गया ही नहीं. इसलिए इस बार जब सीताराम येचुरी से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप तो 2010 के प्रतिनिधिमंडल में भी आये थे, उसके बाद कहां गायब हो गये? न आपके वादे दिखाई दिये, न आप दिखे. सीताराम येचुरी शर्मिंदगी से बोले, हां, अविश्वास का संकट तो है. यह अविश्वास किसने पैदा किया? यह अविश्वास भारत सरकार द्वारा भेजे गए पिछले चार प्रतिनिधिमंडलों ने कश्मीरियों के मन में पैदा किया है.

राम जेठमलानी, केसी पंत, इंटरलोकेटर के नाम से राधा कुमार, दिलीप पडगांवकर और पूर्व सूचना आयुक्त अंसारी ने साल भर कश्मीर में जगह-जगह घूमकर लोगों से बात की, उनकी इच्छाएं जानी, सरकार से बात की और एक रिपोर्ट दी. लेकिन क्या रिपोर्ट दी किसी को नहीं पता.

कश्मीरियों के मन में भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के प्रति अगर गुस्सा है, तो इसमें नाजायज क्या है? कश्मीर के लोगों में अगर भारत के प्रति गुस्सा है कि उनसे जितने वादे किये गये उनपर कोई अमल नहीं हुआ तो इसमें नाजायज क्या है? अपनी मांग उठाना क्या देशद्रोह है, लेकिन ये बातें सरकार में बैठे लोगों को समझ में नहीं आती है, जैसे पिछली सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आई, वैसे इस सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आई. पिछली सरकार में गृह मंत्री कहते थे कि तोप-बंदूकों से, हेलिकॉप्टरों से नक्सलियों को समाप्त कर देंगे. आज मौजूदा गृह राज्यमंत्री कहते हैं कि हम अलगाववादियों से आतंकवादियों की तरह व्यवहार करेंगे.

कमाल है, इसलिए लगता है कि देश चलाना आसान नहीं है. देश चलाना एक मुश्किल काम है. देश चलाने का मलतब देश में रहने वाले लोगों का न केवल विश्वास जीतना है बल्कि उनके मन में आगे बढ़ने के सपने भी गढ़ने हैं. क्यों ये सरकार ये सब नहीं कर पा रही है? शायद परिस्थितियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही हैं कि वो खुद यहां आएं और तीन-चार दिन कश्मीर में रहें, सभी वर्गों के लोगों से मिलें और फिर आगे बढ़ने के नए फैसले लें, जिससे कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा हो सके.

कश्मीर हमारे लिये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है. कश्मीर हमारे लिए सेक्युलरिज्म की मिसाल है. उसका प्रमाण है. अगर कश्मीर में बहुसंख्या में मुसलमान हैं और पाकिस्तान कहता है कि इसलिए कश्मीर उसके साथ मिल जाना चाहिए तो फिर भारत के गांव में रहने वाले सारे मुसलमानों को उस गांव से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए जहां वो अल्पसंख्या में हैं. क्योंकि फिर यही तर्क देश में हर जगह लागू होगा. इस देश का मुसलमान यह समझता है. पाकिस्तान की इस मांग के परिणामस्वरूप देश में गांव-गांव में दंगे फैल सकते हैं और केंद्र सरकार के पास न इतनी पुलिस है, न इतनी सेना है कि वो हर गांव में मुसलमानों की रक्षा कर सके. राजनीतिक दल ये बात कश्मीर में लोगों को समझाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? वो क्यों कश्मीर के लोगों के बीच हवा फैलने देते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है और पाकिस्तान में अगर कश्मीर मिल जाएगा तो कश्मीरियों की जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी. पाक अधिकृत कश्मीर के हालात कश्मीर के लोगों को पता हैं, लेकिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान का नाम भारत सरकार को चिढ़ाने के लिए लेते हैं. वहां झंडे भी भारत सरकार को चिढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि भारत सरकार ये समझे कि उसने जो वादे कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करें. संसदीय प्रतिनिधिमंडल के प्रति अविश्वास और इस बात का फैलना कि ये लोग धोखा देते हैं इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये बहुत गंभीर बात है. भारत की संसद विश्वास का सर्वोच्च प्रतीक है. संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी जाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उनसे पहले गए प्रतिनिधिमंडलों ने कश्मीर के लोगों से क्या-क्या वादे किए हैं.

इसीलिए आज जो स्थिति पैदा हुई है, उसका समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए. कश्मीर समस्या देशवासियों के लिए वैसे ही गंभीर समस्या है, जैसे चीन या पाकिस्तान. चीन या पाकिस्तान से आप सेना से निपट सकते हैं, लेकिन अपने ही लोगों पर अगर आप सेना का इस्तेमाल करेंगे तो सेना कभी किसी और इस्तेमाल के लिए भी खड़ी हो जाएगी. ये खतरनाक खेल भारत सरकार के मंत्रियों को खेलना बंद करना चाहिए. देश बहुत बड़ी चीज है. आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है. इस आजादी को रखने या न रखने की सलाहियत या रखने या न रखने की क्षमता कश्मीर में मौजूदा नेतृत्व को दिखानी होगी. कश्मीर के लोग हमारे हैं, हम कश्मीर के हैं. हम जिस तरह बिहार, बंगाल उत्तर प्रदेश, ओड़ीशा व महाराष्ट्र के लोगों को अपना मानते हैं, ठीक उसी तरह हम कश्मीर के लोगों को भी अपना मानते हैं. जितनी आजादी इन्हें है, उतनी ही आजादी कश्मीर के लोगों को है. सबसे पहले भारत सरकार को विश्वास बहाली के ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि गृह राज्यमंत्री जैसे बयान दिए जाएं. यह गैरजिम्मेदाराना, निहायत गैरजिम्मेदाराना बयान है. सरकार को और हो सके तो सरकार की जगह प्रधानमंत्री को फौरन सामने आकर कश्मीर की समस्या का हल अपने हाथ में लेना चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

> कश्मीरियों के मन में भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के प्रति अगर गुस्सा है, तो इसमें नाजायज क्या है? कश्मीर के लोगों में अगर भारत के प्रति गुस्सा है कि उनसे जितने वादे किये गये उनपर कोई अमल नहीं हुआ तो इसमें नाजायज क्या है? अपनी मांग उठाना क्या देशद्रोह है, लेकिन ये बातें सरकार में बैठे लोगों को समझ में नहीं आती है, जैसे पिछली सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आई, वैसे इस सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आई, वैसे पिछली सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आई.

मत-मतांतर

कश्मीर का भविष्य कभी चुनावी मुद्दा नहीं बना

कश्मीर में पिछले दो महीनों से हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है. इस दौरान लोगों की जिन्दगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है. स्कूल बंद हैं. अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं. जिन्दगी ठप हो गई है. सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि आज सरकार और नेताओं के पास कश्मीर की समस्या से निपटने का न कोई स्थायी समाधान है और न ही कोई स्पष्ट विजन. ऐसे में, कश्मीर मसले पर दूरदर्शी और महान नेताओं के क्या विचार थे, इसके बारे में जानना जरूरी है. इसलिए चौथी दुनिया अगले सप्ताह कश्मीर मसले से जुड़े लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लेखों, चिट्ठियों और भाषणों को प्रकाशित करेगी. इसकी एक झलक के रूप में हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में 20 अप्रैल 1964 को छपे लेख को पेश कर रहे हैं. इस लेख की पृष्ठभूमि ये है कि 1964 में शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया था. उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके इस बयान कि कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम करेगी और कश्मीर का अधिग्रहण आखिरी नहीं है, पर आपत्ति जताई थी.

कश्मीर की कहानी अस्पष्ट उद्देश्यों, अनिश्चित पद्धतियों और कपटपूर्ण आदर्शों की कहानी है. शुरू से ही कश्मीर प्रधानमंत्री की चिंता का विषय था. इसके बावजूद जब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर हिरासत में लिया गया तो जवाहरलाल नेहरू को उस घटना की उतनी ही जानकारी थी जितनी किसी अन्य भारतीय नागरिक को थी. ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे पता चलता है कि कश्मीर के सवाल को किस शानदार ढंग से डील किया गया. शेख अब्दुल्ला के बयान पर जो गैर जरूरी शोर-शराबा हो रहा है, उससे यह नहीं लगता कि पुरानी कहानी फिर से दोहराई नहीं जाएगी.

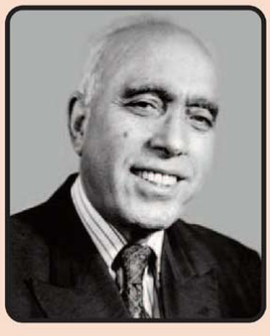

11 साल के असमंजस के बाद शेख अब्दुल्ला को आखिरकार रिहा किया गया. लेकिन, एक बार फिर इस देर से लिए गए निर्णय में कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है. शेख साहब के बयान पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया गया. अगर, ऐसा करने वाले लोगों ने हकीकत को समझा होता तो शायद ऐसा नहीं करते. शेख अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जिसकी उनसे आशा नहीं थी. खुशी की बात यह है कि सत्ताधारी दल से जो समझदारीपूर्ण बयान था, वो स्वयं प्रधानमंत्री का था.

आखिर, शेख अब्दुल्ला के बयान में था क्या? उस बयान में ये था कि कश्मीर के भविष्य का फैसला कश्मीर के लोग करेंगे और यह इस तरह से होना चाहिए कि इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाए. जरा सा दिमाग पर जोर देने से ये समझ में आ जाता कि इस कश्मीरी नेता के खुले और सैद्धांतिक रुख से भारत को एक ऐसा अवसर मिलता जिससे सभी पक्षों को फायदा होता. फिलहाल, जो हो रहा है वो रटे-रटाए नारे की तरह है जिसका असर कहीं नहीं हो रहा है.

इसमें से एक नारा ये है कि कश्मीर का अधिग्रहण अंतिम है और इसे बदला नहीं जा सकता है. शेख ने इस नारे पर सवाल उठाया. इस सवाल का जवाब तटस्थ लोगों को देना है. लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जिसे ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि कश्मीर जैसे मानवीय मुद्दे को कानूनी दांव पेंच से हल नहीं किया जा सकता है. बेशक, प्रधानमंत्री का असली वादा इसी तरह के विचार पर आधारित था.

इस बिन्दु पर, दो और नारे लगाए जा रहे हैं. पहला, तीन आम चुनावों में भाग लेकर कश्मीर की जनता ने पहले ही अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी हैं. दूसरा, अगर कश्मीर की जनता को अपनी इच्छाओं को जाहिर करने दिया गया तो ये भारतीय राष्ट्र के अंत की शुरुआत हो जाएगी. मेरे ख्याल से ये दोनों ही नारे बेबुनियाद हैं. शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद के चुनाव न तो फेयर थे और न ही फ्री (धांधली मुक्त चुनाव). अगर इस मान्यता को रद्द करना है तो इसकी जांच किसी तीसरे पक्ष से करानी चाहिए. सिर्फ अधिकारियों के बोल देने से यह सच नहीं बन जाता है. दिल्ली को ये लगता है कि अपनी मर्जी से वह किसी भी झूठ को सच बना देगी.

हो सकता है कि ऐसा बोलने से मेरी देशभक्ति पर सन्देह किया जाए, लेकिन मेरे लिए ये झूठ है कि कश्मीर की जनता ने भारत के साथ एकीकृत होने का फैसला पहले ही कर लिया है. कश्मीरी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है. चुनाव की गुणवत्ता को अलग कर दें तो भी जम्मू और कश्मीर का भविष्य कभी चुनावी मुद्दा नहीं बना. अगर और अधिक सबूत चाहिए तो इसके लिए शेख अब्दुल्ला का उपरोक्त बयान पढ़िए, जो कश्मीर की जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है. आखिर में, अगर हम जनता के फैसले को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं, तो उन्हें फैसला करने का एक और मौका क्यों नहीं देते? इसके लिए ये जवाब दिया जाता है कि ऐसा करने से देश का बिखराव शुरू हो जाएगा. इस मुद्दे पर इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात कम ही कही गई है. इस तरह की दलीलों में ये मान लिया गया है कि भारत यहां की जनता की एक राष्ट्र की भावना की वजह से नहीं, बल्कि ताकत की वजह से एकीकृत है. ये एक ऐसी अवधारणा है जो भारतीय राष्ट्र को मजाक का पात्र बना देती है और भारतीय राज्य को एक निरंकुश राज्य बना देती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गौरवशाली अतीत पर आंसू बहा रहा है ख़ुदाबख्श पुस्तकालय

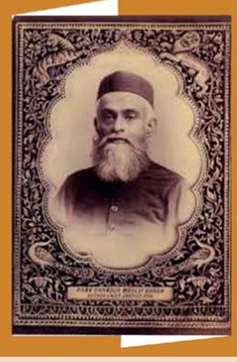

> भारत सरकार की उपेक्षा की वजह से इस लाइब्रेरी की दुर्दशा हो रही है. उनकी आत्मा लाइब्रेरी की दुर्दशा को देखकर कराह रही होगी. यहां नियुक्त कर्मियों का वेतन बंद है. इंटरनेट और फोन सेवा का कनेक्शन कट चुका है. सेमिनार और सिंपोजियम का कार्यक्रम बंद है. नियमित निदेशक का पद रिक्त है. पुस्तकों का क्रय बंद है. चालू वर्ष का वित्तीय अनुदान बंद है. यह इस पुस्तकालय की दुर्दशा और केंद्र सरकार की उपेक्षा की पराकाष्ठा है और साथ ही पुस्तकालय के साथ अन्याय है.

अशरफ अस्थानवी

बिहार की पहचान देश और विदेश में जिन चीज़ों से होती है, उनमें एक बड़ा और महत्वपूर्ण नाम खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का भी है. यह लाइब्रेरी राज्य की राजधनी पटना में पटना विश्वविद्यालय और पीएमसीएच के बीच स्थित है. यह पुस्तकालय अरबी, फ़ारसी, ऊर्दू, पालि, संस्कृत, पश्तो, तुर्की भाषाओं के दुर्लभ और अतुलनीय पांडुलिपि के अतिरिक्त अनेक भाषाओं की लाखों प्रकाशित पुस्तकों के लिए जाना जाता है. यह पुस्तकालय अपनी शैक्षणिक, शोधपरक, ज्ञानवर्धक साहित्यिक क्षमताओं और गतिविधियों के कारण एक महान और आरदणीय शैक्षणिक, शोधपरक, साहित्यिक, सांस्कृतिक केंद्र की भूमिका निभाता है.

जिस ज्ञानी व्यक्ति ने ज्ञान का यह शैक्षणिक भंडार उपलब्ध कराया उन्हें दुनिया खान बहादुर खुदाबख्श खां के नाम से जानती है. वह एक विधि विशेषज्ञ और अदालत-ए-आसफ़िया, हैदराबाद के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पुस्तकों के रसिक भी थे. पुस्तकें संग्रह करने की चाहत उनमें विद्यमान थी. उनके पिता ने ज्ञान के लिए 1400 पांडुलिपियां संग्रह कर रखी थीं. उन्होंने अपने अंतिम समय में पांडुलिपियों का यह संग्रह अपने पुत्र खुदा बख्श को सौंपते हुए इच्छा व्यक्त की कि वह इसमें न केवल वृद्धि करें, बल्कि जनसामान्य के लिए पुस्तकालय के निर्माण का कार्य करें. खुदाबख्श खां ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी आय का बड़ा हिस्सा पांडुलिपियों और दुर्लभ उपयोगी पुस्तकों के क्रय पर खर्च किया.

खुदाबख्श कभी किसी पुस्तक विक्रेता को निराश नहीं लौटने देते थे. पांडुलिपियों के संग्रह के लिए मुत्तकी नाम के एक व्यक्ति को एक सौ रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जो अठारह वर्षों तक यह काम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करते रहे. देश, विदेश के महत्वपूर्ण नगरों विशेषकर मिश्र, ईरान, सीरिया और अरब से पांडुलिपियां प्राप्त कीं. इनमें ऐसी अनेक पांडुलिपियां भी हैं जिसकी कोई दूसरी प्रति दुनिया के किसी कोने में उपलब्ध नहीं है. कुरानी पांडुलिपि विशेषकर हज़रत अली की हस्तलिपि में कुरानी आयत भी इस पुस्तकालय को गौरवान्वित कर रही हैं. अधिकांश पांडुलिपियां रंगीन एवं सचित्र हैं. खुदाबख्श खां ने 14 जनवरी 1891 को एक वक्फनामा के माध्यम से पटना की जनता को समर्पित कर दिया. 5 अक्टूबर 1891 को गवर्नर सर चार्ल्स एलिट ने इसका उद्घाटन किया था. खुदाबक्ष खां का जन्म 02 अगस्त 1842 में हुआ था और 03 अगस्त 1908 को इनकी मृत्यु. भारत सरकार की उपेक्षा की वजह से इस लाइब्रेरी की दुर्दशा हो रही है. उनकी आत्मा लाइब्रेरी की दुर्दशा को देखकर कराह रही होगी. यहां नियुक्त कर्मियों का वेतन बंद है. इंटरनेट और फोन सेवा का कनेक्शन कट चुका है. सेमिनार और सिंपोजियम का कार्यक्रम बंद है. नियमित निदेशक का पद रिक्त है. पुस्तकों का क्रय बंद है. चालू वर्ष का वित्तीय अनुदान बंद है. यह इस पुस्तकालय की दुर्दशा और केंद्र सरकार की उपेक्षा की पराकाष्ठा है और साथ ही पुस्तकालय के साथ अन्याय है.

ज्ञात हो कि इस ऐतिहासिक पुस्तकालय को वर्ष 1969 में संसद में कानून बनाकर भारत सरकार के संस्कृति कार्य मंत्रालय विभाग के अधीन कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया. बिहार राज्य के राज्यपाल इस पुस्तकालाय के अध्यक्ष होते हैं. एक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें शिक्षाविद् के अतिरिक्त बिहार सरकार और भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं. इसके निदेशक की नियुक्ति संस्कृति विभाग, भारत सरकार करती है. निदेशक के लिए ओरिएंटल भाषा का विशेषज्ञ होना अनिवार्य है. विगत दो वर्षों से निदेशक का पद रिक्त है. फलस्वरूप सारी साहित्यिक शैक्षणिक गतिविधियां ठप्प हैं. लाइब्रेरी के अध्यक्ष सह राज्यपाल ने पटना प्रमंडल के आयुक्त को पुस्तकालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, लेकिन इसे विकसित करने में उनकी कोई रुचि नहीं है. कई वर्षों से पुस्तकों की खरीदारी नहीं हुई है. पुस्तकालय से प्रकाशित होने वाला खुदाबख्श जर्नल भी कई वर्षों से बंद है.

इस पुस्तकालय को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 से 6 करोड़ रुपये योजना और गैर योजना मद से प्राप्त होते हैं जो चालू वित्तीय वर्ष में पुस्तकालय को प्राप्त नहीं हो सका है जिसकी वजह से यहां कार्यरत स्थाई कर्मियों के वेतन आदि के भुगतान भी अनेक माह से बंद हैं. अब यह पुस्तकालय अपने गौरवशाली अतीत पर आंसू बहा रहा है. इस

इस ऐतिहासिक पुस्तकालय को वर्ष 1969 में संसद में कानून बनाकर भारत सरकार के संस्कृति कार्य मंत्रालय विभाग के अधीन कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया. बिहार राज्य के राज्यपाल इस पुस्तकालाय के अध्यक्ष होते हैं. एक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें शिक्षाविद् के अतिरिक्त बिहार सरकार और भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं.

संबंध में अनेक आवेदन राज्यपाल को इसके जीर्णोद्धार एवं पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. सुत्रों के अनुसार पुस्तकालय के पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति से संबंधित याचिका प्रधनमंत्री कार्यालय पीएमओ में गत वर्ष से लंबित है.

अब समय आ गया है कि बिहार के विद्यार्थी, शोधार्थी एवं शिक्षाप्रेमी इस दिशा में प्रधानमंत्री कार्यालय को यथाशीघ्र ज्ञापन दें. खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की दशा से देश-विदेश से आए सैलानियों एवं शोधार्थियों पर इसका खराब प्रभाव पड़ रहा है. राज्य सरकार को भी चाहिए कि केंद्र सरकार का ध्यान राष्ट्र की इस धरोहर की ओर दिलाएं जिससे इसकी खोई हुई गरिमा पुन: स्थापित हो सके.■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार की उदासीनता

दिनकर का गांव संवर नहीं पाया

सुरेश चौहान

केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बावजूद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया आज तक गांव संवर नहीं पाया. बिहार के बेगूसराय जनपद के बरौनी प्रखंड में स्थित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया गांव को 1 नवम्बर 1986 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विन्देश्वरी दूबे ने आदर्श ग्राम घोषित किया था. मुख्यमंत्री की यह घोषणा महज घोषणा बनकर रह गई. आज तक आदर्श ग्राम के अनुरूप सिमरिया ग्राम के विकास की कोई योजना नहीं बनी. सिमरिया के निवासियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आदर्श ग्राम सिमरिया लिखना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन आदर्श ग्राम घोषित होने की वजह से सिमरिया को पंचायत स्तरीय सुविधाओं एवं विकास की योजनाओं से वंचित होना पड़ा. मुख्यमंत्री के आदर्श ग्राम की घोषणा सिमरिया के लिए अभिशाप बन गई. इसके बाद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद डॉ. भोला सिंह ने इस गांव को गोद लिया, लेकिन हालत कोई सुधार नहीं हुआ. सिमरिया ग्राम के दिनकर द्वार से पंचायत द्वार तक की जर्जर सड़क इस दुर्दशा की कहानी बयां कर रही है. वैसे तो सिमरिया ग्राम को निर्मल ग्राम का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है. सिमरिया ग्राम पंचायत के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम का प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है. ग्राम पंचायत के मुखिया बदल जाने, आबादी बढ़ने एवं समुचित रख-रखाव के अभाव में निर्मल ग्राम की स्थिति बदहाल हो चुकी है. गांव में नाले की स्थिति खस्ताहाल है. गंदे जल की निकासी की व्यवस्था तक नहीं है.

दिनकर के नाम पर सम्मान

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के सम्मान में उनके जन्म दिवस के अवसर पर दिनकर सम्मान समारोह समिति, बेगूसराय द्वारा वर्ष 1993 से दिनकर राष्ट्रीय एवं दिनकर जनपदीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है. राष्ट्रीय पुरस्कार मे दस हजार रुपये एवं जनपदीय पुरस्कार में पांच हजार रुपये चयनित साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है. इस वर्ष (2016) दिनकर राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रोफेसर तरुण कुमार एवं दिनकर जनपदीय पुरस्कार के लिए रमाकांत चौधरी का चयन किया गया है.

साफ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ठप है. एक ही भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है जहां दवा सहित चिकित्सीय सुविधाओं का घोर अभाव है. स्वास्थ्य केन्द्र का एंबुलेंस प्रखंड के पास है. किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है. एकमात्र सरकारी नलकूप वर्षों से बंद पड़ा है. गांव में प्रकाश का समुचित प्रबंध नहीं है. सोलर लाइट खराब पड़ी है. गांव के लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं. पूर्व में यहां लकड़ी का पुल था जो क्षतिग्रस्त हो चुका है. दिनकर उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमित तो कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई ठप है.

सुलभ इंटरनेशनल के डायरेक्टर विन्देश्वर पाठक ने दिनकर उच्च विद्यालय सिमरिया को भवन निर्माण के लिए पंद्रह लाख रुपये एवं दिनकर पुस्तकालय में वाचनालय कक्ष निर्माण के लिए पांच लाख रुपये दान दिए हैं, लेकिन इनके द्वारा घोषित सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है.

प्रत्येक वर्ष दिनकर जयंती समारोह में देश के नामचीन साहित्यकारों का सिमरिया में आगमन होता है. बिहार सरकार के मंत्रीगण भी आते हैं. सभी मंच से घोषणा करते हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिस दालान में बैठकर रचना करते थे, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसके अनुरूप उसका विकास कर यहां दिनकर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, लेकिन आज तक वैसा नहीं हो पाया है. इस बार भी 23 सितम्बर 2016 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 108 वीं जयंती समारोह मनायी जाएगी. साहित्यकारों एवं जनप्रतिनिधियों का कुंभ लगेगा. अपनी छवि एवं राजनीति चमकाने के लिए वे मंचीय घोषणाएं भी करेंगे. लेकिन उसके बाद...

तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा!
अपना आग तेज रखने को, नाम तुम्हारा लेगा.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई उक्त पंक्ति आज उन्हीं पर पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आ रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

अधिकारियों की पदोन्नति पर बवाल

चंचल कुमार

दीपक कुमार सिंह

हरजोत कौर

बिहार सरकार ने भी नियमों की औपचारिकता पूरी करते हुए तीनों अधिकारियों के प्रमोशन से संबंधित पत्र कार्मिक मंत्रालय को भेजा ताकि इन प्रमोशनों पर उसकी सहमति ली जा सके. लेकिन सीके अनिल के हथियार ने अपना असर दिखा दिया. कार्मिक मंत्रालय ने बीते 20 जुलाई को एक कड़ा पत्र बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा जिसमें उसने साफ लफ्जों में कहा कि इन अधिकारियों का प्रमोशन आईएएस कैडर रूल 1954 और आईएएस पे रूल 2007 का उल्लंघन है. इसलिए इन प्रमोशनों को राज्य सरकार वापस ले और उन अधिकारियों को अपने पिछले पद पर ही रखे.

सी.के. अनिल

इर्शादुल हक

आईएएस प्रमोशन विवाद में बिहार सरकार घिर गई है. आलम यह है कि अब उसे न उगलते बन रहा है और न ही निगलते. दरअसल बिहार सरकार ने अपने तीन आईएएस अधिकारियों चंचल कुमार, दीपक कुमार सिंह और हरजोत कौर को सचिव स्तर से प्रमोट कर प्रधान सचिव बना दिया था.

चंचल कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के पद से पदोन्नति पा कर उसी महकमे में प्रधान सचिव बना दिए गए. दीपक कुमार सिंह लेबर रिसोर्स महकमें के प्रधान सचिव बना दिए गए. जबकि हरजोत कौर को टूरिज्म के महकमे में प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई. यह मामला चार महीने पहले का है, लेकिन इस प्रकरण का आफ्टर इफेक्ट तब सामने आया जब एक अन्य आईएएस अफसर सीके अनिल ने प्रमोशन की तकनीकी पहलुओं को चुनौती देने के लिए कमर कसी. अनिल

1991 बैच के अधिकारी हैं और जिन तीन अधिकारियों को प्रमोशन मिला वे 1992 बैच के हैं. अनिल को यह नागवार लगा कि आखिर किस आधार पर उनसे जूनियर अधिकारियों को प्रधान सचिव बना दिया गया जबकि उन्हें सचिव स्तर पर ही रहने दिया गया. इसके लिए उन्होंने सूचना के अधिकार को हथियार बनाया. इस सूचना में जो लिखित जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने दी वह चौकाने वाली थी. नियमानुसार प्रधान सचिव का पद प्राप्त करने के लिए एक आईएएस अफसर को न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव चाहिए, लेकिन चंचल, दीपक और हरजोत इस न्यूनतम अहर्ता को पूरी नहीं करते. जबकि इन तीनों अधिकारियों से एक वर्ष सीनियर होने की वजह से सीके अनिल 25 वर्षों की सेवा शर्त को पूरी करते हैं. बस यही सूत्र अनिल के लिए रामबाण बन गया. अनिल ने तथ्यवार शिकायतों का पिटारा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया. ध्यान रहे कि कार्मिक मंत्रालय आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति समेत तमाम मामलों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है. इतना ही नहीं राज्य सरकारें अगर किसी आईएएस अफसर को पदोन्नति देती है तो उन्हें कार्मिक मंत्रालय की सहमति लेनी होती है. बिहार सरकार ने भी नियमों की औपचारिकता पूरी करते हुए तीनों अधिकारियों के प्रमोशन से संबंधित पत्र कार्मिक मंत्रालय को भेजा ताकि इन प्रमोशनों पर उसकी सहमति ली जा सके. लेकिन सीके अनिल के हथियार ने अपना असर दिखा दिया. कार्मिक मंत्रालय ने बीते 20 जुलाई को एक कड़ा पत्र बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा जिसमें उसने साफ लफ्जों में कहा कि इन अधिकारियों का प्रमोशन आईएएस कैडर रूल 1954 और आईएएस पे रूल 2007 का उल्लंघन है. इसलिए इन प्रमोशनों को राज्य सरकार वापस ले और उन अधिकारियों को अपने पिछले पद पर ही रखे.

केंद्र सरकार के इस पत्र के बाद बिहार सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग जो राज्य में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए उत्तरदायी है, इस पर चुप है. विभाग का कोई अधिकारी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि विभाग कार्मिक मंत्रालय के पत्र पर विचार कर रहा है. पर सवाल यह है कि कार्मिक मंत्रालय जो ऐसे मामले में अंतिम अथॉरटी है उसके पत्र पर विचार करने का कैसा औचित्य है? इसलिए अगर कार्मिक मंत्रालय इस मामले में ढिलाई नहीं बरते तो राज्य का समान्य प्रशासन विभाग देर-सबेर अपनी औकात में आ ही जाएगा. यहां याद दिलाना उचित होगा कि कुछ महीने पहले गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारी मंसूर अहमद को बिना ठोस वजह के सस्पेंड कर दिया था. मंसूर ने इस फैसले को चुनौती दी. नतीजा यह हुआ कि बिहार सरकार को उन्हें एक महीने के अंदर निलंबन मुक्त करना पड़ा था. आईएएस सीके अनिल ने अपने साथ हुई ना इंसाफी के खिलाफ लड़ने का साहस किया और देर-सबेर उन्हें इस लड़ाई का सकारात्मक नतीजा दिख भी सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

सीके अनिल ने खोला मोर्चा

आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन की जंग में पहले से तीन पक्ष शामिल हैं. पहला बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग, जिसने अधिकारियों को पदोन्नति दी, दूसरा व्हिसल ब्लोअर आईएएस अधिकारी सीके अनिल और तीसरा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय. लेकिन अब सीके अनिल ने इस मामले में चौथे पक्ष को भी शामिल करके लड़ाई को धारदार बना दिया है. चौथा पक्ष है बिहार का अकाउंटेंट जनरल(एजी). सीके अनिल ने अपने तमाम तर्कों और तथ्यों का पुलिंदा एजी बिहार को भेजते हुए आग्रह किया है कि प्रमोशन प्राप्त अधिकारियों को उनके पूर्व पद पर वापस करने की हिदायत कार्मिक मंत्रालय ने दी है, ऐसे में इन अधिकारियों को मिलने वाले प्रधान सचिव के वेतन स्लिप को रद्द किया जाए और उन्हें सचिव स्तर के वेतन स्लिप को फिर से लागू किया जाए. यहां यह याद रखना जरूरी है कि आईएएस अधिकारियों का वेतन स्लिप एजी के कार्यालय से ही जारी होता है.

सरकार के संचालन में नौकरशाही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है. राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच आपसी विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है. ऐसे में अधिकारियों की काबलियत कई बार मायने नहीं रखती, जबकि उनकी विश्वसनीयता या यूं कहें कि उनकी वफादारी सबसे से अहम हो जाती है. नीतीश सरकार के दस-ग्यारह वर्षों के कार्यकाल पर नजर डालें तो यह बात साफ झलकती है कि उन्होंने कुछ खास नौकरशाहों की टीम पर आंख मूंद कर भरोसा किया है. इनमें मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और गृह सचिव आमिर सुबहानी खास तौर पर काबिल ए जिक्र हैं. आमिर सुबहानी गृह सचिव की हैसियत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने विश्वस्त हैं कि कई राजनीतिक तूफान आए और गए, लेकिन आमिर सुबहानी की हैसियत जस की तस बनी रही. 2014 में लोकसभा चुनावों के बाद जब नीतीश ने बिहार का ताज जीतन राम मांझी को खुशी-खुशी सौंपा तो उनके साथ नीतीश के रिश्ते तब तक ही सलामत रहे जब तक कि मांझी ने उनके विश्वस्त नौकरशाहों के पर नहीं कतर दिए. ये आमिर सुबहानी, दीपक कुमार सिंह और चंचल कुमार सरीखे आईएएस अधिकारी ही थे जिन्हें मांझी ने लो प्रोफाइल विभागों में जैसे ही भेजा, वैसे ही बिहार की सियासत में राजनीतिक बवंडर मच गया. दरअसल इन नौकरशाहों के हटाए जाने के बाद यह तय हो गया था कि बिहार की सत्ता से नीतीश की पकड़ ढीली कर दी गई और आखिरकार उन नौकरशाहों के तबादले की कीमत मांझी सरकार को अपने पतन के रूप में चुकानी पड़ी. इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प यह था कि जैसे ही नीतीश कुमार ने मांझी के पतन के बाद सत्ता संभाली तो आमिर सुबहानी के सर पर फिर से गृह सचिव का ताज सज गया, जबकि चंचल को फिर से ताकतवर नौकरशाह बनाते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय ले आया गया. चंचल नीतीश कुमार के दूसरे कार्यकाल में भी सीएम सचिवालय में ही थे. इसी तरह दीपक कुमार सिंह भी सीएम नीतीश के खास नौकरशाहों में माने जाते हैं. हालांकि हरजोत कौर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सीधे तौर पर नीतीश कुमार की चहेते अधिकारियों में हैं या नहीं, लेकिन माना यह जाता है कि दीपक कुमार सिंह की पत्नी होने का लाभ उन्हें मिला. दीपक और हरजोत ने जेएनयू में एक ही साथ पढ़ाई की और एक ही साथ आईएएस बने और फिर शादी रचाई.■

जब शहाबुद्दीन से भिड़ गए थे अनिल

वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी और इस पूरे मामले के व्हिसल ब्लोअर सीके अनिल आत्म मग्न अधिकारी माने जाते हैं. वह फिलहाल बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में ओएसडी के पद पर हैं. दस वर्ष पहले वह अचानक तब सुर्खियों में आए थे जब वह सीवान के डीएम बनाए गए. तब राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गिरेबान पर हाथ डालने का साहस अनिल ने ही किया था. अनिल ने शहाबुद्दीन के खिलाफ केसों की तमाम फाइलें खुलवा दीं. इतना ही नहीं उन पर अनेक केस भी लाद दिये. जिसका नतीजा यह हुआ कि शहाबुद्दीन तब से आज तक जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सके. इन सबके बावजूद सीके अनिल पर नीतीश कुमार का या तो भरोसा जम नहीं पाया या फिर विरोधी गुट के नौकरशाहों की चक्की में अनिल पिसते जा रहे हैं. नौकरशाही के गलियारे में उनका अलग-थलग पड़ने की एक वजह यह भी मानी जाती है कि वह सीनियर अधिकारियों से भी उलझ जाने के लिए जाने जाते हैं. तत्कालीन जन शिकायत के सचिव सीके अनिल ने 2011 में प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह पर गाड़ी और टेलीफोन के गलत उपयोग का आरोप लगाया था. सरकार ने सीके अनिल से इस बाबत सबूत मांगा पर अनिल सबूत नहीं दे सके. इसके बाद सरकार ने यूपीएससी से सलाह मांगी. यूपीएससी की सलाह पर सरकार ने अनिल को एक साल के लिए डिमोट कर दिया था.■

क्या है पेप्टिक अलसर
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
Dr. V.C. Thakur

पटना से इस बार डॉ. भी.सी. ठाकुर द्वारा दी गयी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं- हमारा पेट नाजुक टिश्यू से बना है। थोड़ी सी गड़बड़ी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं खड़ी कर देती हैं। पेट में दर्द जलन, सुनने में भले ही अजीब लगे पर ऐसा ही होता है जब पेट मे अल्सर की शिकायत होती है। पेट में घाव या छाले के होने को चिकित्सीय भाषा में पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेट में म्युकस की एक चिकनी परत होती है, जो पेट की भीतरी परत को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। इस ऐसिड की खासियत यह है कि जहां यह ऐसिड पाचन क्रिया के लिए जरूरी होता है वहीं शरीर के उत्तकों को भी पहुंचाता है इस एसिड और म्युकस परतों के बीच तालमेल होता है इस संतुलन के बिगड़ने पर ही अल्सर होता है आम तौर पर यह अहार नली पेट छोटी आंत के उपरी भाग की भीतरी झिल्ली में होता है। मुख्यत: दो प्रकार के अल्सर ज्यादा होते हैं गैस्टिक अल्सर एवं डायोडेनल अल्सर। खान पान का ध्यान रखकर न केवल पट में अल्सर बढने से रोका जा सकता है बल्कि हमेशा के लिए इससे शिकार होने से बच सकते है। केला में एही वैकटीरियल तत्व प्रचुरता में होते हैं जो पेट के अल्सर को बढने से रोकता है। नाशपाती में पेलेवोनॉएड और एंटी ऑक्सीडेंट काफी मात्रा में अल्सर के लक्षणों को कम करने में सहायता करती है। सीने में जलन की शिकायत को दूर करने में सेब बहुत ही गुणकारी है। इस स्थिति में आप तुरंत एक सेब खा लें। सेब में असंख्य गुण छिपे होते हैं सेब सिने में जलन को शांत करने के अलावा पार्किंसन और अलजाइमर जैसी बीमारियों से निपटने में सहायक होता है। सेब में फाइवर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। परंतु यह आवश्यक है कि आपको परेशानी होने पर चिकित्सकीय परामार्श लें ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...

एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट से यूपी की क़ानून व्यवस्था का हाल उजागर

यूपी में सुरक्षित नहीं दलित महिलाएं

एस आर दारापुरी

अब यह आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) ने क्राइम इन इंडिया- 2015 रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में वर्ष 2015 में पूरे देश में दलित उत्पीड़न के अपराध के जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं उनसे यह उभर कर आया है कि दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश काफी आगे है. उत्तर प्रदेश की दलित आबादी देश में सबसे अधिक है. यह उत्तर प्रदेश की आबादी का 20.5 प्रतिशत है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2015 में दलितों के विरुद्ध उत्पीड़न के कुल 45,003 अपराध घटित हुए जिनमें से उत्तर प्रदेश में 8,358 अपराध घटित हुए. यह राष्ट्रीय स्तर पर कुल घटित अपराध का 18.6 प्रतिशत है. इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति एक लाख दलित आबादी पर घटित अपराध की दर 22.3 रही. इसमें उत्तर प्रदेश में यह दर 20.2 रही. यह भी उल्लेखनीय है कि 2013 की राष्ट्रीय दर 19.6 के मुकाबले में यह काफी अधिक है. इन आंकड़ों से एक बात उभर कर आई है कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि दलित महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की संख्या और दर राष्ट्रीय दर से काफी ऊपर है और कुछ अपराधों में तो सबसे अधिक है. यद्यपि उत्तर प्रदेश में दलितों के विरुद्ध कुल अपराध की दर राष्ट्रीय दर से कुछ कम है, लेकिन आंकड़ों के निम्नलिखित विश्लेषण से यह पाया गया है कि गंभीर अपराधों के मामले में यह राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची है.

हत्या: वर्ष 2015 में पूरे देश में दलितों की हत्या की संख्या 707 थी जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 204 हत्याएं हुईं. इस अपराध की राष्ट्रीय दर 0.4 के विपरीत उत्तर प्रदेश की दर 0.5 रही जो काफी ऊंची है. इससे स्पष्ट है कि दलितों की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश काफी आगे है.

बलात्कार: वर्ष 2015 में पूरे देश में दलित महिलाओं के बलात्कार के 2,332 अपराध घटित हुए जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 444 तथा बलात्कार के प्रयास के 22 मामले दर्ज हुए. यद्यपि इस अपराध की राष्ट्रीय दर 1.2 के विपरीत उत्तर प्रदेश की दर 1.1 रही, लेकिन कुल अपराधों की संख्या काफी अधिक रही.

शीलभंग के प्रयास में हमला: वर्ष 2015 में पूरे देश में दलित महिलाओं के शीलभंग के प्रयास में हमले के 2,800 अपराध घटित हुए जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 756 अपराध हुए. इस अपराध की राष्ट्रीय दर 1.4 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की यह दर 1.8 रही जो बहुत अधिक है.

यौन उत्पीड़न: वर्ष 2015 में पूरे देश में दलित महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 1,317 अपराध दर्ज हुए जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 704 मामले घटित हुए. इस अपराध की राष्ट्रीय दर 0.7 रही जबकि उत्तर प्रदेश की यह दर 1.7 थी जो कि देश में सबसे ऊंची है.

विवाह के लिए अपहरण: वर्ष 2015 में पूरे देश में विवाह के लिए अपहरण के कुल 455 मामले घटित हुए जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 338 अपराध घटित हुए. इस अपराध की राष्ट्रीय दर 0.2 के विपरीत उत्तर प्रदेश की यह दर 0.8 रही जो कि पूरे देश में सबसे ऊंची है. इसी प्रकार पूरे वर्ष में दलितों के अपहरण के 687 मामले दर्ज हुए जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 415 मामले घटित हुए. राष्ट्रीय स्तर पर इस अपराध की दर 0.3 रही जबकि उत्तर प्रदेश की यह दर 1.0 रही जो कि देश में सबसे ऊंची है.

गंभीर चोट: उपरोक्त अवधि में पूरे देश में गंभीर चोट के 1,007 मामले दर्ज हुए जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 366 मामले घटित हुए. इसकी राष्ट्रीय दर 0.5 रही जबकि उत्तर प्रदेश की यह दर 0.9 रही जो कि काफी अधिक है.

बलवा: वर्ष 2015 में पूरे देश में दलितों के विरुद्ध बलवे के 1,465 मामले दर्ज हुए, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 632 मामले घटित हुए. इस अपराध की राष्ट्रीय दर 0.7 थी जबकि उत्तर प्रदेश की यह दर 1.5 रही, जो कि काफी अधिक है.

एससी/एसटी एक्ट के अपराध: वर्ष 2015 में पूरे देश में दलितों के उत्पीड़न के 38,564 अपराध दर्ज

हुए जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 8,357 केस दर्ज हुए. इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की राष्ट्रीय दर 19.2 रही जबकि उत्तर प्रदेश की यह दर 20.2 रही, जो काफी अधिक है.

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में दलितों के विरुद्ध घटित कुल अपराध की दर राष्ट्रीय दर से कुछ कम है, लेकिन दलितों के विरुद्ध गंभीर अपराध जैसे हत्या, शीलभंग का प्रयास, यौन उत्पीड़न, गंभीर चोट, अपहरण और विवाह के लिए अपहरण, बलवा और एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत घटित अपराध की दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक रही. इन आंकड़ों से एक बात उभर कर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे बलात्कार, शीलभंग का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न तथा विवाह के लिए अपहरण आदि की संख्या एवं दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है. इससे यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में दलित महिलाएं बिलकुल सुरक्षित नहीं हैं.

एससी/एसटी की नियमावली 1995 में यह आदेश है कि इस एक्ट के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा न करके केवल वर्तमान अदालतों को ही विशेष अदालतों का नाम दे दिया गया है, जिससे इन मामलों के निस्तारण में लम्बी अवधि लगती है. इससे यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न के अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए उचित व्यवस्था है. समाजवादी सरकार को तो छोड़िए मायावती ने भी इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया. इसी प्रकार नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री को दलित उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा हेतु वर्ष में दो बार समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए, लेकिन न तो चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने और न ही वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तक ऐसी कोई समीक्षा बैठक बुलाई. लगभग यही स्थिति जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रति माह बुलाई जाने वाली समीक्षा मीटिंगों की भी है.

उत्तर प्रदेश जहां पर दलितों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहां दलितों पर होने वाले उत्पीड़न के अपराध खास करके संगीन अपराध बहुत अधिक हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है. एक तो वैसे ही समाजवादी सरकार का अब तक का रवैया दलित विरोधी रहा है. इसका सबसे बड़ा उदहारण यह है कि थानों पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति में 21 प्रतिशत का आरक्षण होने के बावजूद थानों पर उनकी बहुत कम तैनाती की गई है. इसका सीधा प्रभाव दलितों सम्बन्धी अपराध के पंजीकरण पर पड़ता है. यह भी उल्लेखनीय है कि अपराध के यह सरकारी आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि बहुत से मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते. अतः दलितों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की तस्वीर सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक भयावह है. इसलिए उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न के मामलों को रोकने तथा उनपर प्रभावी कार्रवाई के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन-दबाव की जरूरत है, जिसका फिलहाल सर्वथा अभाव है. ■

(लेखक पूर्व आईपीएस अधिकारी और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड फ़तह की भाजपाई जद्दोजहद

छोटे प्रांत में दो-दो महाबली

राजकुमार शर्मा

भाजपा के दिग्गज रणनीतिकारों को उत्तराखंड में जद्दोजहद करनी पड़ रही है. उत्तराखंड के प्रति पूरी पार्टी बेहद सतर्क है. 70 विधानसभा वाले छोटे हिमालयी राज्य के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दो-दो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं. जेपी नड्डा और धर्मेन्द्र प्रधान की गिनती पार्टी में बड़े रणनीतिकारों के साथ ही बेहद संगठनकर्ता के रूप में की जाती है. मोदी-शाह की जोड़ी हिमालय पर कमल खिलाने के साथ देश को कांग्रेस मुक्त हिमालय का भी संदेश देने के प्रयास में लगी हुई है.

भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड फतह का सपना दिवास्वप्न ही सिद्ध हो रहा है. मोदी लहर के दौर में राज्य में सभी पांच की पांच संसदीय सीटों पर भगवा लहराने वाली भाजपा के विजय रथ को राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐसे थाम लिया है कि भाजपा के दिग्गज रणनीतिकारों को उससे पार पाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं. गुजरात मॉडल का ढोल पीट कर भारत पर विजय पताका लहराने वाली मोदी-शाह की जोड़ी इन दिनों हिमालय फतह पर नित्य नई रणनीति को अमली जामा पहना रही है. कैलाश विजय वर्गीय को उत्तराखंड भेज कर हरीश सरकार में धनबल से भारी बगावत का बिगुल बजाने वाले भाजपा के दिग्गज रणनीतिकारों की हरीश सरकार को धराशाई करने की रणनीति परवान नहीं चढ़ सकी. मुकद्दर के सिकन्दर हरीश रावत ने भाजपा की रणनीति को ध्वस्त कर दिया. इस राजनीतिक हार से तिलमिलाए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह का अपनी पार्टी के दिग्गजों पर भरोसा नहीं रह गया. शाह अपने दिग्गज भामाशाहों को दरकिनार कर कांग्रेस से दगा करके आए उन दस विभीषणों पर कुछ ज्यादा भरोसा कर मिशन 2017 फतह की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपने पर विचार कर रहे हैं. भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता आज भी सूबे के हित के लिए 'खंडूरी है जरूरी' का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उम्रदराज होने के कारण नेतृत्व उन्हें लगातार नकार रहा है. राज्य में पार्टी हाईकमान ने हरीश रावत सरकार की पोल खोलो यात्रा की जिस गर्मजोशी के साथ शुरुआत की थी, उसे परवान चढ़ने से पहले ही हरीश रावत ने उनसे उल्टा सवाल करके उसकी हवा निकाल दी. सधी भाषा में हरीश ने जो सवाल दागे उससे भाजपा को जवाब नहीं सूझा.

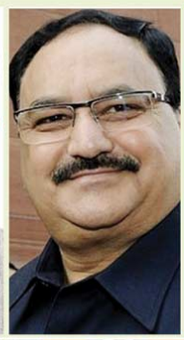

कांग्रेसियों को रावत-कांग्रेस का भय

धर्म नगरी हरिद्वार से हरीश रावत सरकार के विरुद्ध उठी चिंगारी को शोला में बदलने का भाजपा को इंतजार है. कांग्रेस के एक पूर्व विधायक द्वारा इंदिरा गांधी के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत ने प्रदेश संगठन के मुखिया किशोर उपाध्याय के न चाहते हुए भी भाग लेकर यह स्पष्ट कर दिया की रावत अपने बूते चलते हैं, प्रदेश संगठन के बूते नहीं. कार्यक्रम इंदिरा गांधी के नाम पर आयोजित था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस आलाकमान से मंजूरी नहीं ली गई थी. इसीलिए कांग्रेसी उसे कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं मान रहे थे. इसी कारण प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री या कोई अन्य नेता उस कार्यक्रम में जाएं. उन्होंने यह भी कहा था कि जो नेता उस कार्यक्रम में जाएगा उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है. लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत उस कार्यक्रम में बाकायदा मौजूद हुए. कांग्रेसी कहते हैं कि रावत की मनमानी के कारण ही कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और डॉ. हरक सिंह समेत 10 नेता कांग्रेस छोड़ कर अमित शाह के कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने चले गए. मुख्यमंत्री रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर में इन दिनों राजनीतिक महत्वाकांक्षा की खींचतान जबरदस्त चल रही है. कांग्रेस के दिग्गजों के साथ-साथ आम कार्यकर्ताओं को भी रावत-कांग्रेस के अस्तित्व में आने का भय सता रहा है. ■

हरीश रावत ने पूछा कि हमारे ही लोग जिन्हें कल तक भाजपा के लोग दैवी आपदा और कृषि सहित कई घोटालों के लिए खलनायक बताती थी, वही लोग आज भाजपा के नायक बने बैठे हैं, तो फिर पोल किसकी खोलेंगे!

भौगोलिक दृष्टि से छोटा लेकिन सियासी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड के प्रति पूरी पार्टी बेहद सतर्क है. यही कारण है कि इस राज्य के 70 विधानसभा वाले छोटे हिमालयी राज्य के लिए शाह ने दो-दो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं. इस छोटे राज्य में रत्ती भर की चूक की गुंजाइश न रहे इसके लिए दो-दो दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर कांग्रेस और भाजपा में सियासी दंगल का एक दौर पूरा हो चुका है, जिसमें राजनीतिक चूक के कारण भाजपा की देश की सर्वोच्च अदालत में भारी किरकिरी हो चुकी है. राज्य में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा पर्वतीय राज्य में सत्ता पर वापसी की कवायद में लगी है. दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत पर पूरा भरोसा कर चल रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपराधियों-माफियाओं को टिकट देने में सारे दल दिखाएंगे कौमी एकता

तय होगा सपा का मुख्तार कौन

प्रभात रंजन दीन

जिस मीडियाई सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय किसी भी कीमत पर नहीं होगा, उसी सभा में सपा के वरिष्ठ नेता व अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि कौमी एकता दल का सपा में विलय जरूर होगा. इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तय कर चुके हैं और उनका निर्णय सबों को मानना ही पड़ेगा. शिवपाल साथ-साथ यह भी कह गए कि अखिलेश समय के साथ परिपक्व होंगे. अब सपा में आरपार का समय आ गया दिखता है. जल्दी ही तय होगा कि सपा का मुख्तार कौन है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों साफ-साफ कहा कि मुख्तार अंसारी किसी भी स्थिति में सपा का हिस्सा नहीं बनेंगे. अगले ही दिन शिवपाल ने उसी मीडिया प्रतिनिधि के सामने उसी मीडियाई मंच से कहा कि कौमी एकता दल का जल्द ही सपा में विलय होगा. शिवपाल बोले कि कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी की पार्टी नहीं है, बल्कि उसके अध्यक्ष अफजाल अंसारी हैं. शिवपाल ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव कौमी एकता दल के सपा में विलय का फैसला ले चुके हैं, बस उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है. इसके बारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी बता दिया गया है. आपको याद ही होगा कि कौमी एकता दल के सपा में विलय को लेकर पार्टी निर्णय ले चुकी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से शिवपाल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर विलय की घोषणा भी कर दी थी. लेकिन अखिलेश का कड़ा विरोध देखते हुए समाजवादी पार्टी ने फैसला लम्बित रख दिया था. बताया गया था कि संसदीय बोर्ड ने विलय का फैसला रद्द कर दिया है. लेकिन सच्चाई यही है कि विलय के फैसले को तात्कालिक तौर पर लम्बित रखा गया था.

इसके बाद शिवपाल के इस्तीफे की पेशकश और मुलायम द्वारा मुख्यमंत्री अखिलेश और उनकी सरकार पर करारे प्रहार के बाद अखिलेश रास्ते पर आए और सिलसिलेवार वार्ता के बाद उन्हें विलय के मसले पर मनाया जा सका. हालांकि पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि अखिलेश विलय नहीं मानेंगे, चाहे पार्टी दो भाग में बंट क्यों न जाए. विलय पर शिवपाल के स्पष्ट बयान के बाद कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने भी कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से उनकी बात हुई है और जल्दी ही विलय या गठबंधन के बारे में वे फैसला कर लेंगे. कौमी एकता दल के सपा में विलय के पक्षधर सपा नेताओं का कहना है कि कौमी एकता दल का पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं पर खासा प्रभाव है. लेकिन जमीनी असलियत यही है कि कौमी एकता दल के मात्र दो विधायक हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर में 38 में से 32 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का कब्जा है. तीन सीटों पर बसपा और एक पर भाजपा का कब्जा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार पूर्वांचल के इन जिलों की ज्यादातर सीटों पर सपा की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वह कौमी एकता दल जैसी पार्टियों को अपने साथ लेकर लड़ना चाहती है.

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे नैतिकता की बातें भी दूर होती जा रही हैं. सारे चुनावों में ऐसा ही होता है. राजनीतिक दल जोड़-तोड़ में सारे सिद्धांत ताक पर रख देते हैं. तालमेल, गठबंधन और टिकट बंटवारे में फिर वही सारी चोंचलेबाजियां होंगी, जो पिछले चुनावों में होती आई हैं. फिर थैलीशाहों, दलालों और अपराधियों को टिकट दिए जाएंगे. उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है. मुख्तार अंसारी के लिए सपा पृष्ठभूमि तैयार कर रही है तो धनंजय सिंह के लिए बसपा जमीन तैयार कर रही है. ऐसा ही हाल अन्य दलों का भी है. जो कुख्यात माफिया किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, वे भी खुद या अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. कई कुख्यात माफिया सरगना जेल से ही चुनाव की बागडोर संभालेंगे. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर भी माफियाओं का खास आखेट स्थल बनने वाला है. कई नामी माफियाओं के जौनपुर की विभिन्न विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है. जेल में बंद माफिया सरगना बृजेश सिंह अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को जौनपुर की जफराबाद सीट से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ाने की जुगत में लगे हुए हैं. माफिया सरगना मुख्तार अंसारी भी जौनपुर की सदर विधानसभा सीट पर नजर गड़ाए हैं. संभावना है कि मुख्तार सपा के टिकट से वहां से चुनाव लड़ें. मुख्तार अंसारी अपनी पुरानी सीट मऊ को अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए छोड़ना चाहते हैं. उन्हें एक सुरक्षित मुस्लिम बहुल सीट की तलाश थी, जो उन्हें जौनपुर के सदर विधानसभा सीट में दिख रही है. सदर सीट पर अभी कांग्रेस के नदीम जावेद विधायक हैं. जानकार कहते हैं कि इलाहाबाद के पूर्व सांसद माफिया सरगना अतीक अहमद भी जौनपुर में ही चुनावी खम ठोकने की तैयारी कर रहे हैं. अतीक अहमद इलाहाबाद से अपनी पुरानी सीट पर अपने भाई अशरफ को लड़ाना चाहते हैं और खुद किसी और सीट की तलाश में हैं. उनका इरादा इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का था, लेकिन वहां सपा का विधायक होने की वजह से बात नहीं बन रही है. अतीक की भी चली तो वे सपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे. माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह को मड़ियाहूं से बसपा ने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है. मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत सिंह की कुछ ही दिनों पहले लखनऊ में हत्या कर दी गई थी. पुष्पजीत सिंह ही अपनी बहन सीमा सिंह की जौनपुर से चुनाव लड़ने की सारी तैयारियां देख रहे थे. पूर्व सांसद और चर्चित माफिया सरगना धनंजय सिंह खुद जौनपुर की मल्हनी सीट से बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. बसपा धनंजय सिंह और मुन्ना बजरंगी की पत्नी को टिकट दे कर ठाकुर मतों को प्रभावित कर रही है. बसपा नेता मायावती की इलाहाबाद रैली में मंच पर धनंजय सिंह की मौजूदगी ने भी ठोस संकेत दिए. मायावती की मौजूदगी में ही धनंजय सिंह का स्वागत भी हुआ और उनके फिर से बसपा में शामिल होने का ऐलान भी मंच पर ही किया गया. मंच संचालक इंद्रजीत सिंह सरोज जब यह ऐलान कर रहे थे, उस दौरान मायावती भी मंच पर मौजूद थीं. बिना मायावती की सहमति के बसपा में ऐसी घोषणा हो ही नहीं सकती. पूर्वांचल और खास कर जौनपुर में धनंजय सिंह की सवर्ण व राजपूत मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है, इसे देखते हुए मायावती ने धनंजय सिंह को अपने साथ शामिल किया है. बसपा से निष्कासित होने के बावजूद धनंजय सिंह ने किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख नहीं किया और बसपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी. आखिरकार मायावती ने उस पर अपनी मुहर लगा दी. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह को टिकट नहीं दिया था. धनंजय की पत्नी ने मल्हनी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने धनंजय को टिकट नहीं दिया. धनंजय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जौनपुर से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे.

ऐसे समय में जब स्वामी प्रसाद मौर्य, आरके चौधरी और बृजेश पाठक जैसे नेता पार्टी छोड़ गए और भाजपा नेता दयाशंकर सिंह प्रकरण की वजह से बसपा को राजपूतों की नाराजगी झेलने पड़ी, धनंजय सिंह को साथ लेकर बसपा ने पूर्वांचल के राजपूतों को मरहम लगाने का काम किया है. राजनीतिक समीक्षक भी यह मानते हैं कि जहां दबंगों और माफियाओं को चुनाव लड़ाने की सारी पार्टियों में होड़ चल रही है, अगर बसपा ने भी धनंजय सिंह, उनकी पत्नी जागृति सिंह और मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह को टिकट दे दिया तो राजपूत मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ निश्चित तौर पर जुड़ जाएगा. इसे भांपते हुए ही सपा नेता व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहना शुरू कर दिया कि मुलायम परिवार पर ठाकुर बहुओं का कब्ज़ा है. अमर सिंह के इस बयान को प्रदेश की राजनीति में राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. कानपुर की एक सभा में अमर सिंह ने मुलायम परिवार की बहुओं के राजपूत होने की बात कहते हुए खुद के भी राजपूत होने की बात कही थी. इसी समुदाय का रुख देखते हुए भाजपा भी बृजेश की पत्नी अन्नपूर्णा को टिकट देने पर विचार कर रही है. उल्लेखनीय है कि माफिया सरगना बृजेश सिंह ने हाल ही विधान परिषद चुनाव में जीत दर्ज की. बृजेश जेल से ही निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर चुनाव लड़े और 1984 मतों से जीत गए. उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीना सिंह को हराया. राजनीतिक गलियारे के धुरंधरों का कहना है कि भाजपा ने बृजेश सिंह को परोक्ष समर्थन दिया था और अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था. वाराणसी के एमएलसी सीट पर पिछले लगभग डेढ़ दशक से बृजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है. बृजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह दो बार और बृजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी एक बार एमएलसी रह चुकी हैं.■

अतीक अहमद

बृजेश सिंह

मुख्तार अंसारी

धनंजय सिंह

मुन्ना बजरंगी

राजनीति में अपराधियों को टिकट देने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी. 1977 में इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने अपराधियों को टिकट दिया. उसके बाद बाहुबलियों का चुनाव लड़ना और जीत कर लोकसभा व विधानसभा में पहुंचना चलन बन गया. उत्तर प्रदेश में तो इससे अपराधमय राजनीति का वर्चस्व कायम हो गया. सपा हो या बसपा, भाजपा हो या कांग्रेस, आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को सबने मान दिया. चुनाव सुधारों की तमाम कवायदों और तकरीरों के बावजूद अपराधियों को चुनाव मैदान से बाहर रख पाने में हमारा सिस्टम फेल साबित हो चुका है.

इस बार भी चुनाव में रहेगा माफियाओं का बोलबाला

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों-माफियाओं का बोलबाला रहा है. 2012 के विधानसभा चुनाव में जो विधायक जीत कर आए, उनमें से अधिकांश को पार्टियां फिर से टिकट देंगी, क्योंकि जीती हुई सीटों पर जीते हुए विधायकों का ही दावा है. पार्टियों का सिद्धांत भी यही है कि सिटिंग विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिया जाएगा. फिर पार्टियों के नेता यह कैसे कहते हैं कि उनकी पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 विधायकों में से 47 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. यह आधिकारिक तथ्यों पर आधारित आंकड़ा है. इन्हीं आधिकारिक तथ्यों का एक अहम हिस्सा यह है कि यूपी के 67 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं. 224 विधायकों में से 111 दागी विधायकों के साथ सपा सबसे पहले नम्बर पर है. भाजपा में 25 दागी विधायक, बसपा में 29 और कांग्रेस में 13 दागी विधायक हैं. वर्ष 2007 में 403 विधानसभा सदस्यों में से 140 पर यानी 35 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वर्ष 2012 में यह संख्या काफी बढ़ गई. 2017 में इसके और बढ़ने की आशंका है. मौजूदा विधानसभा के 403 विधायकों में से 189 विधायक दागी हैं. इनमें से 98 (24 फीसदी) विधायकों पर हत्या अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं. सपा के मित्रसेन यादव पर तो हत्या के तीन दर्जन मामले थे. हालांकि अब वे दिवंगत हो चुके हैं.

राजनीति में अपराधियों को टिकट देने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी. 1977 में इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने अपराधियों को टिकट दिया. उसके बाद बाहुबलियों का चुनाव लड़ना और जीत कर लोकसभा व विधानसभा में पहुंचना चलन बन गया. उत्तर प्रदेश में तो इससे अपराधमय राजनीति का वर्चस्व कायम हो गया. सपा हो या बसपा, भाजपा हो या कांग्रेस, आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को सबने मान दिया. चुनाव सुधारों की तमाम कवायदों और तकरीरों के बावजूद अपराधियों को चुनाव मैदान से बाहर रख पाने में हमारा सिस्टम फेल साबित हो चुका है. बिहार सीमा से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सैयदराजा से लेकर दिल्ली की सीमा से सटे गाजियाबाद तक हत्या, अपहरण, फिरौती के साथ-साथ आम आदमी के खिलाफ बड़े-बड़े अपराधों में शामिल अपराधी विधायक बनते या बनवाते रहे हैं. पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी से लेकर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बृजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, धनंजय सिंह और पश्चिमांचल में महेंद्र सिंह भाटी से लेकर डीपी यादव जैसे परस्पर विरोधी आपराधिक विरासत की परंपरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित होती चली गई. राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए माफियाओं का इस्तेमाल किया और बाद में माफियाओं ने अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया. अब दोनों आपस में इतने घुलमिल चुके हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन नेता है और कौन माफिया...

feedback@chauthiduniya.com

पर उपदेश कुशल बहुतेरे

अनंत विजय

ये हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि नब्बे साल के आसपास के और उसके पार के कई लेखक अभी भी अपनी रचनात्मक मौजूदगी और सक्रियता से पूरे परिदृश्य में सार्थक हस्तक्षेप कर रहे हैं. नामवर सिंह तो अब भी गोष्ठियों की शान हैं. रामदरश मिश्र लगातार अपने लेखन से समकालीन साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप कर रहे हैं. इसी तरह से कृष्णा सोबती की हिंदी साहित्य में उपस्थिति आश्वस्तिकारक है. पिछले दिनों जब पूरे देश में असहिष्णुता के खिलाफ कुछ लेखकों ने आंदोलन और पुरस्कार वापसी का अभियान चलाया था तो उसके बाद दिल्ली में देशभर के लेखकों का एक जमावड़ा भी हुआ था. कृष्णा सोबती जी उस जमावड़े में पहुंची थीं और अपनी बात उन्होंने रखी थी. उस वक्त देश में कथित तौर पर बढ़ रहे असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार वापसी अभियान को कृष्णा सोबती की भागीदारी से बल मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है. उनकी भागीदारी का जनमानस पर कितना असर हुआ इस पर मतभिन्नता हो सकती है. लेखक के तौर पर उनको अपनी बात कहने का हक है और साहित्य से इतर राजनीति पर भी अपनी राय प्रकट करने का अधिकार. कृष्णा सोबती के इस अधिकार की उनके वैचारिक विरोधियों ने भी सम्मान किया. असहिष्णुता के खिलाफ अभियान का साथ देने वाली कृष्णा सोबती से हिंदी जगत सहिष्णुता की अपेक्षा करता है. वाजिब भी है क्योंकि कहा जाता है कि जैसी आपकी अपेक्षा हो वैसा ही आपको आचरण करना चाहिए. लेकिन लगता है कि कृष्णा सोबती जी की अपेक्षाएं तो सहिष्णुता की है लेकिन वो अपने आचरण में वैसा दिखना नहीं चाहती हैं. अभी हाल के अपने एक आचरण से उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि वो एक सीमा के बाद असहिष्णु हो जाती है. पूरा वाकया ये है कि युवा लेखिका, फोटोग्राफर कायनात काजी के कृष्णा सोबती के लेखन पर किए गए शोध प्रबंध के प्रकाशन और विमोचन से जुड़ा. श्रमपूर्वक सालों तक शोध कार्य के बाद कायनात काजी की किताब-कृष्णा सोबती का साहित्य और समाज प्रकाशित हुई. युवा लेखिका के लिए यह सपने के सच होने जैसा था. हिंदी की मौजूदा दौर की सबसे बड़ी लेखिकाओं में से एक कृष्णा सोबती पर प्रकाशित किताब को लेकर वो खासी उत्साहित थीं. पुस्तक प्रकाशित होने के बाद ज्यादातर लेखकों को उसको विमोचित करवाने और उस पर चर्चा आदि की इच्छा होती है. कायनात ने भी ऐसा ही एक सपना देख लिया लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये सपना दिवास्वप्न साबित होगा. विमोचन के लिए उसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी और दूरदर्शन के संपादक और तिब्बत के मसलों पर काफी दिनों से सक्रिय विजय क्रांति को बुला लिया. कार्ड आदि भी छप और बंट भी गए. उत्साह में उसने कार्ड कृष्णा सोबती जी को भेज दिया. अब यहीं से हिंदी की इस युवा लेखिका कायनात काजी के सपनों के दरकने की शुरुआत हो गई. विमोचन कार्यक्रम के कार्ड पर जोशी जी और विजयक्रांति का नाम देखकर वो आगबबूला हो गईं और कायनात को फौरन इस कार्यक्रम को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया. वजह बेहद दिलचस्प. कृष्णा जी का मानना था कि चूंकि कार्यक्रम में सभी संघियों को बुला लिया गया है लिहाजा वो वहां अपने नाम का इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दे सकती. एक तरफ कृष्णा सोबती जैसी हिंदी साहित्य की कद्दावर लेखिका तो दूसरी तरफ एक नवोदित लेखिका कायनात काजी.

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कृष्णा सोबती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी गई अमृता प्रीतम के बीच इस साहित्यिक विवाद की उस वक्त पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी. जब केस का फैसला आया तो अमृता प्रीतम की मौत हो गई थी. केस के फैसले के बाद कृष्णा सोबती ने बौद्धिक संपदा का तर्क देते हुए कहा था कि हार जीत से ज्यादा जरूरी उनके लिए अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए संघर्ष करना था. अब उस वक्त भी कई लेखकों ने कृष्णा सोबती को याद दिलाया था कि जिंदगीनामा का पहली बार प्रयोग उन्होंने नहीं किया था. कृष्णा सोबती के उपन्यास के पहले फारसी में लिखी दर्जनों किताबें इस शीर्षक के साथ मौजूद हैं.

बताया जा रहा है कि कृष्णा सोबती जी ने तो कायनात को धमकी दी कि अगर विमोचन का कार्यक्रम हुआ और उसमें उनके नाम का इस्तेमाल किया गया तो वो केस कर देंगी. कृष्णा जी के साहित्यिक कद और प्रतिष्ठा के आगे कायनात काजी ने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया. विमोचन का कार्यक्रम नहीं हुआ.

कुछ दिनों पहले कृष्णा सोबती जी का एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने युवा लेखकों को लेकर उत्साह दिखाया था समकालीन युवा लेखन को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दे रही थीं. उन्होंने किसी लेखक का नाम तो नहीं लिया था लेकिन युवा लेखकों को चेताते हुए उनको अपने लिखे की तारीफ की अपेक्षा से बचने की सलाह दी थी. उन्होंने युवा रचनाकारों को देश विदेश के लेखकों को पढ़ने की नसीहत भी दी थी और कहा था कि इससे उनकी सोच का दायरा बढ़ेगा. जब उनकी नसीहतों के मुताबिक एक युवा लेखिका ने कृष्णा जी की रचनाओं को पढ़कर, समझकर अपने सोच का दायरा बढ़ाने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र हुआ ये पूरे हिंदी साहित्य के सामने है. ऐसी परिस्थितियां साहित्य जगत में हर काल में मौजूद रही होंगी तभी तो कहा गया है-पर उपदेश कुशल बहुतेरे.

अब जरा हम कृष्णा सोबती की उस मानसिकता का विश्लेषण करते हैं जिसके तहत उन्होंने पुस्तक विमोचन के कार्ड को देखने के बाद कहा कि सभी संघियों को बुला लिया. चलिए अगर हम कृष्णा जी की बात मान भी लें कि सच्चिदानंद जोशी और विजयक्रांति संघी हैं तो क्या संघी होने से कोई भी शख्स अस्पृश्य हो जाता है. क्या वामपंथी या अन्य किसी विचारधारा को मानने वालों के लिए अपने से अलग विचारधारा के साथ विचार विनिमिय नहीं करना चाहिए. अगर कृष्णा जी को संघियों से और उनकी विचारधारा से इतना ही परहेज या घृणा है तो उनको अपनी किताबों के कवर पर लिखवा देना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े या उनकी विचारधारा को मानने वाले इस किताब को नहीं खरीदें. क्या कृष्णा जी ये साहस दिखा पाएंगी? अगर पूर्व प्रकाशित किताबों पर नहीं लिखा तो क्या शीघ्र प्रकाश्य अपनी आत्मकथात्मक कृति गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान तक के कवर पर यह लिखने का साहस दिखा पाएंगी? अगर हां तो उनके साहस को सलाम किया जाना चाहिए और कायनात काजी के विमोचन को टलवा देने के उनके फैसले को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. अगर वो ऐसा करने का साहस नहीं दिखा पाती हैं तो फिर उनके इस दोहरे रवैये पर साहित्य जगत में व्यापक बहस होनी चाहिए. क्या ये एक प्रकार की साहित्यक असहिष्णुता और अस्पृस्यता नहीं है? कृष्णा जी हिंदी साहित्य की गौरव हैं और उनका लेखन हिंदी समाज कि थाती. उसपर चर्चा करने का हक व्यापक हिंदी समाज को है. मेरा तो मानना है कि किसी भी लेखक की कृति जब छपकर पाठकों के बीच पहुंच जाती है तो वो लेखक से ज्यादा पाठकों की हो जाती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा, जाति या धर्म का क्यों न हो. क्या पाठक की भी कोई अलग पहचान हो सकती है. क्या साहित्य में वर्ग विभाजन का कृष्णा जी का ये कदम उचित है. एक नवोदित लेखिका के साथ इस तरह का व्यवहार अगर साहित्य के शिखर पर बैठी लेखिका करेंगी तो साहित्यकारों की कैसी छवि बनेगी इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है.

अब रही बात कायानात को केस करने की धमकी की तो कृष्णा जी ने तो अमृता प्रीतम पर उनकी कृति हरदत्त का जिंदगीनामा को लेकर केस कर ही दिया था. वो केस करीब पच्चीस साल तक चला था और फैसला अमृता प्रीतम के पक्ष में आया था. दरअसल अमृता प्रीतम की किताब हरदत्त का जिंदगीनामा, जब छपा तो कृष्णा जी को लगा कि ये शीर्षक उनके चर्चित उपन्यास जिंदगीनामा से उड़ाया गया है और वो कोर्ट चली गईं. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कृष्णा सोबती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी गई अमृता प्रीतम के बीच इस साहित्यिक विवाद की उस वक्त पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी. जब केस का फैसला आया तो अमृता प्रीतम की मौत हो गई थी. केस के फैसले के बाद कृष्णा सोबती ने बौद्धिक संपदा का तर्क देते हुए कहा था कि हार जीत से ज्यादा जरूरी उनके लिए अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए संघर्ष करना था. अब उस वक्त भी कई लेखकों ने कृष्णा सोबती को याद दिलाया था कि जिंदगीनामा का पहली बार प्रयोग उन्होंने नहीं किया था. कृष्णा सोबती के उपन्यास के पहले फारसी में लिखी दर्जनों किताबें इस शीर्षक के साथ मौजूद हैं. मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने तो उस वक्त भी कहा था कि श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य ने उनकी जीवनी भी जिंदगीनामा के नाम से लिखी थी और ये किताब कृष्णा सोबती के उपन्यास के काफी पहले प्रकाशित हो चुकी थी. जिंदगीनामा को लेकर कैसी बौद्धिक संपदा का गुमान और उसको लेकर कैसा विवाद और केस मुकदमा. बावजूद इसके कृष्णा जी ने वो सब किया. ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णा जी के इस कदम की जानकारी कायनात काजी को थी लिहाजा इस नवोदित लेखिका ने केस मुकदमों के पचड़े में पड़ने की बजाए कृष्णा जी के फरमान को मानने में ही अपनी भलाई समझी और पुस्तक विमोचन और उसपर चर्चा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया. पुस्तक विमोचन का रद्द होना संभव है मामूली घटना लगे लेकिन इसकी अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई देगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

जीवन का ज्ञान

अंगूर

- **हृदय रोग :** यदि हृदय में पीड़ा हो तो 3 भाग मुनक्का कल्क में एक भाग शहद तथा 1/2 भाग लौंग मिलाकर कुछ दिन सेवन करें.
- 7 नग मुनक्का, 5 नग काली मिर्च, 10 ग्राम भुना जीरा तथा 6 ग्राम सेंधानमक को मिलाकर चटनी बनाकर सेवन करने से कब्ज तथा अरुचि दूर होती है.
- 8-10 नग मुनक्कों को काली मिर्च के साथ घोटकर पिलाने से पथरी टूट-टूट कर निकल जाती है.
- 100-200 ग्राम मुनक्का को घी में भूनकर थोड़ा सेंधानमक मिलाकर नित्य 5-10 ग्राम तक खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है.
- बल एवं पुष्टि के लिए- 12 नग मुनक्का, 5 नग छुहारा तथा 7 नग मखाना, इस सभी को 250 मिली दूध में डालकर खीर बनाकर सेवन करने से रक्त तथा मांस की वृद्धि होकर शरीर पुष्ट होता है.
- 20 से 60 ग्राम किसमिस को रात्रि को एक कप जल में भिगो दें, प्रात:काल मसलकर-छानकर जल को पीने से दौर्बल्य का शमन होता है.

- मुनक्का, काली मिर्च और सेंधानमक तीनों को पीसकर 250 मिग्रा की गोलियां बनाकर 2-2 गोली प्रात: सायं सेवन करने से पित्तज्वर में लाभ होता है.
- **रक्तपित्त-** मुनक्का तथा हरड़ से निर्मित 10-30 मिली क्वाथ में मिश्री व शहद मिलाकर पीने से कास, श्वास तथा रक्तपित्त में लाभ होता है.

परिचय

चरक, सुश्रुतादि सभी प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रन्थों में द्राक्षा, पृद्वीका आदि नामों से अंगूर का वर्णन पाया जाता है. एक बहुवर्षायु सुदीर्घ लता है. फलों में यह सर्वोत्तम एवं निर्दोष फल है, क्योंकि यह सभी प्रकार की प्रकृति के मनुष्यों के लिए अनुकूल है. निरोगी के लिए यह उत्तम पौष्टिक खाद्य है तो रोगी के लिए बलवर्धक पथ्य. जब कोई खाद्य पदार्थ पथ्य रूप में न दिया जा सके, तब द्राक्षा (मुनक्का) का सेवन किया जा सकता है. रंग और आकार तथा स्वाद भिन्नता से अंगूर की कई किस्में होती हैं. काले अंगूर, बैंगनी रंग के अंगूर, लंबे अंगूर, छोटे अंगूर, बीज रहित जिनको सुखाकर किशमिश बनाई जाती है. काले अंगूरों को सुखाकर मुनक्का बनाई जाती है. भारत में जम्मू-काश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं हरियाणा में इसकी खेती की जाती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **शिरो रोग :** शूल 8-10 नग मुनक्का, 10 ग्राम मिश्री तथा 10 ग्राम मुलेठी, तीनों को पीसकर देने से पित्त-विकृतिजन्य शिर:शूल का शमन होता है.
- **मुखरोग :** 10 नग मुनक्का तथा 3-4 ग्राम जामुन के पत्ते मिलाकर क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से दंतशूल, मुखदौर्गन्ध्य तथा अरुचि का शमन होता है.
- अंगूर स्वरस का गरारा करने से कण्ठदाह, शूल तथा शोथ का शमन होता है.
- एक ग्राम मिश्री, 500 मिग्रा पीपर, एक ग्राम मुनक्का तथा एक ग्राम तिल को शहद के साथ सेवन करने से श्वास तथा सर्दी का शमन होता है.
- 8-10 नग मुनक्का, 25 ग्राम मिश्री तथा 2 ग्राम कत्थे को पीसकर मुख में रखकर चूसने से कफ विकारों में लाभ होता है.

विष चिकित्सा :

- **धतूरे का विष :** 10 मिली अंगूर के सिरके को 100 मिली दूध में मिलाकर पिलाने से धतूरे सेवन जन्य विषाक्त प्रभावों का शमन होता है.
- हरताल के विष पर-रोगी को वमन कराकर 10-20 ग्राम किसमिस को 250 मिली दूध में पकाकर पिलाएं.

प्रयोज्यांग- पंचांग, पक्व फल, शुष्क फल, पत्र, पुष्प एवं काण्ड.

मात्रा- 10-20 ग्राम. स्वरस 50-100 मिली. क्वाथ 10-30 मिली. हिम 10-20 मिली.

आचार्य बालकृष्ण

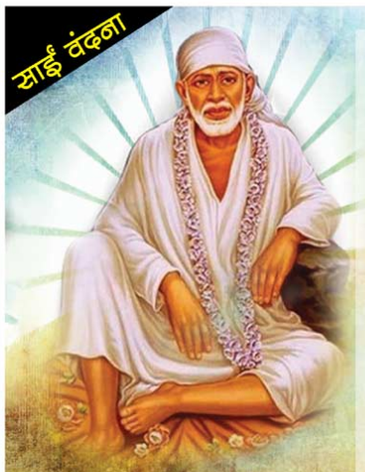

साईं वंदना

विदेशों में साईं-भक्ति-प्रवाह

बाबा के प्रति आस्था का प्रसार करने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके, वह करना चाहिए और कुछ नहीं तो उनके बारे में लोगों को बताया जा सकता है, दूसरों को उनकी फोटो दी जा सकती है और बाबा के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सकता है.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

मैं विदेशी भूमि पर साईं-प्रवाह आरंभ करना चाहता हूं, लेकिन यह कैसे करूं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है और न ही ऐसे लोग हैं, जिनसे संपर्क करके मैं यह कार्य कर सकूं. फिर यह कार्य मैं कैसे करूं?

साईं से संबंधित व्यापक तौर पर कार्य करने के लिए पहले स्वयं को मानसिक, नैतिक और आर्थिक रूप से शक्तिवान होना पड़ेगा. अभी की स्थिति में आप यह कर सकते हैं-

1. बाबा की फोटो/चित्रों आदि को मुफ्त बांटें.
2. बाबा से संबंधित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रचार/वितरण करें.
3. बाबा के भक्तों को रविवार को बुलाएं और बाबा की प्रार्थना या आरती करें.

चरण-दर-चरण आगे बढ़ें और बाबा से निर्देश के लिए प्रार्थना करें.

सहस्राब्दि के अंत में मैं विश्व युद्ध के बारे में सुनता रहा हूं. क्या यह सत्य है? साईं के प्रति लोगों की आस्था बढ़े इसके प्रसार के लिए मैं क्या सहायता कर सकता हूं?

किसी भी सभ्यता में युद्धों का होना अवश्यंभावी है. वृहत् स्तर पर यह कहीं अधिक बड़ा ईश्वरीय क्रिया-कलाप है. जब तक मनुष्य सहनशील और नि:स्वार्थी होना नहीं सीख जाता, तब तक समय-समय पर युद्ध होते रहेंगे.

बाबा के प्रति आस्था का प्रसार करने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके, वह करना चाहिए और कुछ नहीं तो उनके बारे में लोगों को बताया जा सकता है, दूसरों को उनकी फोटो दी जा सकती है. और बाबा के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सकता है. इनके अलावा भी और भी बहुत से कार्य हैं, जिनके विषय में व्यक्ति सोच सकता है. किसी भी जरूरतमंद की बाबा के नाम पर सहायता करना भी एक अच्छा कार्य है. यहां तक कि जानवरों, पक्षियों आदि की भी बाबा के नाम पर सहायता करना एक सकारात्मक कार्य है.

इस समय मैं अपनी आध्यात्मिक नियति की खोज कर रहा हूं. मैं साईं बाबा के बारे में प्रवचन करना चाहता हूं, पर मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं है. कृपया मुझे अपनी राय दें.

श्री साईं के लिए कार्य करने की इच्छा होना, एक उत्तम विचार है. लेकिन पहले स्वयं को अपने घोर परिश्रम और धैर्य द्वारा एक आधारभूमि बनानी होगी. ऐसा कार्य किया जा सकता है यदि किसी के भाव शुद्ध हों और साथ ही बुद्धि, ज्ञान और भौतिक सहायता भी हो. इस काम में जी-जान से, आगे बढ़ने के लिए स्वयं में गुण उत्पन्न करने होंगे. इस दिशा में विकास धीमी गति से होगा और व्यक्ति को यथार्थ का सामना बहुत सहनशीलता से करना होगा. अध्यात्मवाद के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है. बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको अपने कार्य के योग्य बनाएं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

भारत में अंतरराष्ट्रीय एथलीट पैदा करने की इच्छाशक्ति नहीं

जेएस भाटिया

भूखे पेट कैसे लाएं मेडल!

खेल संघों की टुच्ची राजनीति भी खिलाड़ियों की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार

गुलाब चंद

सैयद मोहम्मद अब्बास

देश के जाने-माने कोच जेएस भाटिया बोले, 'खेलों को अब खिलाड़ियों ने सरकारी नौकरी पाने का जरिया बना लिया है. खिलाड़ियों में जीतने की भूख नहीं दिखती. केवल ओलम्पिक खेल लेने से बड़े खिलाड़ी नहीं बनते हैं. देश में एथलेटिक्स के विकास की कोई योजना ही नहीं है. पैसे खर्च करके मेडल थोड़े ही मिलते हैं. अपने जमाने के मशहूर धावक गुलाब चंद ने कहा, भारत में खेलों की कोई ठोस योजना नहीं है. प्रतिभा निचले स्तर से खोजनी होगी. विदेशों के मुकाबले भारत में ट्रेनिंग जीरो है. सुविधा और पैसों के अभाव में भारतीय प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं.

रियो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ी लगातार अपनी साख गिरा रहे हैं. यह बात भी सत्य है कि क्रिकेट में अगर भारत का डंका पूरे विश्व में बोलता है तो दूसरे खेलों में भारतीय खिलाड़ी एड़ियां रगड़ते हैं. उनका प्रदर्शन विश्व स्तर का नहीं होता है. भारत को कोई ऐसा एथलीट नहीं मिल पाया है जो विश्व खेल जगत में पहचान बनाए. अतीत में एकाध एथलीट अपने प्रदर्शन के दम पर भारत का गौरव बढ़ा पाए लेकिन वर्तमान दशा इसके एकदम उलट है. ओलम्पिक

मिल्खा के बाद पीटी उषा भी ओलम्पिक में पदक जीतने से चूक गई थीं. यह बात गुजरे जमाने की है. अभी भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन वर्ल्ड क्लास का नहीं है. सरकार पैसे खर्च करती है, लेकिन ठोस योजनाओं के अभाव में खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होता है. जाने-माने एथलेटिक्स कोच जेएस भाटिया ने भी भारतीय एथलेटिक्स के स्तर की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने 'चौथी दुनिया' से एक विशेष बातचीत में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में प्रतिबद्धता की कमी है.

जैसी प्रतियोगिता में भारतीय एथलिटों के न चलने से खेल प्रेमियों को भी अब अखरने लगा है. ओलम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता में भारी-भरकम दल भेजा जाता है लेकिन बाद में एथलीटों का प्रदर्शन इतना घटिया होता है कि हम और शर्मसार होने पर मजबूर हो जाते हैं. यह ठीक है कि हार और जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जीत खुशी और गौरव देती है और हार निराशा और शर्म. एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ी लगातार पिछड़ रहे हैं. पदक तो दूर की बात है उनका क्वालीफाई करना भी मुश्किल हो जाता है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो मिल्खा सिंह की तूती किसी जमाने में खूब बोलती थी. रोम ओलम्पिक में मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूकने वाले मिल्खा को उनके शानदार खेल के लिए फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था. 50 और 60 के दशक में मिल्खा की रफ्तार देखते ही बनती थी. मिल्खा के बाद 80 के दशक में शाइनी रफ्तार की नई उड़ान भर रही थीं. हालांकि पीटी उषा ने उनसे ज्यादा नाम कमाया. 80 और 90 के दशक में दोनों एथलीटों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का खूब मान बढ़ाया था, लेकिन मिल्खा के बाद पीटी उषा भी ओलम्पिक में पदक जीतने से चूक गई थीं. यह बात गुजरे जमाने की है. अभी भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन वर्ल्ड क्लास का नहीं है. सरकार पैसे खर्च करती है, लेकिन ठोस योजनाओं के अभाव में खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होता है. जाने-माने एथलेटिक्स कोच जेएस भाटिया ने भी भारतीय एथलेटिक्स के स्तर की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने 'चौथी दुनिया' से एक विशेष बातचीत में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में प्रतिबद्धता की कमी है. ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में उनकी साफ राय यही थी कि भारतीय खिलाड़ी विजय के लिए नहीं खेलते हैं बल्कि एकाध प्रदर्शन की बदौलत सरकारी नौकरी के लिए लालायित रहते हैं. उन्होंने कहा कि छोटे देश भी जबरदस्त एथलीट पैदा करते हैं, लेकिन भारत में एथलीटों का अकाल पड़ा हुआ है. उनके मुताबिक खिलाड़ियों ने खेलों को अब सरकारी नौकरियों का जरिया बना लिया है. अक्सर खिलाड़ी छोटी-मोटी प्रतियोगिता में पदक जीतकर सरकारी नौकरी का दावा ठोक देते हैं. नौकरी मिलने के बाद वे आराम से दिन गुजारने लगते हैं और देश के लिए बड़े स्तर पर पदक जीतने की उनकी भूख मर जाती है. जेएस भाटिया का दर्द साफ-साफ देखा जा सकता है. वे कहते हैं कि ओलम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता में देश का कोई खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है. दूसरे देशों में एथलेटिक्स के लिए एक अलग जुनून देखा जाता है. बकायदा खिलाड़ियों को बड़े स्तर के लिए तैयार किया जाता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. यहां खिलाड़ियों में यह भाव रहता है कि ओलम्पियन बनना ही बड़ी उपलब्धि है. दरअसल भारतीय खिलाड़ी ओलम्पिक में हिस्सा लेने के लिए उतावले तो होते हैं लेकिन पदक जीतने की बात आती है तो वे टांय-टांय फिस्स हो जाते हैं. अक्सर खिलाड़ी ओलम्पियन बनकर अपने करियर से संतुष्ट हो लेता है. जेएस भाटिया ने बेबाकी से कहा कि सरकार पैसा खर्च कर मेडल चाहती है लेकिन यह सम्भव नहीं है. सरकार खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च तो करती है, लेकिन उसे सही दिशा में खर्च नहीं किया जाता है और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना भी नहीं है. छोटे-छोटे देश ओलम्पिक में स्वर्ण पदक हासिल कर लेते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं. साफ है कि उनमें पदक जीतने की भूख नहीं होती. जिन खिलाड़ियों में यह भूख होती है, वे सिंधु या मलिक की तरह जद्दोजहद करके पदक जीत ही लेते हैं.

अपने जमाने के दिग्गज एथलीट रहे गुलाबचंद भी मानते हैं कि भारत में एथलेटिक्स को कोई खास सुविधा नहीं है. खिलाड़ियों को कभी खेल से जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है. विदेशी खिलाड़ी कई मामलों में भारतीय खिलाड़ियों से काफी आगे होते हैं. भारत में मैदान है, लेकिन सुविधा का अभाव है. गुलाबचंद कहते हैं कि अगर एथलेटिक्स में भारत को करिश्मा करना है तो नई प्रतिभाओं को ग्रास रूट से खोजना होगा. भारत में कोचिंग का स्तर भी एकदम शून्य पर है, जबकि विदेशों में बच्चों को शौक के हिसाब से खेलों में तराशा जाता है. भारत में तो स्टेडियम में एथलेटिक्स से सम्बन्धित सामान मौजूद ही नहीं रहता. अक्सर भारतीय खिलाड़ियों को विदेशों में ट्रेनिंग करनी पड़ती है. सुविधा और पैसों के अभाव में भारतीय प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं. जूनियर स्तर पर अगर खिलाड़ियों को तैयार किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आखिर क्या कारण है एथलेटिक्स में भारत के पिछड़ने का

भारत में क्रिकेट जैसे खेल लगातार अपनी पैठ जमा रहे हैं जबकि अन्य खेल लगातार दम तोड़ रहे हैं. एथलेटिक्स में भारत के पास कोई बड़ा नाम नहीं है. रियो ओलम्पिक में भारत की एथलेटिक्स टीम कुछ खास नहीं कर सकी. दरअसल भारत में खेलकूद को लेकर सरकार मुस्तैद भी नहीं रहती. खिलाड़ियों को आधारभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पातीं. खेलों के विकास पर अन्य देशों में जितना ध्यान दिया जाता है, उतना भारत में नहीं दिया जाता. बल्कि खेलों में भी राजनीति अंदर तक घुस कर दीमक की तरह उसका सत्यानाश कर रही है. खास तौर पर एथलेटिक्स को स्कूली स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है. केवल नाम के लिए स्कूलों में खेलों को शामिल किया जाता है लेकिन प्रतिभा तलाशने का कोई सार्थक काम नहीं होता. राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ हैं वह एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने के बजाय राजनीति करने और अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं. सरकार पैसा खर्च करती है लेकिन संघ की लापरवाही का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है. खेलों के विशेषज्ञ बार-बार यह मांग करते रहते हैं कि भारतीय ओलम्पिक संघ और सरकार को साथ मिलकर प्रतिभाओं को खोजना चाहिए. छोटे-छोटे राज्यों से भी खिलाड़ी आते हैं लेकिन बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें तराशने के लिए समयबद्ध योजना का अभाव है. खिलाड़ी आर्थिक स्थिति में कमजोर होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते और सरकारें या संस्थाएं उनकी कोई मदद नहीं कर पातीं. भारत में कोचों की भी भारी कमी है. प्रतिभावान एथलीटों को औसत दर्जे की ट्रेनिंग से काम चलाना पड़ता है. स्कूली स्तर पर प्रतिभा को खोजने के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ कभी जहमत तक नहीं उठाता है. संघों को मिलने वाली राशि का सही प्रयोग भी नहीं होता है. भारत जैसे देश में क्रिकेट को लोग धर्म की तरह देखते हैं लेकिन एथलेटिक्स को लेकर ऐसा नहीं है. क्रिकेट में अगर कोई स्टार होता है तो उसपर पैसों की बारिश होती है. वहीं एथलेटिक्स के कई खिलाड़ी छोटी-मोटी नौकरी कर किसी तरह से गुजारा करते हैं. खिलाड़ियों के डाइट प्लान को लेकर योजना नहीं होती है. अक्सर खिलाड़ियों को सही खाना नहीं मिल पाता है. इससे मैदान में वह प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाते. खराब खाने की वजह से उनमें स्टेमिना और दृढ़ इच्छाशक्ति की भारी कमी देखी जाती है. खेल विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है. दूसरे देशों में खेलों को संस्कृति की तरह लिया जाता है. यहां खिलाड़ियों को खुद की अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है. भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के तरीकों में खामी पायी जा सकती है. तकनीक रूप से भी पिछड़ने के चलते खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होता है. विदेशों में एथलीटों को ट्रेनिंग देने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ-साथ नये उपकरणों का साथ मिलता है. कुल मिलाकर देखा जाये तो भारत में खेलों को लेकर कोई सिस्टम नहीं है. अगर भविष्य में एथलेटिक्स में पदक की भूख जगानी है तो बुनियादी स्तर पर काम करना होगा तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का दावा कर सकते हैं. ■

मशहूर एथलीट ने खिलाड़ियों को मिलने वाली डाइट पर उठाया सवाल

देश के जाने-माने एथलीट व आयरन-मैन के नाम से मशहूर विजय सिंह चौहान ने भी ओलम्पिक में भारत के प्रदर्शन पर गहरा अफसोस जताया. उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों में प्रतियोगी मानसिकता की भारी कमी है. विजय सिंह ने भारतीय खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट पर भी सवाल उठाय. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को छह हजार कैलोरी मिलती है, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को दस हजार कैलोरी दी जाती है. यही फर्क है उनके और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में. भारत में पानी से लेकर हवा तक दूषित हो चुकी है. इसके चलते भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गिरावट आई है. विजय सिंह बेबाकी से कहते हैं कि अन्य देशों में एथलीटों को तैयार करने का अलग मापदंड होता है जबकि भारत में ऐसा कोई मापदंड निर्धारित नहीं है. उन्होंने क्यूबा का उदाहरण देते हुए बताया कि 1962 में क्यूबा में 60 प्रतिशत धन मेडिकल पर खर्च किया जाता था लेकिन जब उन्होंने अपने यहां खेलों को अनिवार्य बनाया तो 1982 में 20 प्रतिशत मेडिकल और शेष स्पोर्ट्स पर खर्च होना शुरू हुआ. इसके साथ ही वहां ओलम्पिक में मेडल भी आना शुरू हो गया. बॉक्सिंग में उनके खिलाड़ी स्वर्ण पर पंच लगाते दिख रहे हैं. भारत में स्पोर्ट्स अनिवार्य नहीं है जबकि यूनीसेफ की दलील है कि स्पोर्ट्स को शुरू से ही अनिवार्य कर देना चाहिए. इससे नागरिक स्वस्थ्य भी रहेंगे और एथलीटों की तैयारी में भी आसानी होगी. विजय सिंह ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 25 लाख लोगों को खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है. पांच साल तक कठिन ट्रेनिंग कराई जाती है. इसके बाद उनमें से पांच लाख लोगों को रुचि के हिसाब से छांट लिया जाता है. इसी पांच लाख लोगों को अगले पांच साल ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद कुछ नामों को चुनकर उन्हें ओलम्पिक लिए तैयार किया जाता है. उन्होंने कहा कि भारत में कोचिंग का स्तर भी बेहद खराब है. कोच को ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. देश में स्पोर्ट्स इंजरी के विशेषज्ञ नहीं हैं, जिसकी वजह से भारतीय एथलीटों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है. कोच को खिलाड़ियों की चोटों के बारे में भी कुछ भी पता नहीं होता. जबकि विदेशों में हर खिलाड़ी के साथ इंजरी विशेषज्ञ अटैच होता है. हर विभाग के लिए एक कोच की तैनाती रहती है. भारत में खिलाड़ी कमजोर होते हैं. मशीनें खराब पड़ी हैं, उसे ठीक करने वाला भी कोई नहीं है. ■

लेकिन अब दूसरा मिल्खा नहीं मिल रहा है

इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया है. मिल्खा सिंह का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है. फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा ने विदेशों में भारत का खूब नाम रौशन किया है. मिल्खा के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो उन्होंने एशियन गेम्स में चार और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीता था. साथ ही उन्होंने एक-एक सिल्वर और ब्रॉन्ज भी अपने नाम किया था. मिल्खा सिंह के दौर में सुविधाओं का टोटा था. उस जमाने में स्पोर्ट्स को लेकर कोई खास चर्चा भी नहीं होती थी. आज के जमाने में संदीप कुमार, रंजीत माहेश्वरी और विकास गौड़ा जैसे एथलीट भले ही जीत का दावा भरें लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में वे धड़ाम हो जाते हैं. भारतीय खेल जगत को इस पर भी गौर करना होगा कि इन खिलाड़ियों पर लम्बा खर्चा किया जाता है, ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता के लिए विदेशी कोचों से लेकर तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं. फिर कहां चूक हो जाती है. हमें अब पीटी उषा या शाइनी अब्राहम जैसी एथलीट क्यों नहीं मिल रही हैं? दूसरी ओर तमाम सुविधाओं से परे कुछ खिलाड़ी इतिहास बनाने की हिम्मत रखते हैं. इतिहास में अंजू बॉबी जॉर्ज भी ऐसा नाम था जिसने भारत का मान बढ़ाया. ओलम्पिक ही नहीं भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ियों का प्रदर्शन अन्य प्रतियोगिता में भी बेहद खराब रहता है. हालांकि 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं. ओलम्पिक में भारत के कई खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. मास्को ओलम्पिक में 15 और बीजिंग में 17 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था लेकिन सबका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. यह भी एक कटु सत्य है कि यही एथलीट क्वालीफाई करने में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तक बनाते हैं लेकिन ओलम्पिक में रिकॉर्ड तो दूर की बात है, फाइनल तक पहुंचने के लाले पड़ जाते हैं. केवल खिलाड़ियों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें खेल संघों का 'खेल' अधिक जिम्मेदार है. भारतीय ओलम्पिक संघ को सोचना होगा कि भारतीय खिलाड़ियों को ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता के लिए कैसे तैयार किया जाए. ■

शक्ति कपूर के बारे में रोचक जानकारियां

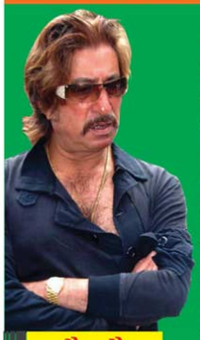

शक्ति कपूर ने बतौर विलन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और उनकी पहली हॉरर फिल्म दरवाजा रही. 1978 में आई दरवाजा देश की पहली ख़ौफनाक फिल्म मानी गई. इस फिल्म का निर्देशन श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया था. आइये जानते हैं शक्ति कपूर की कुछ रोचक जानकारियां जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं.

फ्लैशबैक

बॉलीवुड के नंदु सबका बंधु यानी शक्ति कपूर का वास्तविक नाम सुनील सिकंदरलाल कपूर है. उन्हें अपना सुनील नाम कमजोर लगा जिसे बदलकर उन्होंने शक्ति कर लिया. शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ. उनके पिता की कनॉट प्लेस पर टेलरिंग की दुकान थी. शक्ति कपूर ने दिल्ली युनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से पढ़ाई की है. इसके अलावा एफटीआईआई से अभिनय की बारीकियां सीखीं.

उनका जन्म 3 सितंबर 1958 को हुआ. शक्ति कपूर ने तीन दशक से ज्यादा समय तक फिल्मों में विलन का रोल बखूबी निभाया है. विलन से लेकर कॉमेडियन की भूमिकाओं में शक्ति कपूर को बेहद पंसद किया गया. शक्ति कपूर ने कादर खान के साथ मिलकर 100 से ज्यादा फिल्मों में कॉमेडियन और विलन की भूमिका निभाई.

1 शक्ति कपूर एक बार अपने माता-पिता को अपनी फिल्म इंसानियत के दुश्मन दिखाने ले गए. फिल्म में वे बलात्कार करते नज़र आए. यह देख उनकी मां भड़क गईं और थिएटर छोड़ कर चली गईं. पिता ने फटकार लगा दी कि सिर्फ लड़कियों को छेड़ने का काम करते हो. अच्छे रोल करो. हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री के साथ काम करो.

2 शक्ति कपूर की पत्नी शिवांगी कोल्हापुरे रिश्ते में फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन हैं. शिवांगी किस्मत फिल्म कर रही थीं जिसमें शक्ति भी थे. शिवांगी को शक्ति दिल दे बैठे. अपनी स्पोर्ट्स कार में घुमाकर उन्होंने शिवांगी का दिल जीत लिया और बाद में शादी भी कर ली.

3 सत्ते पे सत्ता के दौरान शक्ति को महसूस हुआ कि वे कॉमेडी भी कर सकते हैं. लिहाजा उन्होंने बाद में कई कॉमिक रोल निभाए. विलेन भी वे कॉमिक अंदाज में बने.

4 शक्ति स्पोर्ट्स कार के शौकीन थे और कार पर खूब पैसा खर्च करते थे. जितेन्द्र ने शक्ति को सलाह दी कि वे पैसा बरबाद न करें. प्रॉपर्टी खरीदें तो भविष्य अच्छा साबित होगा. शक्ति ने सलाह मानी. उनके तीन मुंबई में और एक दिल्ली में भव्य बंगले हैं.

5 तोहफा में बोला गया शक्ति का संवाद *आऊ... ललिता* बहुत पसंद किया गया. उन्होंने यह लाइन कॉपी की थी. तोहफा तेलुगु फिल्म देवता का रीमेक थी और उसमें मोहन बाबू इसी अंदाज में बोलते हैं.

6 शक्ति कपूर पर 100 से भी ज्यादा गाने फिल्माए गए हैं. चूंकि वे युवा हीरो जैसे लगते थे इसलिए संजय दत्त, मिथुन, गोविंदा के साथ उन पर कई गानों का फिल्मांकन हुआ. रॉकी में तो वे संजय दत्त के साथ डांस प्रतियोगिता में नज़र आए. शक्ति को इतना डांस करते देख अमजद खान ने उनका नाम डिस्को क्वीन रख दिया था.

7 बात उस समय की है जब सलमान छोटे थे और शक्ति कपूर उनके घर जाते थे. सलीम खान के साथ पीने-पिलाने का दौर होता था. सुरूर में आने के बाद शक्ति तीनों खान ब्रदर्स (सलमान-अरबाज-सोहेल) से डांस कराते थे. सलमान इस बात को आज तक नहीं भूले हैं.

8 कादर खान के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही लोकप्रिय हुई. दोनों ने साथ में लगभग सौ फिल्में कीं. दर्शक दोनों को साथ देखकर ही खुश हो जाया करते थे. दोनों की लोकप्रियता का यह आलम था कि पोस्टर्स में हीरो-हीरोइन के साथ उन्हें भी स्थान दिया जाता था. कई फिल्मों में तो दोनों को हीरो-हीरोइन से ज्यादा पैसे मिले. शक्ति के अनुसार कादर खान उनके गुरु हैं और उन्होंने कादर से बहुत कुछ सीखा.

9 शक्ति कपूर को डेविड धवन बेहद पसंद करते हैं. डेविड ने उन्हें अपनी 18 फिल्मों में स्थान दिया है. इतनी सारी फिल्में और रोल निभाने के बावजूद उन्हें सिर्फ राजा बाबू के लिए ही फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.

10 शक्ति की शराब पीने की आदत से बेटी श्रद्धा कपूर बेहद परेशान हो गई. श्रद्धा का मानना था कि उनके पिता परिवार के साथ समय व्यतीत करने के बजाय शराब पीना पसंद करते हैं. शक्ति ने इसीलिए रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया ताकि ये बता सकें कि वे बिना शराब के रह सकते हैं. लगभग चार सप्ताह तक वे इस शो का हिस्सा रहें और शराब को हाथ तक नहीं लगाया.■

बॉलीवुड खबरें

सोनम कपूर ने तोड़ी चुप्पी

सोनम ने फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम पर इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने यूटीए के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है. साथ ही इस समझौते पर उत्साह भी जाहिर किया था. सोनम के उत्साह को देखकर ही लोगों को लगा कि वह हॉलीवुड की ओर जल्द रुख कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अमेरिका की टॉप टैलेंट एजेंसी *यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी* के साथ करार किया है. जैसे ही यह ख़बर आई, वैसे ही यह अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि सोनम ने हॉलीवुड फिल्मों की ओर रुख कर दिया है. यह अब शायद बॉलीवुड को बाय-बाय कह दें, लेकिन सोनम कपूर ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.

सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने हॉलीवुड में डेब्यू करने की ख़बरों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने ट्वीट किया, मैं यह साफ कर दूं कि मैंने कोई हॉलीवुड मूवी साइन नहीं की है. उन्होंने अभी तक मुझे कोई फिल्म ऑफर नहीं की है.

बता दें कि अनिल कपूर और सुनीता कपूर की बेटी सोनम ने फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम पर इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने यूटीए के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है. साथ ही इस समझौते पर उत्साह भी जाहिर किया था. सोनम के उत्साह को देखकर ही लोगों को लगा कि वह हॉलीवुड की ओर जल्द रुख कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है.

बता दें कि सोनम ने फिल्म *सांवरिया* से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद *आयशा, रांझणा, प्रेम रतन धन पायो और नीरजा* जैसी फिल्मों से अपनी एक अलग पहचान बनाई. इन दिनों सोनम की चर्चा फिल्म *वीरे दी वेडिंग* को लेकर हो रही है, जिसमें उनके साथ करीना कपूर और स्वरा भास्कर भी नज़र आएंगी.■

धोनी ने वसूले 60 करोड़ रुपये

चौंकिए मत हम बात कर रहे हैं फिल्म एमएस धोनी: द अनटोल्ड की जिसका इंतजार सिने प्रेमी और क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं. भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर यह फिल्म आधारित है. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है और नीरज पांडे निर्देशित फिल्म से उम्मीद बहुत जग गई है.

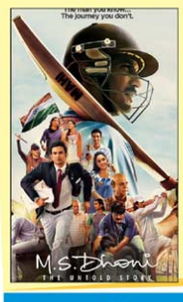

फिल्म के मेकर्स ने इसे बनाने में 80 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की है, जिसमें से 60 करोड़ रुपये रिलीज़ के पहले ही आ गए हैं. 45 करोड़ रुपये सैटेलाइट्स राइट्स के बदले में प्राप्त हुए और 15 करोड़ रुपये की राशि उन ब्रैंड्स से प्राप्त हुई जो फिल्म से जुड़े हुए हैं. बचे 20 करोड़ रुपये वसूलना फिल्म के लिए बहुत आसान है. यानी कि फिल्म पहले से ही हिट हो गई है.

धोनी की बायोपिक होने के साथ-साथ इस फिल्म में धोनी के जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अर्जुन पांडे और फॉक्स स्टार स्टुडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितम्बर को प्रदर्शित हो रही है.■

शाहरुख खान ने भंसाली के सामने रखी शर्त

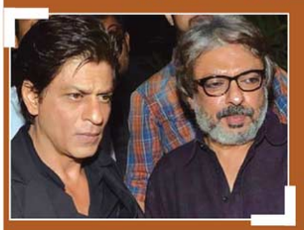

संजय लीला भंसाली की फिल्म *पद्मावती* रिलीज़ होने से पहले ही काफी चर्चा में है. फिल्म की स्टारकास्ट और उनकी डिमांड को लेकर कई ख़बरें सामने आ रही हैं. हाल ही में ख़बर आई थी की शाहिद कपूर ने फिल्म में अपने रोल को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं, तो अब ख़बर आ रही है कि शाहरुख खान भी फिल्म में अहम भूमिका निभाएंगे जिसके लिए उन्होंने भी भंसाली के सामने कुछ शर्त रखी है. शाहरुख ने भंसाली से कहा है कि वो फिल्म के टाइटल में बदलाव करें.

दरअसल फिल्म *पद्मावती* एक ख़ूबसूरत रानी की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म है, जिसमें शाहरुख को लगता है कि अगर वो इस फिल्म में काम करेंगे तो उनका रोल पद्मावती के प्रभाव के आगे दब जाएगा. बस यही वज़ह है कि उन्होंने भंसाली से फिल्म का टाइटल बदलने की शर्त रखी है.

फिल्म में पद्मावती का अहम किरदार दीपिका पादुकोण निभा रही हैं. वहीं उनके पति के रोल में शाहिद कपूर और अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका में रणवीर सिंह नज़र आएंगे जैसी की ख़बरें आ रही हैं. अब देखना होगा की शाहरुख का फिल्म में क्या रोल होगा. फिलहाल तो वो इम्तियाज़ अली की फिल्म *द रिंग* की शूटिंग में व्यस्त हैं.■

कटरीना के लिए सिद्धार्थ ने आलिया से बनाई दूरी!

सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट को लव-बर्ड्स की तरह देखा जाता है. समय-समय पर दोनों एक-दूसरे के बारे में ऐसी बातें बोलते रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है. मगर, अब कुछ ऐसा हुआ है कि सिद्धार्थ आलिया को महज दोस्त कह रहे हैं.

अपनी फिल्म *बार-बार देखो* के प्रमोशन के दौरान सिद्धार्थ से जब आलिया के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जोर देकर कहा-आलिया से मेरी बॉन्डिंग ख़ास है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं. सिर्फ यही नहीं, आलिया से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने के लिए सिद्धार्थ ने वरुण धवन का भी सहारा ले लिया. सिद्धार्थ ने कहा-वरुण से भी मेरी गहरी दोस्ती है. वो लड़का है इसलिए कोई ख़बर नहीं बनती, लेकिन अगर इमोशनली बॉन्डिंग की बात करें, तो मेरे सबसे करीब मेरे दिल्ली के दोस्त हैं.

सिद्धार्थ की बातों से ये तो समझ में आ गया कि आलिया के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम देने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसकी वजह हो सकती है उनकी आने वाली फिल्म *बार-बार देखो*, जिसके प्रमोशन में सिद्धार्थ जी-जान से जुटे हुए हैं. इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशनल टूल कटरीना के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, जिसकी चर्चा हर जगह है.

ऐसे में आलिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सिद्धार्थ और कटरीना की सिजलिंग केमिस्ट्री का असर कम कर सकता है, जो फिल्म की क़ामयाबी के लिए ठीक नहीं होगा. यह वजह हो सकती है कि कटरीना के साथ अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री में जान फूंकने के लिए सिद्धार्थ आलिया के साथ ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री को फिलहाल तवज्जो नहीं देना चाहते. आख़िर बॉक्स ऑफिस के गेम में सब कुछ जायज है.■

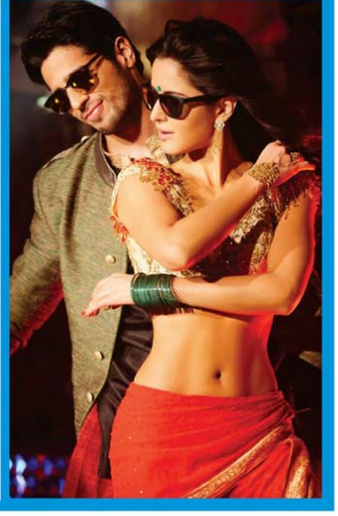

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com